



भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान  
ICAR-CENTRAL AVIAN RESEARCH INSTITUTE  
इज्जतनगर-243122, बरेली, उ.प्र. (भारत)  
IZATNAGAR-243 122, Bareilly U.P. (INDIA)  
फैक्स सं० / Fax No. +91-581-2301321  
फोन नं० / Phone No. +91581-2303223, 2300204, 2301220, 23010206  
ई-मेल / Email : cari\_director@rediffmail.com



## निविदा प्रपत्र/TENDER FORM

फा०सं०/No.F.

दिनांक /Dated :

सेवामें/ To,

-----  
-----  
-----

विषय/Subject: -----

महोदय/ Dear Sir(s),

क्रेता की ओर से आपको अपनी सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी कोटेशन, संलग्न फार्मेट में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। कृपया अपने कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी भेजें अन्यथा आपके निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा/ On behalf of the purchaser, you are invited to submit your most competitive quotation in the enclosed format for the same. You are also requested to submit the following documents along with your quotation,

1. आवश्यकता अनुसूची/Schedule of Requirements
2. तकनीकी विनिर्देशन/Technical Specification
3. प्रश्नावली/Questionnaire
4. बोली प्रपत्र एवं मूल्य-अनुसूची/ Bid Form and Price Schedules.
5. बोली की प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी/एफ.डी.आर./Bank Guarantee/FDR for Bid Security.
6. विनिर्माता का प्राधिरण प्रपत्र/ Manufacture's Authorization Form

प्रत्येक कालम/खाली स्थान सही प्रकार से भरें एवं बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न प्रत्येक पेपर/दस्तावेज पर फर्म/कम्पनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहरयुक्त हस्ताक्षर होने चाहिए/Each column/blank be filled properly and every papers/documents enclosed with bid documents must be signed /stamped by the authorized signatory of the firms/Company.

बोलीदाता के लिए अनुदेश एवं संविदा की सामान्य शर्तें निविदा के साथ न भेजें। इन्हें बोलीदाता अपनी जानकारी एवं संदर्भ के लिए अपने पास रखें/Instructions to Bidders (ITBN) and General Condition of Contract (GCC) may not be sent alongwith tender and these may be retained by bidders for their information and reference.

बोलीदाता के लिए अनुदेश, संविदा की सामान्य शर्तों एवं बोली दस्तावेज के अन्य भागों में अनुबंधित शर्तों में परस्पर विरोध की स्थिति से बचने के लिए सावधानी बरती गई है। परन्तु तब भी कोई प्रतिवाद उत्पन्न होता है तो आवश्यकता अनुसूची में दिए गए अनुबंध मान्य होंगे/Care has been taken to avoid contradiction between stipulation in the IFB, GCC and those in the other sections of the bidding documents. But wherever contradiction arises, if any, stipulations contained in the Schedule of Requirements shall prevail.

भवदीय /Yours faithfully,

प्रभारी भण्डार / Incharge Stores  
सहायक प्रशासनिक अधिकारी/Asst. Adm. Officer

**आवश्यकता अनुसूची भाग-1 (खण्ड-IV)**  
**Part-1 of Schedule of Requirements (Section-IV)**

**अनुसूची-1 / Schedule-1**

क्र. सं०/ Sl. No.	माल का संक्षिप्त विवरण/ Brief description of Goods	लेखा यूनिट/ Accounting Unit	मात्रा / Quantity	सुपुर्दगी अनुसूची/ Delivery Schedule

बोली प्रतिभूति की राशि / Amount of Bid Security: .....

तकनीकी विनिर्देशन / TECHNICAL SPECIFICATION:-

**आवश्यकता अनुसूची (खण्ड- IV)**  
**SCHEDULE OF REQUIREMENTS (SECTION-IV)**

1. क्रेता का नाम/Name of the Purchaser : निदेशक/The Director,  
भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर  
ICAR-Central Avian Research Institute, Izatnagar
2. क्रेता का डाक का पता/ : प्रभारी भण्डार/Incharge Stores  
Purchaser's mailing address भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर  
ICAR-Central Avian Research Institute, Izatnagar, Bareilly  
पिन/PIN- 243122
3. बोली की तैयारी/Preparation of Bids.....
- I. मूल्य-संरचना/पोत पत्तन पर्यन्त निःशुल्क/सीएआरआई, इज्जतनगर तक निःशुल्क/Price Structure-FOB port of Shipment/FOR, CARI, Izatnagar
- II. बोली की भाषा/Language of Bid : अंग्रेजी/ English
- III. अपेक्षित उपभोक्ताओं/ग्राहकों की सूची, जिन्हें अंतिम दो वर्षों के दौरान आपूर्ति की गई है, आपूर्ति की जा सकती है, यदि कोई हो तो/List of reputed customers/clients to whom supply has been made during two years, may be supplied, if any.
- IV. भारतीय अभिकर्ता को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एवं डी), नई दिल्ली में पंजीकृत होना चाहिए/Indian Agent must be registered to DG & SD, New Delhi.
- V. बोली की प्रतिभूति राशि/The amount of Bid Security : धनराशि आईएफबी के अनुसार/Amount as per IFB.
- VI. बोली की प्रतिभूति 180 दिनों के लिए वैध होनी चाहिए/ The Bid security must be valid for 180 days.
4. बोली प्रस्तुत करना/ Submission of Bids
- I. आवश्यक प्रतियों की संख्या एक है/Number of copies required is one.
- II. बोली प्रस्तुत करने का पता, जो लिफाफे पर लिखा जाना है/Address for submission of bids, to be given on the envelope is:

**प्रभारी भण्डार/सहायक प्रशासनिक अधिकारी**  
**Incharge Stores/Asst. Adm. Officer**  
**केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान**  
**Central Avian Research Institute**  
**इज्जतनगर, बरेली (उ०प्र०)–243122**  
**Izatnagar-243 122 (U.P.)**

III. बोली खुलने की तारीख तथा समय ----- है / Time & Date of bid opening are-----  
 -----

IV. बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख ----- को ----- बजे है / Deadline for submission of bids is -----(hours) on----- (यदि उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख, क्रेता के लिए छुट्टी घोषित की जाती है तो बोली अगले कार्य दिवस के निर्धारित समय तक प्राप्त की जाएगी / In the evnt of the above specified date being declared a holiay for the purchaser, the bids will be received up to the appointede time on the next working day).

V. "तकनीकी बोली" एवं "व्यावसायिक (मूल्य) बोली" दो विभिन्न सील बन्द लिफाफों में रखे जाने चाहिए एवं इन पर तकनीकी बोली एवं कीमत बोली लिखा होना चाहिए, इन दोनों को एक बड़े सीलबंद पैकेट / लिफाफे में रखना चाहिए। बड़े बाहरी लिफाफे में निविदा संख्या, उपकरण का नाम एवं खुलने की तारीख, सबसे ऊपर दायें हाथ की ओर किनारे में लिखे होने चाहिए / "Technical Bid" & "Commercial (Price) Bid" should be kept separately in two different sealed envelopes, Superscripted thereon TECHNICAL BID and PRICE BID within a larger Sealed Packet/envelope. The larger outer cover should indicate Tender Number, Name of the equipment and opening date on the top of the right hand corner.

**निम्नलिखित दस्तावेज/पेपर, तकनीकी बोली एवं कीमत बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे / Documents/Papers to be submitted with Technical Bid and Price Bid follow:-**

**तकनीकी बोली / Technical Bid**

1. आपूर्ति किए जाने वाले उपकरणों/माल के ब्यौरा विनिर्देशन/केवल एक ही मेल/मॉडल का नाम लिखें, किसी अन्य वैकल्पिक मेल/मॉडल पर विचार नहीं किया जाएगा / Detailed specifications of the equipments/goods to be supplied. Only one make /Model be quoted and no alternative make/model will be considered.
2. उत्पाद का साहित्य/पुस्तिका / Product Literature/leaflets
3. बोली प्रतिभूति / Bid Security.
4. यदि बोलीदाता विनिर्माता है तो विनिर्माण संबंधी प्रमाण-पत्र / Manufacturing certificate if bidder is manufactures.
5. यदि बोलीदाता विनिर्माता का अभिकर्ता / डीलर है तो प्राधिकरण प्रमाण-पत्र / Authorisation certificate in case, bidder is agent/dealer of the manufactures.
6. आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया पी.ए.एन. / आईटीसी.सी. / Certified copy of PAN/ITCC issued by Dept. of Income Tax.
7. पूर्तिकर्ता द्वारा अनुरक्षण, मरम्मत करने की एवं अतिरिक्त पुर्जों के भण्डारण की क्षमता दर्शाने वाले दस्तावेज / Documents showing capability to carry out supplier's maintenance, repair & spare part.s stocking. Obligations.
8. बिक्रीकर / सी.एस.टी. अनापत्ति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति / Certified copy of Sales Tax/VAT clearance certificate.

9. विदेशी मालिक (विनिर्माता) के मामले में भारतीय अभिकर्ताओं को डी.जी.एस. एवं डी., नई दिल्ली के साथ पंजीकृत होना चाहिए एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र की एक प्रति संलग्न करें/Indian agent- in case of foreign Principal (manufacturing) should be enlisted with D.G.S.& D, New Delhi and enclose copy of registration certificate.
10. विधिवत पूर्णतः भरी हुई प्रश्नावली/Duly completed Questionnaires.

### **बोली की कीमत/Price Bid**

1. विधिवत भरी हुई कीमत अनुसूची बोली दस्तावेज के साथ संलग्न करें/ Price schedule duly completed enclosed with bidding documents.
2. विदेशी मालिक से प्रोफार्मा बीजक/Proforma Invoice from foreign principal.
3. पूर्ण विवरण देने वाली एक सूची, जिसमें उपलब्ध स्रोत, सभी अतिरिक्त पुर्जों की वर्तमान कीमत, विशिष्ट औजार आदि शामिल हों एवं यह इन उपकरणों का उपयोग शुरू करने के 2 वर्ष बाद तक की अवधि के लिए वैध हो/A list giving full particulars including available sources and current prices of all spare parts, special tools etc. valid for a period of two years following commencement of the equipments.
4. वारंटी की अवधि समाप्त होने के बाद के अगले 5 वर्षों के लिए वार्षिक अनुरक्षण मूल्य/Cost of Annual maintenance charge for next 5 years after expiring of warranty period.
5. उपकरणों की वारंटी कम से कम 12 महीनों के लिए होनी चाहिए/Warranty of equipments should be at least 12 months.
6. बोली खोलने की तारीख के बाद कम से कम 120 दिनों तक कीमत वैध होने चाहिए/Prices should be valid at least 120 days from the date of opening of bid.

**आवश्यकताओं की अनुसूची (खण्ड-IV)**  
**SCHEDULE OF REQUIREMENTS (SECTION-IV)**

**निरीक्षण एवं परीक्षण / Inspection and Tests:**

- (i). उद्गम देश को दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र ----- / Certificate showing country of origin.-----
- (ii). परीक्षण प्रमाण-पत्र / निरीक्षण प्रमाण-पत्र जिसमें तारीख तथा जारी करने वाली एजेंसी का नाम, विनिर्देशन की विषय-वस्तु का उल्लेख हो / Test certificate/inspection certificate with date, name of Issuing Agency, (बोलीदाता द्वारा भरी जाय) / content of specifications (To be filled by bidder) -----

**2. पैकिंग / Packing**

कृपया परेषण कार्ड बोर्ड पैकिंग में ही करें। यदि परेषण लकड़ी की पैकिंग में भेजा जाता है तो इस प्रयोजनार्थ के लिए माल-प्रेषक को उद्भव देश से फाइटोसेनीटरी प्रमाण-पत्र भेजना होगा / The consignment may please be shipped in cardboard packing only. If the consignment is diespatched in wooden packing, the shipped is required to send the Phytosanitary certificate from the country of origin for this purpose.

**3. बीमा / Insurance**

- (i). बीमा की व्यवस्था, क्रेता द्वारा की जाएगी। तथापि सी.आई.एफ., नई दिल्ली वायु पत्तन संबंधी लागत को भी बोली मूल्य में उद्धृत की जाएगी। / Insurance shall be arranged by the purchaser. However, price on C.I.F., New Delhi Airport may also be quoted in price bid.

**4. प्रेषण दस्तावेज का वितरण / Distribution of dispatch Documents.**

सभी नौवहन दस्तावेज एवं परेषण हमारे नामांकित कन्सीलीडेटर द्वारा भेजा जाएंगे। / All shipping of documents and consignment shall be sent through our nominated consolidators.

**5. आनुषंगिक सेवाएँ / Incidental Services / भारत के बाहर के बैंकिंग शुल्क पूर्तिकर्ता द्वारा वहन किए जाएंगे। / Banking charges outside India shall be borne by suppliers**

**6. वारंटी / Warranty / उपेष्कर लगाने की तारीख से 12 माह तक / 12 month from the date of installation of the equipment.**

**7. भुगतान / Payment**

(क). विदेश से आपूर्ति किए गए माल का भुगतान / Payment for goods supplied from abroad.

- (i). एल./सी. में बताए गए दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, नौप्रेषण पर, संविदा कीमत का 90% अप्रतिस्तरणीय साख-पत्र पर दिया जाएगा / On shipment 90% of the contract price shall be paid through irrevocable letter of credit upon submission of documents detailed in L/C.
- (ii). उपस्करों / मशीन आदि के सफलतापूर्वक अधिष्ठापन / मशीन / उपेष्कर के कार्य एवं साथ ही साथ पूर्तिकर्ता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी जमा / प्रस्तुत करने पर संविदा कीमत का 10% का भुगतान किया जाएगा / 10% of the contract price will be released just after satisfactory installation/working of equipments/

machines etc. as well as on submission/production of Performance Bank Guarantee by the Supplier(s).

**(ख). भारत से आपूर्ति किए गए माल का भुगतान / Payment of goods supplied from India**

- (i). प्रेषिती से माल प्राप्त करने तथा उनके संतोषजनक अधिष्ठापन एवं कार्य संचालन रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद संविदा कीमत के 100% का भुगतान किया जाएगा। / 100 % of the contract price on receipt of goods by the consignee supported by satisfactory installation working report.

**8. अधिष्ठापन / Installation**

इस प्रयोजन के लिए हमारे द्वारा जारी किए गए पत्र की तारीख से 30 दिनों के अन्दर अधिष्ठापन किया जाए, ऐसा न करने पर परिनिर्धारित नुकसानी खण्ड लागू होगा। / To be done within 30 days from the date of issue of our letter for this purpose failing which Liquidated Damage clause shall apply.

**9. कीमतें / Prices**

एफ.ओ.बी. हवाई अड्डा सी. आई. एफ. स्थान (इन्दिरा गाँधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली, भारत) पर उद्धृत की जाएगी / Be quoted on FOB Airport/CIF destination (IGI Airport, New Delhi, India)

**10. विवादों का समाधान / Resolution of disputes**

आपसी बात-चीत द्वारा सुलझाया जाए अन्यथा माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत इसका समाधान किया जाएगा / By mutual consultation failing which it will be resolved under Arbitration & conciliation Act, 1996.

**11. सूचनाएँ / Notices-**

संविदा के सामान्य शर्तों के खण्ड 31 में यथा उल्लिखित / As mentioned GCC clause 31

**12. कर एवं शुल्क / Taxes and duties**

सभी कर स्टाम्प शुल्क, लाईसेंस फीस एवं भारत में आयातित अन्य उद्ग्रहण और स्थानीय पूर्तिकार के मामले में भारत के अन्दर आयातित अन्य उद्ग्रहण के भुगतान के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा / Supplier shall be entirely responsible for payment all taxes, Stamp duties, license fees & other levies imported outside India and within India in case of local supplier.

**खण्ड-IV**  
**SECTION -IV**  
**प्रश्नावली / QUESTIONNAIRE**

बोलीदाता को नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के विनिर्दिष्ट उत्तर भरने होंगे। यदि कोई प्रश्न बोलीदाता पर लागू नहीं होते तो इसके उत्तर में "लागू नहीं" लिखें। कृपया बोलीदाता यह नोट करें कि यदि दिया गया उत्तर अस्पष्ट या भ्रामक है तो बोली पर विचार नहीं किया जाएगा / BIDDERS SHOULD FURNISH SPECIFIC ANSWERS TO ALL THE QUESTIONS GIVEN BELOW IN CASE A QUESTION DOES NOT APPLY TO A BIDDER THE SAME SHOULD BE ANSWERED WITH THE REMARK "NOT APPLICABLE" BIDDERS MAY PLEASE NOTE THAT IF THE ANSWERS SO FURNISHED ARE NOT CLEAR AND/OR ARE EVASIVE, THE BID WILL BE LIABLE TO BE IGNORED.

1. बोली संख्या \_\_\_\_\_ बोली खुलने की तारीख \_\_\_\_\_ / Bid No.  
..... Date for bid opening on .....
2. \_\_\_\_\_ दिन तक स्वीकृति भेजें / Offer is open for acceptance .....days.
3. प्रस्तावित माल का ब्रांड : \_\_\_\_\_ / Brand of goods offered:.....
4. विनिर्माता का नाम एवं पता : \_\_\_\_\_ / Name & address of manufacturer:-----  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

5. निर्माण का स्थान : \_\_\_\_\_ / Station of Manufacture:
6. अपना स्थायी आयकर खाता संख्या दें : \_\_\_\_\_ / What tis your permanent Income Tax AIC No :
7. पुष्टि करें कि आपने अपना नवीनतम/वर्तमान आईटीसीसी या इसकी प्रमाणित फोटो कॉपी संलग्न की है  
\_\_\_\_\_ / Confirm whether you have attached your latest/current ITCC or certified photocopy thereof.

**8. स्थिति / Status**

(क). क्या आप उद्धृत की गई मद (मदों) के संबंध में आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (डीजीएस एंड डी) के साथ वर्तमान में पंजीकृत हैं ? यदि हाँ, तो बताएँ कि किस तारीख तक आप पंजीकृत हैं एवं क्या आपके पंजीकरण पर कोई आर्थिक सीमा लागू है, \_\_\_\_\_ / Are you currently registered with the Directorate General of Supplies & Disposals (DGS&D) for the item (s) quoted ? If so, indicate the date up to which you are registered and whether there is any monetary limit on your registration.

-----

(ख). क्या आप एक लघु उद्योग इकाई हैं एवं उद्धृत किए गए मद (मदों) के लिए एकल बिन्दु पंजीकरण योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन.एस.आई.सी.) के साथ वर्तमान में पंजीकृत हैं। यदि हाँ, तो बताएँ कि किस तारीख तक आप पंजीकृत हैं एवं क्या आपके पंजीकरण पर कोई आर्थिक सीमा लागू है,



-----/Are you a small scale unit currently registered with the National Small Industries Corporation (NSIC) under Single Point Registration Scheme for the item (S) quoted ? If so, indicate the date up to which you are registered and whether there is any monetary limit on your registration.

-----

(ग). यदि आप राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम या आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय के साथ पंजीकृत नहीं हैं तो कृपया बताएँ कि क्या आप संबंधित राज्य सरकार के उद्योग निदेशालय के साथ पंजीकृत हैं, यदि हाँ, तो बताएँ कि किस तारीख तक आप पंजीकृत हैं एवं क्या आपके पंजीकरण पर कोई आर्थिक सीमा लागू है,

-----/If you are not registered either with NSIC or DGS & D, please state whether you are currently registered with Directorate of Industries of the State Government concerned. If so, indicate the date up to which you are registered and whether there is any monetary limit on your registration.

-----

(घ). क्या आप भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 या किसी अन्य अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ?/

-----/Are you registered under the Indian Companies Act, 1956 on any other Act?

-----

उपरोक्त उत्तर (उत्तरों) की पुष्टि के लिए संबंधित पंजीकरण प्रमाण-पत्र (प्रमाण-पत्रों) की प्रमाणित प्रति (प्रतियाँ) संलग्न करें/Please attach certified copy (copies) of the relevant registration certificates) in confirmation to your above answer (s).

**9. कृपया लिखें/Please indicate:-**

अपने बैंकर (बैंकरों) का नाम एवं पूरा पता :-----/Name & full address of your Banker (s): -----

10. क्या आप :-----/Whether you are:

(i) उद्धृत माल के विनिर्माता हैं, या -----/Manufacturer of the goods quoted; or

(ii). इस माल के लिए विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत एजेंट हैं -----/Manufacturer's authorized agent for those goods.-----

11. बताएँ कि क्या किसी केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/ विभाग या किसी राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में आपके साथ व्यापारिक लेन-देन पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है/-----/

State whether business dealings with you have been currently banned by any Ministry/Deptt. of Central Govt. or any State Govt. \_\_\_\_\_

साक्षी के हस्ताक्षर / Signature of Witness

साक्षी का नाम एवं पता / Name & address of Witness

बोलीदाता के हस्ताक्षर

Signature of Bidder

ऊपर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का पूरा नाम

पदनाम एवं पता, मेसर्स के लिए एवं की ओर से ।

Full name, designation Address of the person signing above

For and on behalf of Mssrs. \_\_\_\_\_

---

(Name and address of the bidding firm)

/बोली लगाने वाले फर्म का नाम एवं पता)

**बोली प्रपत्र एवं कीमत अनुसूची**  
**BID FORM AND PRICE SCHEDULES**

दिनांक / Date.....

सेवामें, / To,

**निदेशक / The Director,**

केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान

इज्जतनगर, बरेली (उ०प्र०)-243 122 /

**CENTRAL AVIAN RESEARCH INSTITUTE****IZATNAGAR UP. 243 122 (BAREILLY) 243 122**

संदर्भ : दिनांक ----- की आपकी बोली दस्तावेज संख्या ----- / Ref. Your bidding documents No. .... dated .....

ऊपर लिखित बोली दस्तावेजों तथा ऐजेंडा सं० (यदि कोई हो) की जाँच करने के बाद, जिसकी प्राप्ति की पावती विधिवत दी गई है, हम कीमत अनुसूची में दर्शाए अनुसार राशि के लिए, जो इसके साथ संलग्न है एवं इस बोली का एक भाग उक्त बोली संबंधी दस्तावेजों की पुष्टि में ----- (माल एवं सेवाओं का विवरण) की आपूर्ति एवं सुपुर्दगी का प्रस्ताव देते हैं / Having examined the above mentioned bidding documents, including addenda Nos..... (if any), the receipt of which is hereby duly acknowledged, we, the undersigned, offer to supply and deliver..... (description of goods and services) in conformity with the said bidding documents

यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है, हम संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 7 में विनिदिष्ट अनुदेशों के अनुसार एवं संविदा की सामान्य शर्तोंके खण्ड 7.5 के शब्दों में आपके स्वीकार किए पत्र में संविदा के नियम पालन के लिए संविदा कीमत के 10% (दस प्रतिशत) के समतुल्य राशि निष्पादन प्रतिभूति के रूप में भुगतान करेंगे। / If our bid is accepted, we will provide you with performance security as per the instructions specified in GCC clause 7 and in a form acceptable to you in terms of GCC clause 7.5 for a sum equivalent to 10 % (ten percent) of the contract price for the due performance of the contract..

हम वचन देते हैं। कि यदि हमारी बोली स्वीकार की जाती है, हम उपर्युक्त संदर्भित बोली संबंधी दस्तावेजों में शामिल सभी लागू अपेक्षाएँ पूरी करने के बाद आवश्यकता की अनुसूची में विनिदिष्ट सुपुर्दगी अनुसूची के अनुसार, माल एवं संपूर्ण सेवाओं की सुपुर्दगी करेंगे। / We agree to abide by this bid for the bid validity period specified in the ITB clause 15 (read with modification, if any, in the Bid Data Sheet) or for the subsequently extended period. If any, agreed to by us and it shall remain binding up on us and may be accepted at any time before the expiration of that period.

औपचारिक संविदा तैयार एवं निष्पादित किए जाने तक, यह बोली आपकी लिखित स्वीकृति एवं आपके संविदा देने के आशोधन के साथ हमारे एवं आपके बीच एक आबद्धकर (बाईडिंग) संविदा होगी / Until a format contract is prepared and executed, this bid together with your written acceptance thereof and your modification of award, shall constitute a binding contract between us.

हमारे अनुसार आपको प्राप्त किसी भी बोली या निम्नतम कीमत की बोली को स्वीकार करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं / We understand that you are not bound to accept the lowest or any bid you may receive.

-----तारीख के-----दिन से 200----- / Dated this  
..... Day of ..... 200 .....

हस्ताक्षर

(की हैसियत से)

के लिए एवं की ओर से बोली में हस्ताक्षर करने के लिए विधिवत प्राधिकृत / Signature

(in the capacity of )

Duly authorized to sign bid for and on behalf of

**SECTION VII/3 /खण्ड—VII/3**  
**विनिर्माता का प्राधिकरण—प्रपत्र**  
**MANUFACTURER'S AUTHORISATION FORM**

सेवामें / To,

निदेशक / The Director  
 केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान  
 CENTRAL AVIAN RESEARCH INSTITUTE  
 इज्जतनगर, बरेली (उ०प्र०) / Izatnagar (U.P)—243122  
 (क्रेता का नाम एवं पता / Name and address of the purchaser)

महोदय / Dear Sirs,

संदर्भ: आपकी बोली दस्तावेज संख्या ----- / Ref. Your Bidding Documents No.

हम ----- जो ----- (बोली में प्रस्तावित माल का नाम एवं विवरण) के प्रतिष्ठित एवं प्रसिद्ध विनिर्माता हैं एवं ----- स्थान पर हमारा कारखाना है। एतद्वारा मेसर्स ----- (एजेंट का नाम एवं पता) जो हमारे द्वारा विनिर्मित माल के लिए आपके उल्लिखित बोली संबंधी दस्तावेजों के आधार पर बोली प्रस्तुत करने, वार्ता करने (जैसा एवं यदि आवश्यक हो) एवं आपके साथ संविदा को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत करते हैं / We ----- who are established and reputable manufacturers of ----- (name and description of the goods offered in the bid) having factories at ----- hereby authorize Messrs ----- (name and address of the agent) to submit a bid, negotiate (as and if necessary) and conclude the contract with you against your above mentioned Bidding.

Documents for the above goods manufactured by us.

मेसर्स ----- (उपर्युक्त एजेंट का नाम एवं पता) के सिवाय कोई भी कम्पनी या फर्म या व्यक्ति, हमारे द्वारा विनिर्मित उपर्युक्त माल के लिए इस विनिर्दिष्ट बोली संबंधी दस्तावेजों के आधार पर बोली प्रस्तुत करने, वार्ता करने एवं संविदा को अंतिम रूप देने के लिए प्राधिकृत नहीं है / No company or firm or individual other than Messrs. ----- (name and address of the above agent) is authorized to bid, negotiate and conclude the contract against this specific Bidding Documents for the above mentioned goods manufactured by us.

हम एतद्वारा उपर्युक्त फर्म द्वारा इस बोली संबंधी दस्तावेज के आधार पर आपूर्ति के लिए प्रस्तावित माल एवं सेवाओं के लिए संविदा की विशिष्ट शर्तों में, संविदा की सामान्य शर्तों, जिसे संशोधनों के साथ पढ़ा जाय, यदि कोई हो तो, के खण्ड-16 के अनुसार हम पूरी गारंटी व वारंटी देते हैं / We hereby extend our full guarantee and warranty as per.... clause 16 of the General Conditions of Contract, read with modification, if any, in the Special Conditions of Contract for the goods and services offered for supply against this Bidding Document by the above firm.

भवदीय / Yours faithfully,

-----  
 -----  
 (हस्ताक्षर, नाम एवं पदनाम / Signature, name and designation)  
 मेसर्स ----- के लिए एवं की ओर से  
 for and on behalf of Messrs.....  
 (विनिर्माता का नाम एवं पता / Name & address of the manufacturers)

टिप्पणी : यह प्राधिकरण-पत्र, विनिर्माण करने वाली फर्म के पत्र-शीर्ष पर होना चाहिए एवं इस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जो सक्षम हो तथा जिसके नाम निर्माता द्वारा कानून मुख्तार नामा दिया गया हो / Note: This letter of authorization should be on the letter head of the manufacturing firm and should be signed by a person competent and having the power of attorney to legally bind the manufacturer.

**देशी माल या भारत के अंदर स्थित विदेशी मूल के माल के लिए मूल्य अनुसूची / PRICE SCHEDULE FOR DOMESTIC GOODS OR GOODS OF FOREIGN ORIGIN LOCATED WITHIN INDIA**

1	2	3	4								7
			Price per unit								
अनुसूची संख्या / Schedule No.	मद की विवरण संख्या / Item Description no	लेखा इकाई एवं मात्रा / Accounting unit & Quantity	कारखाना कीमत / गोदाम कीमत / शो-रूम कीमत / Ex-factory/ex-warehouse use / ex-showroom off the shelf	उत्पादन शुल्क यदि हो तो / Excise duty if any	पैकिंग एवं अग्रेषित करना / Packing and forwarding	अंतर्देशीय परिवहन / In-Land Transportation	बीमा, अन्य शुल्क एवं कर, यदि कोई अन्य हो (बिक्री कर के अलावा) एवं प्रासंगिक लागत / Insurance other duties and taxes, if any other (than sales tax) and incident at costs	प्रासंगिक सेवाएँ (पर्यवेक्षण सहित) / Incidental services	यूनिट की समग्र कीमत / Overall unit price (a+b+c+d+e+f)	कुल कीमत / Total price	यदि संविदा दी जाती है तो देय बिक्री कर / Sale tax payable, if contract is awarded
			(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)		3X5	

बोली की कुल कीमत रुपये में : (अंकों में) ----- (शब्दों में) / Total bid price in Rupees: (in figure) ----- (in words) -----

स्थान : ----- / Place

बोलीदाता के हस्ताक्षर नाम : -----

दिनांक : / Date -----

Note: -----

व्यावसायिक पता / -----

**Signature of bidder**

**Name**-----

**Business address**-----

**टिप्पणी : / Note :**

- यूनिट की कीमत एवं कुल कीमत में विसंगति होने की स्थिति में, यूनिट की कीमत मान्य होगी। / In case of discrepancy between unit price and total price, the unit price shall prevail.
- खण्ड VII (तकनीकी विनिर्देशन एवं गुणवत्ता नियंत्रण अपेक्षाएँ) के अन्तर्गत इस आशय से किसी बात के न होने पर बोलीदाता द्वारा जिस माल के साथ दो वर्षों तक के प्रचालन के लिए अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति की जानी है, उनका विवरण, मात्रा, यूनिट की कीमत एवं कुल कीमत अलग से उपयुक्त फार्मेट में दर्शाते हुए उनकी सूची देगा। / If nothing to the contrary to this effect is mentioned under Section VII (Technical Specification and Quality Control Requirements), The bidder shall give list of spare parts for two years operation separately indicating description, quantity, unit price and total price in the above format for those items whose scope of supply includes spare parts as per.

**PRICE SCHEDULE FOR GOODS TO BE IMPORTED FROM ABROAD** फॉर्मेट / **FORMAT-III**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
अनुसूची संख्या / Schedule No.	मंद का विवरण / Item Description	उद्गम देश / Country of origin	लेखा यूनिट एवं मात्रा / Accounting unit & Quantity	कीमत यूनिट पोत पर्यन्त लादान / Unit price FOB port of loading	सीआईएफ पर प्रवेश यूनिट कीमत / Unit price CIF at port of entry	अन्तर्देशीय परिवहन शुल्क / सुपुर्दगी पर प्रासंगिक बीमा एवं अन्य स्थानीय मूल्य यदि विनिर्दिष्ट / Inland transportation charges, insurance & other local costs incidental to delivery, if specified	पर्यवेक्षण सहित प्रासंगिक सेवाएँ / Incidental services including supervision	समग्र यूनिट की कीमत (क +ख +ग) / Overall unit price (a+c+d)	कुल कीमत / Total price	भारतीय एजेंट का नाम / Indian agent's name	कोट की गई कीमत में शामिल एफ ओ बी के प्रतिशत के रूप में भारतीय एजेंट का कमीशन / Indian agent's commission FOB price included in the quoted price	लदाई भार एवं आयतन / Shipment weight and volume
			(क) / a	(ख) / b	(ग) / c	(घ) / d		4X6				

विदेश से आयात किए जाने वाले माल के लिए मूल्य अनुसूची बोली की कुल कीमत, विदेशी मुद्रा में : (अंकों में) ----- / Total bid price in Foreign Currency: (in figures)

(शब्दों में) ----- / (in words) -----

बोली दाता के हस्ताक्षर / **Signature of bidder**

स्थान : / **Place: Name**

दिनांक : / **Date:**

नाम ----- /

व्यापारिक पता / **Business address** -----

टिप्पणी : / **Note:**

- I. यूनिट की कीमत एवं कुल कीमत में विसंगति होने की स्थिति में, यूनिट की कीमत मान्य होगी। / In case of discrepancy between unit price and total price, the unit price shall prevail

- II. VII (तकनीकी विनिर्देशन एवं गुणवत्ता नियंत्रण) में उल्लिखित किसी बात के आधार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोली दाता खण्ड VII में दिए गए "तकनीकी विनिर्देशनों" के अनुसार उन माल के लिए जिनकी आपूर्ति के साथ दो साल के प्रचालन के लिए अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति की जानी है, उपर्युक्त फार्मेट में उनका विवरण, मात्रा, यूनिट एवं कुल मूल्य अलग से दर्शाते हुए एक सूची संलग्न करेगा।/If nothing to the contrary to this effect is mentioned under Section VII (Technical Specification and Quality Control Requirements), the bidder shall give list of spare parts for two years operation separately indicating description, quantity unit price and total price in the above format for those items whose scope of supply includes spare parts as per.

मास्टर परिपत्र  
प्रतिभूति एवं सह-स्वीकृति  
(पैराग्राफ 2.8) / MASTER CIRCULAR  
GUARANTEES & Co. ACCEPTENCES  
(Vide Paragraph 2.8)  
प्रतिभूति बंध-पत्र / GUARANTEE BOND

1. इस बात के प्रतिफल स्वरूप कि भारत के राष्ट्रपति हमारे अनुरोध पर उस नकद विक्षेप के बदले, जो \_\_\_\_\_ और \_\_\_\_\_ के बीच \_\_\_\_\_ की बाबत तारीख \_\_\_\_\_ को किए गए करार के (जिसे इसमें आगे "उक्त करार" कहा गया है) निबंधनों एवं शर्तों के \_\_\_\_\_ द्वारा \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक की अवधि के दौरान या यदि कोई अवधि बढ़ाई गई हो तो उस अवधि के दौरान सम्यक् रूप से पालन किए जाने के लिए \_\_\_\_\_ से अपेक्षित है। (संविदाकार/संविदाकारों) के अनुरोध पर इस बैंक लिमिटेड \_\_\_\_\_ की प्रतिभूति स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं, हम \_\_\_\_\_ बैंक (जिसे इसमें आगे \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम) बैंक कहा गया है) बचन देते हैं कि हम किसी ऐसी हानि या नुकसान के प्रति, जो उक्त \_\_\_\_\_ द्वारा उक्त करार के किसी निबंधन या शर्तों के किसी भंग के कारण सरकार को हुई है या उसका कारण बना है अथवा उसे होगा या वह उठाएगी, \_\_\_\_\_ रू0 (\_\_\_\_\_रू0) तक की राशि का संदाय भारत के राष्ट्रपति को (जिन्हें ओ इसमें "सरकार" कहा गया है) करेंगे / In consideration of the President of India (hereinafter called "the Government") having agreed to exempt \_\_\_\_\_ (hereinafter called "the said Contractor(s)"); from the demand, under the terms and conditions of an Agreement dated \_\_\_\_\_ made between \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_ for \_\_\_\_\_ (hereinafter called "the said Agreement"), of security deposit for the due fulfillment the said Contractor) of the terms & conditions contained in by the said Agreement, on production of a bank Guarantee for Rs. \_\_\_\_\_ (Rupees \_\_\_\_\_ only) We, \_\_\_\_\_ (hereinafter referred (indicate the name of the bank) to as "the Bank") at the request of \_\_\_\_\_ (contractor(s)) do hereby undertake to pay to the Government an amount not exceeding Rs. \_\_\_\_\_ against any loss or damage caused to or suffered or would be caused to or suffered by the Government by reason of any breach by the said Contractor(s) of any of the terms or conditions contained in the said Agreement.
2. हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम लिखें), यह बचनबंध करते हैं कि हम सरकार की केवल इस मांग पर की दावाकृत रकम उस हानि या नुकसान के कारण देय है तो उक्त \_\_\_\_\_ द्वारा उक्त करार के शर्तों के किसी भंग के कारण या उक्त करार के पालन में उक्त \_\_\_\_\_ के असफल रहने के कारण सरकार को हुआ है या उसने उठाया है अथवा उसे होगा या वह उठाएगी, बिना किसी आपत्ति के इस प्रतिभूति के अधीन देय और संदेय रकम का संदाय करेंगे। बैंक से की गई ऐसी मांग, जहाँ तक इस प्रत्याभूति के अधीन



हमारे द्वारा देय और संदेय रकम का संबंध है निश्चयक होगी, किन्तु इस प्रत्याभूति के अधीन हमारी बाध्यता \_\_\_\_\_ रू0 (\_\_\_\_\_ रू0) की, रकम तक सीमित रहेगी। हम \_\_\_\_\_ बैंक लिमिटेड सरकार को इस बात के लिए प्रोधिकृत करते हैं कि वह भारतीय रिजर्व बैंक के पास हमारे नकद और/या प्रतिभूतियों के निक्षेप में से उक्त रकम की वसूली उक्त बैंक से कर ले। \_\_\_\_\_ बैंक लिमिटेड के अनुरोध पर उक्त भारतीय रिजर्व बैंक, मांग की जाने पर, उक्त निक्षेपों में से ऐसी किसी रकम का संदाय सरकार को करने के लिए सहमत हो गया है जो संदाय की इस प्रत्याभूति के अधीन सरकार को संदेय हो जाए/We \_\_\_\_\_ (indicate the name of the bank) do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur, merely on the demand from the Government stating that the amount claimed is due by way of loss or damage caused to or would be caused to or would be caused to or suffered by the Government by reason of breach by the said contractor of any of the terms or conditions contained in the said Agreement or by reason of the contractors' failure to perform the said Agreement. Any such demand made on the bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under this guarantee. However, our liability under this guarantee shall be restricted to an amount not exceeding Rs. \_\_\_\_\_.

3. हम बचनबंध करते हैं कि संविदाकार (संविदाकारों)/पूर्तिकार (पूर्तिकारों) द्वारा उत्पन्न किसी विवाद या विवादों के होते हुए भी, मांग की गई किसी भी रकम का सरकार को संदाय करेंगे। किसी न्यायालय या अधिकरण में लंबित किसी मुकद्दमे या कार्यवाही में इस वर्तमान स्थिति के अन्तर्गत संबंधित हमारा उत्तरदायित्व निरपेक्ष एवं असंदिग्ध है।/We undertake to pay to the Government any money so demanded notwithstanding any dispute or disputes raised by the contractor(s), supplier(s). In any suit or proceeding pending before any court or tribunal relating thereto our liability under this present being absolute and unequivocal.

इस बंधपत्र के अंतर्गत हमारे द्वारा किया गया भुगतान, इसके अधीन भुगतान के लिए हमारे दायित्व से एक विधिमान्य उन्मोचन होगा एवं संविदाकार पूर्तिकार ऐसे भुगतान के लिए हमारे विरुद्ध कोई दावा नहीं कर पाएगा।/The payment so made by us under this bond shall be a valid discharge of our liability for payment thereunder and the contractor(s)/supplier(s) shall have not claim against us for making such payment.

4. हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम), यह भी करार करते हैं कि इसमें दी गई प्रतिभूति ऊपर निर्दिष्ट तारीख \_\_\_\_\_ तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है या यदि अवधि बढ़ाई गई है तो बढ़ाई गई अवधि की समाप्ति तक पूर्णतः प्रवृत्त और प्रभावी रहेगी और यह तब तक प्रवर्तनीय रहेगी जब तक सरकार को उक्त करार के अधीन या उसके आधार पर शोध्य सभी रकमों का पूर्णतः संदाय नहीं कर दिया जाता और उसके दावों की तुष्टि नहीं कर दी जाती या उन्हें उन्मोचित नहीं कर दिया जाता अथवा जब तक \_\_\_\_\_ कार्यालय/विभाग/मंत्रालय का यह प्रमाणित नहीं कर देता कि उक्त \_\_\_\_\_ ने उक्त करार के निबंधनों और शर्तों का पूर्णतः और उचित रूप से पालन किया है और तदनुसार प्रत्याभूति को उन्मोचित नहीं कर देता। यदि इस प्रत्याभूति के अधीन कोई लिखित मांग या दावा तारीख \_\_\_\_\_ तक या इससे पूर्व नहीं किया जाता है तो उसके पश्चात हम इस प्रत्याभूति के अधीन

सभी दायित्वों से उन्मोचित हो जाएंगे/ We, \_\_\_\_\_(indicate the name of bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said Agreement and that it shall continue to be enforceable till all the dues of the Government under or by virtue of the said Agreement have been fully paid and its claims satisfied or discharged or till \_\_\_\_\_ Office/Department/Ministry of \_\_\_\_\_ certifies that the terms & conditions of the said Agreement have been fully and properly carried out by the said contractor(s) and accordingly discharges this guarantee. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before the \_\_\_\_\_ we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम लिखें) सरकार से यह भी करार करते हैं कि हमारी सहमति के बिना और इसके (प्रत्याभूति बंध-पत्र के) अधीन हमारी बाध्यताओं पर किसी भी रीति से प्रभाव डाले बिना, सरकार को इस बात की पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वह उक्त करार के निबंधनों और शर्तों में से किसी में परिवर्तन करे या उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य पूरा किए जाने के समय को, समय-समय पर बढ़ा दे या उक्त ठेकेदार के विरुद्ध प्रयोग की जा सकने वाली शर्तों में से किसी को लागू करे या उनके लागू करने में प्रविरति रहे। ऐसे किसी परिवर्तन या उक्त ठेकेदार को और समय दिए जाने, या सरकार की ओर से किसी प्रविरति, कार्य या लोप अथवा उक्त ठेकेदार के प्रति सरकार द्वारा कोई उदारता बरती जाने के कारण अथवा अन्य किसी भी ऐसे विषय या बात के कारण जिसका प्रभाव यदि वह उपबंध न होता तो, प्रतिभूतियों से संबंधित विधि के अधीन हमें ऐसे दायित्वों से निमोर्चित करना होता, हम अपने दायित्वों से निर्मोचित नहीं होंगे।/ We, \_\_\_\_\_ (indicate the name of bank) further agree with the Government that the Government shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligation hereunder to vary any of the terms & conditions of the said Agreement or to extend time of performance by the said contractor(s) from time to time or to postpone for any time or from time to any of the powers exercisable by the Government against the said Contractor(s) and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the said agreement and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said Contractor(s) or for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the said Contractor(s) or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

6. \_\_\_\_\_ ठेकेदार (ठेकेदारों)/पूर्तिकर्ता (पूर्तिकर्ताओं) के बैंक के गठन में परिवर्तन होने के कारण यह प्रतिभूति मुक्त नहीं होगी/ This guarantee will not be discharged due to the change in the constitution of the bank or the Contractor(s)/Supplier(s).

7. हम \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम लिखें) अंत में यह बचनबंध करते हैं कि हम इस प्रत्याभूति के चालू रहने के दौरान इसे सरकार की \_\_\_\_\_ लिखित पूर्व सहमति के बिना प्रतिसंहृत नहीं करेंगे/ We,

\_\_\_\_\_ (indicate the name of bank) lastly undertake not to revoke this  
guarantee during its currency except with the previous consent of the Government in writing  
of \_\_\_\_\_

8. तारीख \_\_\_\_\_ (बैंक का नाम लिखें) के लिए / Dated the  
\_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_ for  
\_\_\_\_\_ (indicate the name of the bank)

**खण्ड—II —बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी)**  
**SECTION II – INSTRUCTION TO BIDDERS [ITB]**  
**खण्डों की तालिका / TABLE OF CLAUSES**

**क. प्रस्तावना / Introduction**

1. निधियों का स्रोत / Source of funds
2. वांछनीय माल एवं सेवाएँ / Eligible goods and services
3. बोली की कीमत / Cost of bidding

**ख. बोली संबंधी दस्तावेज / Bidding Documents**

4. बोली संबंधी दस्तावेज की विषय-वस्तु / Content of bidding documents
5. बोली संबंधी दस्तावेज का स्पष्टीकरण / Clarification of bidding documents
6. बोली संबंधी दस्तावेजों में संशोधन / Amendment of bidding documents

**ग. बोली तैयार करना / Preparation of Bids**

7. बोली की भाषा / Language of bid
8. बोली से संबंधित दस्तावेज / Documents constituting the bid
9. बोली प्रपत्र / Bid form
10. बोली की कीमत / Bid prices
11. बोली की मुद्राएँ / Bid currencies
12. भारतीय अभिकर्ता / Indian Agent
13. बोलीदाता की पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता दर्शाने वाले दस्तावेज / Documents establishing bidder's Eligibility and qualifications
14. माल की उपयुक्तता एवं बोली संबंधी दस्तावेज की पुष्टि करने वाले दस्तावेज / Documents establishing good's eligibility and conformity to bid documents
15. बोली की प्रतिभूति / Bid Security
16. बोली की वैधता अवधि / Period of validity of bids
17. बोली का फार्मट एवं बोली पर हस्ताक्षर करना / Format and signing of bid

**घ. बोली का प्रस्तुतीकरण / Submission of Bids**

18. बोली को मोहरबंद और चिन्हित करना / Sealing and marking of bids
19. बोलियों के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा / Deadlines for submission of bids
20. विलंब से प्राप्त होने वाली बोलियाँ / Late bids
21. बोलियों में परिवर्तन तथा उन्हें वापस लेना / Modification and withdrawal of bids

**ड. बोली खोलना एवं मूल्यांकन / Bid Opening and Evaluation**

22. क्रेता द्वारा बोलियों को खोलना / Opening of bids by purchaser
23. बोलियों का स्पष्टीकरण / Clarification of bids

24. बोलियों का प्रारंभिक परीक्षण—गैर अनुक्रियाशील, पर्याप्त अनुक्रियाशील एवं अनुक्रियाशील/Preliminary examination of bids-unresponsive, substantially responsive and responsive bids
  25. एकल मुद्रा में परिवर्तन/Conversion to single currency
  26. मूल्यांकन एवं बोलियों की तुलना/Evaluation and comparison of bids
  27. संविदा का पालन करने की बोलीदाता की क्षमता/Bidder's capability to perform the contract
  28. किसी बोली को स्वीकार करने एवं किसी बोली या सभी बोलियों को निरस्त करने का क्रेता का अधिकार/Purchaser's right to accept any Bid and to reject any or all Bids
  29. क्रेता से संपर्क करना/Contacting the purchaser
- च. संविदा देना/Award of Contract**
30. संविदा देने का मानदण्ड |/Award Criteria
  31. कार्य देते समय, इसकी मात्रा में विभिन्नता का क्रेता का अधिकार/Purchaser's right to vary quantities at the time of Award
  32. संविदा देने की अधिसूचना/Notification of Award
  33. संविदा पर हस्ताक्षर करना/Signing of Contract
  34. निष्पादन प्रतिभूति/Performance Security

**बोलीदाता के लिए निर्देश (आई टी बी)  
INSTRUCTIONS TO BIDDERS {ITB}  
क. प्रस्तावना / INTRODUCTION**

**1. निधियों का स्रोत / Source of funds**

1.1 इसके लिए होने वाला व्यय, अभिप्रेत क्रय आवश्यकताओं की अनुसूची में दिए गए क्रेता के नामों के साथ उपलब्ध निधियों से किया जाएगा / The expenditure to be incurred for this intended purchase will be met from the funds available with the purchaser named in the Schedule of Requirements. Hereinafter referred to as “the purchaser”

**2. पात्र बोलीदाता / Eligible bidders**

2.1 बोलियों का यह आमंत्रण उन सभी पूर्तिकारों के लिए खुला है जो इस दस्तावेज में शामिल पात्रता मानदण्ड और साथ ही साथ योग्यता मानदण्ड को पूरा करते हैं / This invitation for bids is open to all suppliers, who fulfil the eligibility Criteria as well as the qualification criteria, incorporated in this document.

**3. बोली की लागत / Cost of bidding**

3.1 नमूनों, रेखाचित्रों, साहित्यों आदि, यदि कोई हो, के साथ बोली की तैयारी एवं प्रस्तुतीकरण से संबंधित सभी लागत बोलीदाता स्वयं वहन करेगा। बोली की प्रक्रिया के संचालन एवं परिणाम का धान न देते हुए, किसी भी मामले में इस प्रकार की किसी लागत के संबंध में क्रेता उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा / The bidder shall bear all costs associated with the preparation and submission of its bid Including samples, drawings, literatures etc., if any. The purchaser will in no case be responsible or liable any such cost, regardless of the conduct or outcome of the bidding process.

**ख. बोली संबंधी दस्तावेज / B. THE BIDDING DOCUMENTS**

**4. बोली संबंधी दस्तावेज की विषय-सूची / Content of bidding documents**

4.1 आवश्यक माल, बोली की प्रक्रिया एवं संविदा की शर्तें बोली संबंधी दस्तावेज में दी गई हैं। बोली के आमंत्रण के साथ बोली संबंधी दस्तावेज में निम्नलिखित शामिल हैं। / The goods required, bidding procedures and contract terms are prescribed in the bidding documents. In addition to the Invitation for Bids, the bidding documents include:

- (क). बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी) / Instruction of Bidders (ITB)
- (ख). संविदा की सामान्य शर्तें (जी सी सी) / General Conditions of Contract (GCC)
- (ग). आवश्यकता अनुसूची / Schedule of Requirements
- (घ). तकनीकी विनिर्देशन एवं गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी अपेक्षाएँ / Technical Specification and Quality Control Requirements
- (ङ). प्रश्नावली / Questionnaire
- (च). बोली प्रपत्र एवं कीमत अनुसूची / Bid Form and Price Schedules
- (छ). बोली प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी / Bank Guarantee Form for Bid Security
- (ज). विनिर्माता का प्राधिकरण-प्रपत्र / Manufacturer's Authorization Form

(झ). निष्पादन प्रतिभूति के लिए बैंक गारंटी प्रपत्र / Bank Guarantee Form for Performance Security

(ञ). संविदा प्रपत्र / Contract Form

- 4.2 यदि किसी मामले में बोली दाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) एवं संविदा की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के अनुबंधों और आवश्यकताओं की अनुसूची के बीच कोई प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है तो आवश्यकताओं-अनुसूची में संयुग्मित अनुबंध, बोलीदाता के लिए अनुदेश और/या संविदा की सामान्य शर्तों के संबंधित अनुबंधों से अधिक मान्य होंगे / In case of any contradiction between the stipulations made in ITB & GCC and Schedule of Requirements, the stipulations incorporated in the Schedule of Requirements will prevail over the corresponding stipulations contained in the ITB and / or GCC.
- 4.3 बोलीदाता से अपेक्षा की जाती है कि वह बोली संबंधी दस्तावेज में दिए गए सभी अनुदेशों, प्रपत्रों एवं विनिर्देशनों की जांच कर लें, बोली संबंधी दस्तावेज में अपेक्षित सूचनाएँ न देना एवं ऐसी बोली को प्रस्तुत करना जो सभी मामलों में बोली संबंधी दस्तावेज के प्रति पर्याप्त अनुक्रियाशील न हो, बोलीदाता के जोखिम पर निर्भर होगा एवं इसके कारण यह बोली निरस्त भी की जा सकती है। / The bidder is expected to examine all instructions, forms, terms and specifications in the bidding documents. Failure to furnish all information required by the bidding documents or submission of a bid not substantially responsive to the bidding documents in every respect will be at the bidder's risk and may result in rejection of its bid.

## 5. बोली संबंधी दस्तावेजों का स्पष्टीकरण / Clarification of bidding documents

- 5.1 यदि कोई भावी बोलीदाता, बोली संबंधी दस्तावेज के संबंध में कोई स्पष्टीकरण चाहता है तो वह आवश्यकता-अनुसूची में दिए गए क्रेता के डाक पते पर लिखित में या टैलेक्स द्वारा या केबल द्वारा क्रेता को सूचना दे सकता है। यदि स्पष्टीकरण देने के लिए भेजा गया अनुरोध क्रेता के द्वारा दी गई बोली प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा से 21 दिन (इक्कीस दिन) पहले पहुँचता है तो क्रेता लिखित में इसका उत्तर देगा। क्रेता अपने विवके पर बोली संबंधी दस्तावेज प्राप्त करने वाले सभी बोलीदाताओं को इस पत्र-व्यवहार का संबंधित पाठ (पूछताछ का स्रोत बताए बिना) भेज सकता है / A prospective bidder requiring any clarification in connection with the bidding documents may notify the purchaser in writing or by telex or cable at the purchaser's mailing address indicated in the Schedule of Requirements. The purchaser will respond in writing to any request for clarification of the bidding documents which it receives no later than 21 (twenty one) days prior to the deadline for submission of bids prescribed by the purchaser. The purchaser, at its discretion, may send the relevant text of this correspondence (without identifying the source of inquiry) to all the prospective bidders, which have received the bidding documents.

## 6. बोली संबंधी दस्तावेजों का संशोधन / Amendment of bidding documents

- 6.1 बोली के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा के पूर्व किसी भी समय, किसी कारण के लिए क्रेता स्वयं अपने प्रयास से या किसी भावी बोली दाता द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण के प्रत्युत्तर में संशोधन द्वारा बोली संबंधी दस्तावेज में परिवर्तन कर सकता है / At any time prior to the deadline for submission of bids, the purchaser

may, for reason, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective bidder, modify the bidding documents by amendment.

- 6.2 संशोधन की सूचना लिखित में या टेलेक्स द्वारा या केबल से उन सभी भावी बोली दाताओं को भेजी जाएगी जिन्हें बोली संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुए हैं एवं जो इनसे आबद्ध रहेंगे / The amendment will be notified in writing or by telex or cable to all prospective bidders, which have received the bidding documents and will be binding on them.
- 6.3 संशोधन को ध्यान में रखते हुए अपनी बोली को तैयार करने के लिए भावी बोली दाताओं को उचित समय प्रदान करने के लिए क्रेता अपने विवेक पर बोली के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा एवं इस समय-सीमा के साथ संबंधित अन्य समबद्ध समय के ढाँचे को बढ़ा सकता है / In order to provide the prospective bidders with reasonable time in which to take the amendment into account in preparing their bids, the purchaser may, at its discretion, extend the deadline for the submission of bids and other allied time frame having linkage with that deadline.

### ग. बोली को तैयार करना / C. PREPARATION OF BIDS

#### 7. बोली की भाषा / Language of bid

- 7.1 बोली दाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली एवं सभी पत्र-व्यवहार एवं बोलीदाता और क्रेता के बीच विनिमय होने वाले बोली संबंधी दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में लिखे जाएंगे। बोलीदाता द्वारा दिए जाने वाले संबंधित दस्तावेज एवं मुद्रित साहित्य अन्य भाषाओं में भी लिखे जा सकते हैं बशर्ते कि इनके संबंधित उद्धरण का अंग्रेजी अनुवाद सभी साथ में दिया गया हो, परन्तु बोली के निर्वचन के उद्देश्य के लिए अंग्रेजी अनुवाद ही लागू होगा / The bid submitted by the bidder and all correspondence and documents relating to the bid exchanged by the bidder and the purchaser; shall be written in English language. Supporting documents and printed literature furnished by the bidder may be written in other languages, provided they are accompanied by an English translation of their relevant passages in which case, for the purpose of interpretation of the bid, the English translation shall govern.
- 7.2 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की गई बोली एवं सभी पत्र-व्यवहार एवं बोलीदाता और क्रेता के बीच विनिमय होने वाले बोली संबंधी दस्तावेज हिन्दी भाषा में भी लिखे जा सकते हैं बशर्ते कि इनका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ में दिया गया हो, परन्तु बोली के निर्वचन के उद्देश्य के लिए अंग्रेजी अनुवाद ही लागू किया जाएगा / The bid submitted by the bidder and all correspondence and documents relating to the bid exchanged by the bidder and the purchaser; may also be written in Hindi language, provided that the same is accompanied by an English translation, in which case, for the purpose of interpretation of the bid, the English translation shall govern.

#### 8. बोली से संबंधित दस्तावेज / Document constituting the bid

- 8.1 बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए / The bid submitted by the bidder shall comprise of the following documents:



- (क) बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्डों 9, 10 एवं 11 के अनुसार बोली प्रपत्र एवं मूल्य-अनुसूची / A bid form and a price schedule in accordance with ITB clauses 9, 10 and 11.
- (ख) बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 13 के अनुसार यह बात स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य कि बोलीदाता बोली देने के पात्र है एवं यदि उसकी बोली स्वीकार की जाती है तो वह संविदा निष्पादन कर सकते हैं / Documentary evidence established in accordance with ITB clause 13 that the bidder is eligible to bid and is qualified to perform the contract if its bid is accepted.
- (ग) बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 14 के अनुसार यह बात स्थापित करने वाले दस्तावेजी साक्ष्य कि बोलीदाता द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले माल एवं आनुबंगिक सेवाएँ बोली संबंधी दस्तावेज के अनुरूप है / Documentary evidence established in accordance with ITB clause 14 that the goods and ancillary services to be supplied by the bidder conform to the bidding documents.
- (घ) बोली अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 15 के अनुसार दी गई बोली प्रतिभूति / Bid security furnished in accordance with ITB clause 15.
- (ङ) विधिवत भरी हुई प्रश्नावलियाँ (बोली संबंधी दस्तावेज के साथ संलग्नक ..... के रूप में संलग्न) / The questionnaires (Attached as Annexure..... With the bidding documents) duly filled in.

**टिप्पणी / Note:** : यदि कोई बोली, उपर्युक्त अपेक्षाओं में किसी एक को पूरा नहीं करती एवं/या इस प्रकार की किसी अपेक्षाओं के लिए अस्पष्ट सूचना/सूचना/उत्तर देती है तो उसे गैर अनुक्रियाशील घोषित किया जा सकता है एवं संक्षेप में इसे निरस्त किया जा सकता है / Abid, which does not fulfil any of the above requirements and or gives evasive information/ reply against any such requirement, shall be liable to be declared unresponsive and summarily rejected.

## 9. बोली प्रपत्र / Bid form

- 9.1 बोलीदाता भाग IX/1 में बोली संबंधी दस्तावेज में दिए गए बोली प्रपत्र एवं उचित कीमत अनुसूची को पूरा भरेगा एवं अन्य बातों के साथ-साथ आपूर्ति किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण, उनके उद्भव देश, मात्रा एवं कीमत भी दर्शाएगा / The bidder shall complete the bid form and the appropriate price schedule furnished in the bidding documents in section IX/1, indicating, inter alia, for the goods to be supplied, a brief description of the goods, their country of origin, quantity and prices.

## 10 बोली कीमत / Bid Prices

- 10.1 बोलीदाता मूल्य सूची में माल की यूनिट कीमत एवं संविदा के अन्तर्गत बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित आपूर्ति किए जाने वाले माल की पूर्ण बोली कीमत दर्शाएगा। बोलीदाता आवश्यकताओं-अनुसूची में विनिर्दिष्ट बोलियाँ या किसी एक या अधिक अनुसूची को प्रस्तुत कर सकता है या किसी दोनों अनुसूची पर छूट का प्रस्ताव दे सकता है। यद्यपि बोलीदाता एकल उत्तरदायित्व आधार पर प्रत्येक अनुसूची के अन्तर्गत माल एवं सेवाओं की सम्पूर्ण आवश्यकताओं के लिए दर उद्धृत करेगा, ऐसा न करने पर ऐसी बोली (प्रश्न में अनुसूची के लिए) के मूल्यांकन तथा संविदा देने पर विचार नहीं किया जाएगा / The bidder shall indicate on the Price

Schedule the unit price and total bid prices of the goods it proposes to supply under the Contract. To this end, the Bidders, are allowed the option to submit Hie bids or any one or more schedule specified in the 'Schedule of Requirement' and to offer discounts for combined schedules, However, Bidders shall quote for the complete requirement of goods and services under each schedule on a single responsibility basis, failing which such bids (for the schedule in question) will not be taken into account for evaluation and will not be considered for award.

10.2 कीमत अनुसूची में दर्शाया गया मूल्य निम्नलिखित तरीके से अलग से दर्शाया जाएगा / Prices indicated on the price schedule shall be entered separately in the following manner

### **I. भारत में प्रस्तावित माल के लिए / For goods offered form within India**

- (क) सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और अन्य शुल्कों तथा बिक्री और अन्य करों के साथ कारखाने पर, शो रूम पर, गोदाम पर या शेल्फ पर, माल का उद्धृत किया गया मूल्य, जिसका भुगतान पहले ही किया जा चुका है या जो कारखाने पर माल के निर्माण या संयोजन में उपयोग किए गए घटकों और कच्ची सामग्री पर माल के उद्धृत किए गए मूल्य पर या शो रूम पर, गोदाम पर या शेल्फ पर विदेशी मूल के पूर्व आयातित माल पर उद्धृत किए गए मूल्य पर देय हो / The price of the goods, quoted ex-factory, ex-showroom, ex-warehouse or off-the-shelf, as applicable, including customs; excise and any other duties and sales and other taxes already paid or payable on the components and raw material used in the manufacture or assembly of the goods quoted ex-factory or on the previously imported goods of foreign origin quoted ex-showroom, ex-warehouse or off-the-shelf.
- (ख) यदि संविदा दी जानी है तो उत्पाद शुल्क के साथ सभी बिक्री या अन्य कर / शुल्क जो भारत में माल पर देय होगी / Any sales or other taxes/duties including excise duty, which will be payable on the goods in India if the contract is awarded.
- (ग) माल को उसके अंतिम गंतव्य स्थल पर सुपुर्दगी करने से संबंधित अन्तर्देशीय परिवहन, बीमा एवं अन्य स्थानीय लागत के लिए शुल्क / आवश्यकता-अनुसूची में अंतिम गंतव्य स्थल विनिर्दिष्ट है / Chares for inland transportation, insurance and other local costs incidental to delivery of goods to their final destination. The final destination is specified in the Schedule of Requirements.

### **और / and**

- (घ) आनुषंगिक सेवाओं एवं मूल्य, जैसा और यदि आवश्यकताओं की अनुसूची में सूचीबद्ध हो / The price of incidental services as and if listed in Schedule of Requirements.
- (ङ) लागत, कर, शुल्क, उद्ग्रहण आदि के कोई तत्व जिसे बोली में विनिर्दिष्ट रूप से दर्शाया नहीं गया हो, क्रेता द्वारा नहीं दिए जाएंगे / Any element of cost, taxes, duties, levies etc, not specifically indicated in the bid, shall not be paid by the purchaser.

### **II. विदेशों से प्रस्तावित माल के लिए / For goods offered from abroad**

- (क) माल कीमत में यदि कीमतों को केवल उद्धृत करते समय अलग आवश्यकताओं की अनुसूची में इसे विनिर्दिष्ट किया गया हो तो भारत में जी आई एफ पत्तन प्रवेश या भारत में सी आई पी द्वारा बताए गए गंतव्य स्थल

का उल्लेख होगा। बोलीदाता भारतीय मूल्य के भारतीय ध्वज वाले पोतों के माध्यम से या उस शिपिंग कान्फरेंस लाइन्स, जिसका भारत सदस्य है, के पोतों के माध्यम से समुद्री परिवहन करेगा।/इसी प्रकार, बोलीदाता किसी भी भारतीय राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी से बीमा सेवाएँ प्राप्त कर सकता है/The price of goods shall be quoted GIF port of entry in India or CIP named place of destination in India as and if specified in the Schedule of Requirements in quoting the prices; the bidder shall use ocean transportation through Indian flag vessels of Indian origin or through vessels of Shipping services form any nationalized insurance company in India.

- (ख). माल की कीमत में पोत-लदान के पोत-पर्यन्त निःशुल्क उद्धृत किया जाएगा, जैसा एवं यदि आवश्यकताओं की अनुसूची में इसे विनिर्दिष्ट किया गया हो।/The price of goods shall be quoted FOB port of shipment, as and if specified in the Schedule of Requirements.
- (ग). भारत के प्रवेश पत्तन से उनके अंतिम गंतव्य स्थल में माल की सुपुर्दगी करने से संबंधित अंतर्देशीय परिवहन, बीमा एवं अन्य स्थानीय लागत/अंतिम गंतव्य स्थल आवश्यकता की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है/Changes for inland transportation, Insurance and other local costs incidental to delivery of the goods from the port of entry in India to their final destination, which is specified in the Schedule of Requirements.
- (घ). आनुषंगिक सेवाओं की कीमत जैसा एवं यदि आवश्यकता की अनुसूची में सूचीबद्ध है/The price of incidental services as and if listed in the Schedule of Requirements.
- (ङ). लागत, कर, शुल्क, उद्ग्रहण आदि के तत्व जिन्हें बोली में विनिर्दिष्ट रूप से नहीं दर्शाया गया है, क्रेता द्वारा नहीं दिए जाएंगे/Any element of cost, taxes, duties, levies etc. not specifically indicated in the bid, shall not be paid by the purchaser.
- 10.3 एफओबी (पोत पर्यन्त निःशुल्क), सी आई एफ, सी आई पी आदि शब्द अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल, पेरिस द्वारा प्रकाशित इन्कोटर्म्स के वर्तमान प्रकाशन में निर्धारित नियम विनियम के अनुसार लागू होंगे/ The terms FOB, CIF, CIP etc, shall be governed by the rules & regulations prescribed in the current edition of INCOTERMS, published by the international Chamber of Commerce, Paris
- 10.4 उपर्युक्त बोलीदाता के लिए अनुदेश खण्ड 10.2 के अनुसार क्रेता द्वारा बोलीदाता के कीमत घटकों का पृथक्करण केवल बोलियों की तुलना को सुविधाजनक करने के उद्देश्य से किया जाएगा एवं यह किसी भी प्रकार, किसी भी प्रस्तावित शर्तों पर क्रेता के संविदा पर अधिकार को सीमित नहीं करेगा/ The bidder's separation of the price components in accordance with ITB clause 10.2 above will be solely for the purpose of facilitating the comparison of bids by the purchaser and will not in any way limit the purchaser's right to contract on any of the terms offered.
- 10.5 बोलीदाता द्वारा उद्धृत कीमत संविदा चालू रहने की अवधि में स्थिर एवं नियत रहेगी और किसी भी स्थिति में इसमें परिवर्तन नहीं होगा जब कि अन्यथा आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट न हो, यदि आवश्यकताओं की अनुसूची नियत-कीमत की बोली के लिए दी गई है एवं यदि बोली समायोज्य कीमत कोटेशन के साथ प्रस्तुत की जाती है तो बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी) के खण्ड 23 के अनुसार यह गैर-अनुक्रियाशील समझी जाएगी एवं निरस्त कर दी जाएगी/Prices quoted by the bidder shall remain

firm and fixed during the currency of the contract and not subject to variation on any account, unless otherwise specified in the Schedule of Requirements if the requirement is for a fixed price bid, a bid submitted with an adjustable price quotation will be treated as non-responsive and rejected, pursuant to ITB clause 23.

## 11. बोली की मुद्रा / Bid currencies

11.1 घरेलू माल के लिए कीमत केवल भारतीय रुपये में उद्धृत की जाएगी। भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि देय हो, तो बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) की खण्ड संख्या 12.2 यथा विनिर्दिष्ट भारतीय रुपये में उद्धृत किए जाएंगे, आयातित माल की कीमत अलग से भारतीय रुपये में या जहाँ का माल है उस देश की मुद्रा में उद्धृत किए जाएंगे। ऐसी बोलियाँ जिनमें कीमतों को किसी अन्य तरीके से उद्धृत किया गया हो, गैर-अनुक्रियाशील मानी जाएंगी एवं निरस्त कर दी जाएंगी / For domestic goods prices shall as quoted in Indian rupees only. Commission of Indian Agent, if payable, shall be quoted in Indian Rupees only in a manner as specified in ITB Clause No.12.2 For imported goods prices shall be quoted other in Indian rupees or in the currency of the country of origin of goods. Bids, where prices are quoted in any other way shall be treated as non-responsive and rejected.

## 12 भारतीय अभिकर्ता (एजेंट) / Indian Agent

12.1 यदि विदेशी बोलीदाता अपनी बोली के संबंध में भारत में कोई अभिकर्ता नियुक्त करता है तो बोली जारी करने के लिए निम्नलिखित सूचनाएँ देने की आवश्यकता होगी / If a foreign bidder has engaged an agent in India in connection with its bid, it will be required to give the following information issue bid:

- (i) भारतीय अभिकर्ता का नाम एवं पता और उनकी स्थायी आयकर संख्या / The name and address of the Indian agent with their permanent income tax number.
- (ii) अभिकर्ता द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का विवरण / The details of the services the agent will render
- (iii) अभिकर्ता के लिए परिश्रमिक की रकम जिसमें बोली कीमत का पोत-पर्यन्त निःशुल्क (एफओबी) घटक भी शामिल हो / The amount of remuneration for the agent, included in the FOB component of the bid price.

12.2 एजेंसी का कमीशन, कीमत-अनुसूची में इसके लिए दिए गए स्थान में दर्शाया जाय एवं संविदा देने की तारीख पर लागू दर पर तार अंतरणादेश विनिमय की क्रय दर का उपयोग करते हुए बोलीदाता के अभिकर्ता को भारतीय रुपये में दिया जाएगा एवं इसमें आगे किसी तरह विनिमय परिवर्तन नहीं किया जाएगा / The agency commission shall be indicated in the space provided for in the price schedule and will be paid to the bidder's agent in Indian rupees using the telegraphic transfer buying rate of exchange ruling on the date of award of contract and shall not be subject to any further exchange variation.

## 13. बोलीदाता की पात्रता एवं योग्यता निर्धारित करने वाले दस्तावेज / Documents establishing bidder's eligibility and qualifications

13.1 बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी) के खण्ड 8 के अनुसरण में बोलीदाता बोली के भाग के रूप में बोली के लिए अपनी पात्रता निर्धारित करने वाले दस्तावेज संलग्न करेगा एवं यदि इसकी बोली स्वीकार की जाती है

तो संविदा के निष्पादन के संबंध में इसकी योग्यता निर्धारित करने वाली दस्तावेज भी संलग्न करेगा/Pursuant to ITB clause 8, the bidder shall furnish, as part of its bid, documents establishing the bidder's eligibility to bid and its qualifications to perform the contract if its bid is accepted.

13.2 यदि बोली स्वीकार कर ली जाती है तो संविदा का निष्पादन करने संबंधी बोलीदाता की योग्यता के दस्तावेजी साक्ष्य क्रेता की संतुष्टि के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे/The documentary evidence of the bidder's qualifications to perform the contract if its bid is accepted, shall establish to the purchaser's satisfaction:

- (क). कि यदि संविदा के अंतर्गत कोई बोलीदाता ऐसे माल का प्रस्ताव दे रहा है, जिसका निर्माण बोलीदाता ने नहीं किया है या जो अन्यथा उत्पादित है, तो माल के विनिर्माता या उत्पादक द्वारा भारत के अन्दर माल की आपूर्ति करने के लिए बोलीदाता को विधिवत प्राधिकृत (खण्ड viii/3 में प्राधिकरण प्रपत्र के अनुसार) किया गया हो/that, in the case of a bidder offering to supply goods under the contract which the bidder did not manufacture or otherwise produce, the bidder has been duly authorized (as per authorization form in section VII/3) by the good's manufacturer or producer to supply the goods in India.
- (ख). कि संविदा का निष्पादन करने के लिए बोलीदाता के पास आवश्यक वित्तीय, तकनीकी एवं उत्पादन क्षमता है एवं साथ ही यह आवश्यकताओं की अनुसूची में दर्शाए गए मानदण्डों को पूरा करता है/that the bidder has financial, technical and production capability necessary to perform the contract and, also, it meets the criteria indicated in the Schedule of Requirements.
- (ग). कि यदि बोलीदाता भारत में कोई व्यापार नहीं कर रहा है तो बोलीदाता को भारत के किसी ऐसे अभिकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाय या करना होगा (यदि सफल हो) जो संविदा की शर्तों एवं/या तकनीकी विनिर्देशन द्वारा निर्धारित पूर्तिकार के अनुरक्षण, मरम्मत एवं अतिरिक्त पुर्जों का स्टॉक रखने का दायित्व वहन करने में सक्षम हो एवं लैस हो।/that, in the case of a bidder not doing business in India, the bidder is or will be (if successful) repre-sented by an agent in India equipped and able to carry out the supplier's maintenance, repair and spare parts stocking obligations prescribed by the conditions of contract and/or technical Specifications
- (घ). कि ऐसे अभिकर्ता, उपर्युक्त सब पैरा "ग" के संदर्भ में) भारतीय अभिकर्ताओं के अनिवार्य भर्ती सूचीयन के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के साथ सूचीबद्ध हों।/that such as agent (w.r. to sub-para c above) is enlisted with Directorate General of Supplies & Disposals, Jeevan Tara Building, Sansad Marg, New Delhi-110 001, under the scheme of Ministry of Finance, Govt. of India for compulsory enlistment of Indian Agents<sup>७</sup>
- (ङ). यदि कोई अभिकर्ता अपनी बोली में एक से अधिक विनिर्माताओं की ओर से कोटेशन प्रस्तुत करता है तो ऐसे प्रत्येक कोटेशन के लिए प्रत्येक बोली के साथ एक बोली प्रपत्र एवं बोली प्रतिभूति और संबंधित विनिर्माता द्वारा प्राधिकार प्रपत्र का होना आवश्यक है अन्यथा ऐसे सभी कोटेशन को गैर-अनुक्रियाशील मानकर निरस्त कर दिए जाएंगे।/If an agent in its bid submits quotations on behalf of more than one manufacturer, it is

necessary that each such bid is accompanied by a separate bid form and bid security for each such quotation and authorization form the respective, manufacturer (as per authorization form in section VII/3). Other-wise all such quotations will be rejected as non-responsive.

**14. माल की उपयुक्तता एवं बोली संबंधी दस्तावेज की पुष्टि करने वाले दस्तावेज / Documents establishing good's eligibility and conformity to bidding document.**

14.1 खण्ड 8 के अनुसरण में, बोलीदाता बोली के एक भाग के रूप में ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करेगा जो संविदा के अन्तर्गत बोलीदाता द्वारा आपूर्ति के लिए प्रस्तावित माल एवं सेवाओं के संबंध में बोली संबंधी दस्तावेजों की पुष्टि एवं इसकी उपयुक्तता निर्धारित करते हों। / Pursuant to clause 8, the bidder shall furnish, as part of its bid, documents establishing the eligibility and conformity to the bidding documents of all goods and services which the bidder proposes to supply under the contract.

14.2 माल एवं सेवाओं की उपयुक्तता से संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य में, प्रस्तावित माल एवं सेवाओं के उद्भव के देश, कीमत अनुसूची में एक विवरण होगा, जिसकी पुष्टि, लदान के समय जारी किए गए उद्भव प्रमाण-पत्र से की जाएगी। / The documentary evidence for eligibility of the goods and services shall consist of a statement in the price schedule, about the country of origin of the goods and services offered which shall be confirmed by a certificate of origin issued at the time of shipment.

14.3 माल एवं सेवाओं की बोली संबंधी दस्तावेजों से पुष्टि का दस्तावेजी साक्ष्य साहित्य, रेखाचित्रों, आँकड़ों आदि के रूप में हो सकता है एवं इसमें निम्नलिखित दस्तावेज होंगे / The documentary evidence of conformity of the goods and services to the bidding documents may be in the form of literature, drawings, data etc. and shall consists of:

(क). माल के आवश्यक तकनीकी एवं निष्पादन गुणों का एक विस्तृत विवरण। / detailed description of the goods's essential technical and performance characteristics,

(ख). सभी अतिरिक्त पूर्जों, विशिष्ट औजारों आदि के उपलब्ध स्रोतों एवं वर्तमान कीमतों के साथ पूरा विवरण देने वाली एक सूची, जो कि क्रेता द्वारा इस माल का उपयोग आरंभ करने की अवधि के 2 वर्ष या अधिक (यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट है) की अवधि के लिए इसके उचित एवं लगातार कार्यचालन के लिए आवश्यक है। / a list giving full particulars, including available sources and current prices, of all spare parts, special tools, etc., necessary for the proper and continuing functioning of the goods for a period of two years (or more, if specified in the schedule) following commencement of the use of the goods by the purchaser;

(ग). 'तकनीकी विनिर्देशन' के उपबंधों में परिवर्तनों और अपवादों का विवरण या उन विनिर्देशनों के माल एवं सेवाओं की महत्वपूर्ण अनुकूलता का प्रदर्शन करने वाले क्रेता के 'तकनीकी विनिर्देशन' पर एक खण्ड-दर-खण्ड व्याख्या। / a clause-by-clause commentary on the purchaser's 'Technical Specifications' demonstrating substantial responsiveness of the goods and services to those specifications or a statement of deviations and exceptions to the provisions of the 'Technical Specifications':

14.4 बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के उपर्युक्त खण्ड 14.3 ग में व्याख्या के प्रयोजनार्थ बोलीदाता, कर्मकौशल, वस्तु एवं उपस्कर को मानक एवं ब्रांड के नाम या सूचीपत्र संख्या का संदर्भ, यदि क्रेता द्वारा इसके

‘तकनीकी विनिर्देशन’ में उल्लिखित है, तो यह केवल उदाहरण के तौर पर विवरणीय होंगे एवं इनसे संबंधित कोई बाध्यता या प्रतिबंध नहीं होगा। बोलीदाता अपनी बोली में वैकल्पिक स्तरों, ब्रांड के नाम एवं/या सूचीपत्र संख्या का सदर्थ, यदि क्रेता द्वारा इसके तकनीकी विनिर्देशन में उल्लेखित है तो यह केवल उदाहरण के तौर पर विवरणीय होंगे एवं इनसे संबंधित कोई वाध्यता या प्रतिबंध नहीं होगा/बोली दाता अपनी बोली में वैकल्पिक स्तरों ब्रांड के नाम एवं/या सूचीपत्र संस्थान को प्रतिस्थापित कर सकता है बशर्ते कि क्रेता इस बात से संतुष्ट हो कि प्रतिस्थापित माल, ‘तकनीकी विनिर्देशन’ में उल्लिखित माल के पर्याप्त समतुल्य या अपेक्षाकृत अधिक उपर्युक्त हैं।/For purposes of the commentary to be furnished to ITB clause 14.3c above, the bidder shall note that the standards of workmanship, material and equipment and references to brand names or catalogue numbers. If any designated by the purchaser in its ‘Technical Specifications’ are instanced to be descriptive only and not restrictive. The bidder may substitute alternative standards, brand names and/or catalogue numbers in its bid, provided that demonstrates to the purchaser’s satisfaction that the substitutions are substantially equivalent or superior to those mentioned in the ‘Technical Specification’

### 15. बोली प्रतिभूति / Bid Security

- 15.1 खण्ड 8 के अनुसरण में, बोलीदाता अपनी बोली के भाग के रूप में, आवश्यकताओं की सूची में विनिर्दिष्ट राशि, बोली प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।/Pursuant to clause 8, the bidder shall furnish as part of its bid, a bid security of an amount specified in the Schedule of Requirements.
- 15.2 क्रेता को जोखिम या बोलीदाता के व्यवहार से बचाने के लिए बोली प्रतिभूति की आवश्यकता होती है जो बोलीदाता के लिए अनुदेश के खण्ड के अनुसरण में प्रतिभूति की जब्ती का आश्वासन देती है।/The bid security is required to protect the purchaser against risk or bidder’s conduct, which would warrant the security’s forfeiture, pursuant to ITB clause
- 15.3 बोली प्रतिभूति, बोली की मुद्रा या भारतीय रुपये में अंकित की जाएगी एवं यह निम्नलिखित में से किसी एक रूप में होगी/ The bid security shall be denominated in the currency of the bid or in Indian Rupees and shall be in one of the following forms:
- (क). भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो क्रेता के संगठन के मनोनीत अधिकारी के पक्ष में देय एवं क्रेता द्वारा आवश्यकताओं की अनुसूची में दर्शाए गए स्थान पर देय हों।/Demand draft on a scheduled commercial bank in India, drawn in favour of the designated officer of the purchase organization and payable at a place as indicated by the purchaser in the Schedule of Requirements.
- (ख). भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या विदेशी बैंक के द्वारा जारी बैंक गारंटी, जिसकी विधित पुष्टि खण्ड vii/2 के अन्तर्गत बोली दस्तावेज में दिए गए प्रपत्र में भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा की गई हो एवं बोली की वैधता की तारीख के 45 दिनों बाद तक वैध होगी।/A bank guarantee, issued by a scheduled commercial bank in India or a bank abroad, duly confirmed by a scheduled commercial bank in India in the form provided in the bidding documents under section VII/2 and valid for 45 days beyond the validity of the bid.

- 15.4 बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 24 के अनुसरण में यदि बोलीदाता द्वारा प्राप्त किसी बोली में बोलीदाता के लिए अनुदेश के खण्ड 15.1 एवं 15.3 के अनुसार बोली प्रतिभूति न हो तो वह क्रेता द्वारा गैर-अनुक्रियाशील मानकर निरस्त कर दी जाएगी।/Any bid from a bidder, not secured in accordance with ITB clause 15:1 and 15.3 will be summarily rejected by the purchaser, as non-responsive, pursuant to ITB clause 24.
- 15.5 बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 16 के अनुसरण में क्रेता द्वारा निर्धारित बोली की वैधता की अवधि समाप्त हो जाने के बाद असफल बोलीदाताओं की बोली प्रतिभूति को जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी चुका/लौटा दी जाएगी, परन्तु किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के न होने पर इसमें संविदा देने के 45 दिनों से अधिक का विलंब नहीं होगा।/Unsuccessful bidders' bid security will be discharged/returned as promptly as possible after the expiration of the period of bid validity prescribed by the purchaser, pursuant in ITB clause 16, but, barring any unforeseen circumstances, not later than 45 days of the award of contract.
- 15.6 सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति, बोलीदाता के लिए अनुदेश के खण्ड 33 के अनुसरण में बोलीदाता द्वारा संविदा पर हस्ताक्षर करने एवं स्वीकार करने पर एवं आईटीबी के खण्ड 34 के अनुसरण में निष्पादन प्रतिभूति देने पर चुका/लौटा दी जाएगी।/The successful bidder's bid security will be discharged/returned upon the bidder, signing and accepting the contract pursuant to ITB clause 33 and furnishing the performance security, pursuant to ITB clause 34.
- 15.7 बोली प्रतिभूति निम्नलिखित परिस्थितियों में जब्त की जा सकती है /The bid security may be forfeited:
- (क). जब कोई बोलीदाता /if a bidder:
- (1). बोली प्रपत्र में बोलीदाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली की वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है या बोली में किसी प्रकार की कमी रह जाती है /withdraws its bid or impairs or derogates from the bid in any respect during the period of bid validity specified by the bidder on the bid form: or
- या /or**
- (2). बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 24.2 के अनुसरण में त्रुटियों के सुधार को स्वीकार नहीं करता है।/does not accept the correction of errors pursuant to ITB clause 24.2
- (ख). सफल बोलीदाता के मामले में ,यदि बोलीदाता /hi the case of successful bidder, if the bidder fails:
- (1) बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 33 के अनुसार संविदा को स्वीकार करने एवं उस पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है /to accept and sign the contract in accordance with ITB clause 33; or
- या /or**
- (2). बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 34 के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति देने में असफल रहता है /to furnish performance security in accordance with ITB clause 34.

## **16. बोली की वैधता अवधि / Period of validity of bids**

- 16.1 बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 19 के अनुसरण में, क्रेता द्वारा निर्धारित बोली के प्रस्तुतीकरण की तारीख के बाद 90 (नब्बे) दिनों तक बोली स्वीकृति के लिए वैध होगी। कम अवधि की वैधता वाली बोली,



क्रेता द्वारा गैर-अनुक्रियाशील मानते हुए निरस्त कर दी जाएगी।/Bids shall remain valid for acceptance for 90 (ninety) days after the date of bid submission prescribed by the purchaser, pursuant to ITB clause 19. A bid valid for a shorter period shall be rejected by the purchaser as non-responsive.

- 16.2 कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों में क्रेता बोलीदाता की स्वीकृति या किसी विनिर्दिष्ट अवधि तक बोली वैधता की अवधि के विस्तार की मांग कर सकता है। इस प्रकार का अनुरोध एवं इसका उत्तर लिखित में होगा (या फेसीमाइल या केवल या टेलेक्स द्वारा, जिसके साथ पुष्टि की एक हस्ताक्षरित प्रति होगी)। बोलीदाता के लिए अनुदेश के खण्ड 15 के अन्तर्गत दी गई बोली प्रतिभूति का उपयुक्त रूप से विस्तार किया जाएगा। किसी बोलीदाता द्वारा ऐसा अनुरोध अस्वीकार करने पर इसकी बोली प्रतिभूति जब्त नहीं की जाएगी। हालांकि इस अनुरोध को स्वीकार करने पर भी बोलीदाता को अपनी बोली में परिवर्तन करने की आवश्यकता या अनुमति नहीं होगी।/in exceptional circumstances, the purchaser may solicit the bidder's consent of an extension of the period of bid validity up to a specified period. The request and the response thereto shall be made in writing (or by facsimile or cable or telex, which will be followed by a signed confirmatory copy simultaneously). The bid security provided under ITB clause 15 shall also be suitably extended. A bidder may refuse the request without forfeiting its bid security. However, a bidder agreeing to the request will not be required nor permitted to modify its bid.
- 16.3 यदि बोली की वैधता की अंतिम तारीख क्रेता के लिए छुट्टी का दिन घोषित हो जाय तो स्वतः रूप से बोली उस संगठन के अगले कार्य दिवस तक के लिए वैध हो जाएगी।/if the date up to which the bid is to remain valid happens to be a closed holiday for the purchaser, the bid shall automatically remain valid up to the next working day of that organization

### **17. बोली का प्रारूप एवं उस पर हस्ताक्षर करना / Format and signing of bid**

- 17.1 बोलीदाता अपनी बोली दो प्रतियों में तैयार करेगा, एक में स्पष्ट रूप से "बोली की मूल प्रति" और दूसरे में "बोली की दूसरी प्रति" लिखेगा। इन दोनों प्रतियों में किसी विसंगति के होने पर बोली की मूल प्रति मान्य होगी।/The bidder shall prepare two copies of the bid, clearly making them "Original Bid" and "Duplicate copy of Bid" respectively. In the event of any discrepancy between them, the original shall govern.
- 17.2 बोली की मूल प्रति एवं दूसरी प्रति अमि्त स्याही से टंकित या लिखी होनी चाहिए एवं बोलीदाता या बोलीदाता को संविदा से जुड़ने वाले किसी प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। असंशोधित मुद्रित साहित्य को छोड़कर शेष सभी संशोधित पृष्ठों पर/बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों के आद्याक्षर होंगे।/The original and the copy of the bid shall be typed or written in indelible ink and shall be signed by the bidder or a person or persons duly authorized to bind the bidder to the contract. All pages of the bid, except for unamended printed literature, shall be initialed by the person or persons signing the bid.
- 17.3 बोली में किसी भी प्रकार का अंतरा रेखन, अपमार्जन या अतिलेखन तभी वैध माना जाएगा जब उन पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आद्याक्षर होंगे।/Any interlineations, erasures or

overwriting in the bid shall be valid only if they are initialed by the person or persons signing the bid.

- 17.4 बोली दस्तावेजों के पहले पृष्ठ को जिसमें दस्तावेज को बेचने/भेजने वाले अधिकारी (क्रेता के संगठन) का दिनांक सहित हस्ताक्षर के साथ एवं कार्यालय की मोहर हो, बोली की मूल प्रति के साथ बोलीदाता द्वारा मूल रूप में लौटानी होगी, ऐसा न करने की स्थिति में बोली को अस्वीकृत किया जा सकता है।/The front page of the bidding documents, containing the signature with date of the official (of the purchase organization ) selling/dispatching the documents and the seal of that office must be returned in original by the bidder along with the original copy of the bid, failing which the bid is liable to be ignored.

#### घ. बोलियों का प्रस्तुतीकरण / SUBMISSION OF BIDS

##### 18. बोलियों को मोहरबंद एवं चिह्नित करना / Sealing and marking of bids

- 18.1 बोलीदाता, की मूल प्रति एवं दूसरी प्रति दो अलग-अलग लिफाफों में मोहरबंद करेगा एवं उन पर क्रमशः "मूल प्रति" एवं "दूसरी प्रति" लिखेगा। इसके बाद इन लिफाफों को एक और लिफाफे में डालकर मोहरबंद करना होगा। (यदि आवश्यकता-अनुसूची के किसी विनिर्दिष्ट अनुबंध के अनुसार इसकी दो से अधिक प्रतियों की आवश्यकता हो तो बोली की प्रतियाँ तदनुसार जैसे "मूल प्रति", "दूसरी प्रति", "तीसरी प्रति" एवं इसी प्रकार आगे भी चिह्नित किया जाएगा।/The bidder shall seal the original and the duplicate copy of the bid in separate envelopes, duly marking the envelopes as "Original" and "Duplicate" respectively. These envelopes shall then be sealed in an outer envelope. (In case more than two copies are required as per specific stipulation in the Schedule of Requirements, the copies I of the bids shall be marked accordingly, like "Original" "Duplicate", "Triplicate" and so on. Each copy of the bid shall be sealed in a separate envelope and these envelopes shall then be sealed in an outer envelope)
- 18.2 अंदरूनी एवं बाह्य लिफाफे / The inner and outer envelopes shall be:
- (क). आवश्यकताओं-अनुसूची में दिए गए क्रेता के पते को संबोधित होंगे।/Addressed to the purchaser at the address given in the Schedule of Requirements.
- (ख). इसमें बोली आमंत्रण (आईएफबी) संख्या एवं --- से लिखा जाय (यहाँ बोली तारीख पत्र में यथा विनिर्दिष्ट, बोली खोलने का समय एवं तारीख दर्शाया जाएगा)।/bear the invitation for bids (IFB) number and the words "DO NOT OPEN BEFORE.....(\* The time and date of bid opening, as specified in the Bid Date Sheet shall be indicated here).
- 18.3 प्रत्येक आन्तरिक लिफाफे में बोलीदाता का नाम एवं पता लिखा होगा। जिससे यदि बोली को "विलंब" घोषित किया जाता है या बोली का आमंत्रण (आईएफबी) निरस्त किया जाता है तो बोली बिना खोले लौटाई जा सके।/Each inner envelope shall indicate the name and address of the bidder to enable the bid to be returned unopened in case it is declared "late" or if the invitation of bids (IFB) is cancelled.
- 18.4 यदि बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड के अनुसार बाह्य लिफाफे को मोहर बंद या चिह्नित नहीं किया गया है।/If the outer envelope is not sealed and marked as required by ITB clause

18.5 बोली पत्र के खो जाने या समय से पूर्व खुलने के लिए क्रेता जिम्मेदार नहीं होगा।/the purchaser will not assume any responsibility for the bid's misplacement or premature opening.

18.6 टेलीग्राम, टेलेक्स, केबल या फेसीमारक द्वारा भेजी गई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी एवं निरस्त कर दी जाएगी।/Bids sent by Telegram, Telex, cable or facsimile are not acceptable and will be rejected.

## 19. बोली प्रस्तुत करने की समय सीमा /Deadline for submission of bids

19.1. बोली के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 18.2 के अन्तर्गत बोली विनिर्दिष्ट पते पर, आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय एवं तारीख तक क्रेता के पास पहुँच जानी चाहिए एवं क्रेता इसके लिए एक रसीद (जिसमें अन्य बातों के साथ प्राप्ति का समय एवं तारीख भी लिखी हो) देगा। यदि विनिर्दिष्ट तारीख क्रेता के लिए कोई अवकाश दिवस घोषित हो जाता है तो बोली अगले कार्य दिवस को निर्धारित समय तक प्राप्त की जाएगी। यदि आवश्यकताओं की अनुसूची से "निविदा पेटी" के द्वारा आवती प्राप्त होती है तो बोली को तदनुसार आवश्यकता अनुसूची में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।/Bids must be received by the purchaser at the address specified under ITB clause 18.2 not later than the time and date specified in the Schedule of Requirements and the purchaser will provide a receipt (inter alia containing time and date of receipt) for the same. If that specified date happens to be a closed holiday for the purchaser, the bids will be 'received up to the appointed time on the next working day. If the Schedule of Requirements provides for receipt of bids through "tender box", the bids shall be submitted accordingly as per the instruction given in the Schedule of Requirements.

19.2. क्रेता, अपने विवेक पर बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 6 के अनुसार बोली संबंधी दस्तावेजों में संशोधन करते हुए बोली के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा बढ़ा सकता है, ऐसे मामले में क्रेता एवं बोलीदाता के अधिकार एवं बाध्यता जो पूर्व समय-सीमा के अधीन थे अब नई विस्तारित समय-सीमा के अधीन होंगे।/The purchaser may, at its discretion, extend this deadline for the submission of bids by amending the bidding documents in accordance with ITB clause 6, in which case all rights and obligations of the purchaser and bidders previously subject to the deadline will thereafter be subject to the deadline as extended.

## 20. देर से पहुँचने वाली बोलियाँ /Late bids

20.1 बोली प्रस्तुत करने संबंधी क्रेता द्वारा निर्धारित समय-सीमा के बाद बोली प्राप्त होने पर बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 19 के अनुसार इसे निरस्त कर दिया जाएगा एवं या बोलीदाता को लौटा दिया जाएगा।/Any bid received by the purchaser after the deadline for submission of bids prescribed by the purchaser, pursuant to ITB clause 19, will be rejected and or returned to the bidder.

## 21. बोलियों में परिवर्तन या बोली वापस लेना /Modification and withdrawal of bids

21.1 बोलीदाता अपनी बोली प्रस्तुत करने के बाद इसमें परिवर्तन या इसे वापस ले सकता है बशर्ते कि बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा के पहले इनमें परिवर्तन या वापसी की लिखित सूचना क्रेता को प्राप्त हो जाय।/The bidder may modify or withdraw its bid after submitting the same, provided that written

notice of the modification or withdrawal is received by the purchase prior to the deadline prescribed for submission of bids.

- 21.2 बोलीदाता द्वारा बोली में परिवर्तन या बोली वापस लेने की सूचना बोलीदाता के लिए अनुदेश के खण्ड 18 के उपबंध के अनुसार मोहरबंद तैयार, करके उस पर चिह्नित करके भेजी जाएगी, वापसी की सूचना टेलेक्स या केबल या फेसिमाइल के द्वारा भी भेजी जा सकती है, परन्तु इसके साथ एक हस्ताक्षरित पुष्टिकरण की प्रति भी भेजी जानी चाहिए। बोली पर बोलियों के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा के बाद की डाक की मोहर नहीं होनी चाहिए।/The bidders modification or withdrawal notice shall be prepared sealed, marked and dispatches in accordance with the provisions of ITB clause 18,A withdrawal notice may also be sent by telex or cable or facsimile, but the same must be followed by a signed confirmation copy. Postmarked not later than the deadline for submission of bids.
- 21.3 बोलियों के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा के बाद किसी भी बोली में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।/No bid may be modified subsequent to the deadline for submission of bids.
- 21.4 बोली प्रपत्र में बोली दाता द्वारा विनिर्दिष्ट बोली के प्रस्तुतीकरण की समय-सीमा एवं बोली की वैधता की अवधि की समाप्ति के बीच की मध्यावधि में किसी भी बोली को वापस नहीं लिया जा सकता है। इस मध्यावधि में बोली वापस लेने पर बोलीदाता के लिए अनुदेश के खण्ड 15.7 के अनुसरण में बोलीदाता की प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।/No bid may be withdrawn in the interval between the deadline for submission of bids and the expiration of the period of bid validity specified by the bidder in are bid form. Withdrawal of a bid during this interval may result in forfeiture of the bidder's security pursuant to ITB clause 15.7

## ड. बोली खोलना एवं बोली का मूल्यांकन / BID OPENING AND BID EVALUATION

### 22. क्रेता द्वारा बोली खोलना / Opening of bids by purchaser

- 22.1 आवश्यकता-अनुसूची में विनिर्दिष्ट समय, तारीख एवं स्थान पर बोलीदाताओं द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की उपस्थिति में क्रेता द्वारा बोली खोली जाएगी। यदि बोली खोलने की विनिर्दिष्ट तारीख क्रेता के लिए अवकाश घोषित की जाती है, तो बोली उसी निर्धारित समय एवं स्थान पर अगले कार्य-दिवस में खोली जाएगी।/The purchaser will open the bids in the presence of bidders' representative, who choose to attend, at the time, date and the place specified in the Schedule of Requirements. If the specified date of bid opening is declared a holiday for the purchaser, the bid shall be opened at the appointed time and location on the next working day.
- 22.2 बोलीदाता का प्रतिनिधि जो बोली खोलने की प्रक्रिया में उपस्थित रहना चाहता है, अपने साथ बोलीदाता से उसके पत्रशीर्ष पर एक प्राधिकार पत्र लाएगा जिसमें बोलीदाता द्वारा बोली खोलने की प्रक्रिया में उपस्थित रहने के लिए उसे विधिवत् प्राधिकृत किया गया हो। ऐसे, प्राधिकार पत्र ठीक होने पर प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) को बोली खोलने की प्रक्रिया में प्रवेश करने एवं उपस्थित रहने नहीं दिया जाएगा। बोली खोलने की प्रक्रिया में उपस्थित रहने वाले बोलीदाताओं के प्रतिनिधियों को एक रजिस्टर (जो क्रेता द्वारा दिया जाएगा) में हस्तक्षर

करना होगा जो उनकी उपस्थिति का साक्ष्य होगा।/The representative of a bidder, who intends to attend the bid opening, shall bring with him/her a letter of authority from the bidder on the bidder's letter head, duly authorizing him/her to attend the bid opening. In the absence of such a letter of authority, the representative (S) will not be allowed to enter and attend the bid opening. The bidders' representative, who attend the bid opening, shall sign a register (which will be provided by the purchaser) evidencing their attendance.

- 22.3 बोलीदाता का नाम प्रस्तावित माल का तकनीकी विनिर्दिशन, बोली कीमत छूट, अपेक्षित बोली प्रतिभूति का होना या न होना एवं इसी प्रकार के अन्य विवरणों को, जैसा क्रेता अपने विवेक पर उचित समझे, बोली खोलने के बाद घोषित करेगा।/The bidder's name, technical specifications of the goods offered, bid prices, discounts, the presence or absence of the requisite bid security and such other details as the purchaser, at its discretion, may consider appropriate will be announced at the opening.
- 22.4 क्रेता अपने कार्यालय के रिकार्ड के लिए बोली खोलने की प्रक्रिया का उपर्युक्त कार्यवृत्त तैयार करेगा। /The purchaser will prepare appropriate minutes of the bid opening for its official record.

### 23. बोलियों का स्पष्टीकरण / Clarification of bids

- 23.1 बोलियों की छटाई एवं मुल्यांकन के दौरान, क्रेता, अपने विवेक पर, बोलीदाता से उसकी बोली का स्पष्टीकरण मांग सकता है। स्पष्टीकरण के लिए अनुरोध एवं इसका उत्तर लिखित में होना चाहिए एवं बोली की कीमत या सामान में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए न तो कहा जाएगा न दिया जाएगा या नही अनुमति दी जाएगी।/During scrutiny and evaluation of bids, the purchaser may, at its discretion, ask a bidder for a clarification its bid. The request for clarification and the response shall be in writing and no change in the price or substance of the bid shall be sought, offered or permitted.

### 24. बोलियों की प्रारंभिक जाँच—गैर अनुक्रियाशील प्रर्याप्त अनुक्रियाशील एवं अनुक्रियाशील बोलियां/Preliminary examination of bids-unresponsive, substantially responsive & responsive bids

- 24.1 क्रेता, यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जाँच करेगा कि क्या ये पूर्ण हैं, क्या बोली की अपेक्षित वैधता उपलब्ध है, क्या कोई परिकलन संबंधी त्रुटि की गई है, क्या बोली के लिए अपेक्षित प्रतिभूति दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत् हस्ताक्षरित हैं एवं क्या बोलियां सामान्यतः क्रम में हैं। बोलियों का परीक्षण करते समय, क्रेता बोलीदाता के लिए अनुदेश खण्ड 8 के अनुसार अपेक्षाओं का ध्यान रखेगा।/The purchaser will examine the bids to determine whether they are complete, whether the required bid validity is available, whether any computational errors have been made, whether required bid security has been furnished, whether the documents have been properly signed, and whether the bids are generally in order. While examining the bids, the purchase will also keep in view the requirements as per ITB Clause 8.
- 24.2 किसी बोली की गणना संबंधी त्रुटियों को निम्नलिखित आधार पर सुधारा जाएगा। यदि यूनिट की कीमत एवं कुल कीमत, जिसे यूनिट की कीमत के गुणन से प्राप्त किया गया है, में विसंगति पाई जाती है, तो यूनिट की कीमत ही मान्य होगी एवं इसके अनुसार कुल कीमत को सुधारा जाएगा। यदि अंको और शब्दों में कोई

विसंगति होती है तो शब्दों में दी गई राशि मान्य होगी। यदि ऐसी त्रुटियों का सुधार पूर्तिकर्ता स्वीकार नहीं करता है तो उसकी बोली निरस्त कर दी जाएगी।/Arithmetical errors, of any in a bid will be rectified on the following basis. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected accordingly. If there is a discrepancy between the words and figures, the amount in words shall prevail. If the supplier does not accept the correction of such errors, its bid will be rejected.

24.3 बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी) के खण्ड 26 के अनुसरण में क्रेता, विस्तृत मूल्यांकन करने के पूर्व, बोली संबंधी दस्तावेजों से प्रत्येक बोली की पर्याप्त अनुक्रियाशीलता निर्धारित करेगा। पर्याप्त अनुक्रियाशीलता बोली वस बोली है जो सभी अपेक्षाओं एवं बोली संबंधी दस्तावेजों के निबंधनों एवं शर्तों को पुष्ट करती है इसमें तालिका परिवर्तन के बिना, बोली दस्तावेजों में दिए गए अनुसार माल के विनिर्दिष्ट एवं तकनीकी परिमापक भी शामिल हैं। बोली संबंधी दस्तावेजों में विचलन या आपत्ति या प्रतिबंध, आलोचनात्मक प्रावधान, जो बोली की वैधता से संबंधित है, तकनीकी विनिर्देशन, निष्पादन प्रतिभूति, वारंटी बाध्यता, अपरिहार्य घटना, कर एवं शुल्क तथा लागू कानून (संविदा पर लागू) को तात्त्विक परिवर्तन माना जाएगा। विनिर्माता से उचित रूप से प्राधिकृत न की हुई किसी अभिकर्ता की बोली, बोलीदाता के लिए अनुदेश के खण्ड 1.2 (क) अनुसार अन-अनुक्रियाशील मानी जाएगी।/Prior to the detailed evaluation pursuant to ITB clause 26, the purchaser will determine the substantial responsiveness of each bid to the bidding documents. A substantially responsive bid is one which conforms to all the requirements and terms & conditions of the bidding documents, including the specification and technical parameters of the goods as projected in the bidding document, without material deviations. Deviations form or objections or reservations to the bidding documents. Critical provisions, such as those concerning bid validity. Technical specification, performance security, warranty obligations, Force Majeure, taxes & duties and applicable law (governing the contract) will be deemed to be material deviations. Bids from an agent without proper authorization from the manufacturer as per ITB clause

13.2 (क) बोली की अनुक्रियाशीलता का क्रेता द्वारा निर्धारण वाह्य साक्ष्य की सहायता लिए बिना स्वयं बोली की विषय-वस्तु पर आधारित होगा।/shall be treated as non-responsive.

The purchaser's determination of a bid's responsiveness is to be based on the contents of the bid itself without recourse to extrinsic evidence.

24.4 क्रेता बोली में किसी ऐसी किसी भी थोड़े से विचलन अनुकूलता या अनियमितता की छूट दे सकता है बशर्ते यह मुख्य विचलन न बन जाए इस प्रकार की छूट से किसी बोलीदाता के सापेक्षिक श्रेणीक्रम पर प्रतिकूल प्रभाव या कोई प्रभाव न पड़ता हो।/The purchaser may waive any minor infirmity. Non-conformity or irregularity in a bid, which does not constitute a material deviation, provided such waiver does not prejudice or affect the relative ranking of any bidder.

24.5 किसी बोली की पर्याप्त अनुक्रियाशीलता या अन्यथा पर या किसी बोली में किसी भी प्रकार का थोड़ा विचलन या प्रतिकूलता या अनियमितता के संबंध में क्रेता द्वारा लिया गया निर्णय ही अंतिम है।/The conclusion drawn by the purchaser as to the substantial responsiveness or otherwise of a bid or consideration of a minor infirmity of non-conformity or irregularity in a bid is final.

24.6 यदि किसी बोली को पर्याप्त अनुक्रियाशील के रूप में नहीं माना जाता तो यह क्रेता द्वारा निरस्त कर दी जाएगी एवं बाद में बोलीदाता द्वारा इसके प्रतिकूल तथ्यों में सुधार करके इसे अनुक्रियाशील नहीं बनाया जा सकेगा।/If a bid is determined as not substantially responsive, it will be rejected by the purchaser and may not subsequently be made responsive by the bidder by correction of the non-conformity.

## **25. एकल मुद्रा में परिवर्तन / Conversion to single currency**

25.1 बोलियों के मूल्यांकन एवं तुलना को सुविधाजनक बनाने के लिए, क्रेता, विभिन्न मुद्राओं में व्यक्त बोली की कीमत जिनमें बोली की कीमत देय है, बोली खुलने की तारीख पर इसी प्रकार के लेन-देन के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित विनियम की बी सी विक्रय के बाजार मूल्य पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा।/To facilitate evaluation and comparison of bids, the purchaser will convert all bid prices expressed in the amounts in various currencies in which the bid prices are payable, to Indian rupees at the BC selling market rate of exchange established by the State Bank of India for similar transactions as on the date of bid opening.

## **26. बोलियों का मूल्यांकन एवं तुलना / Evaluation and comparison of bids**

26.1 बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी) के खण्ड 24 के अनुसरण में क्रेता प्रथम रूप से प्रत्येक अनुसूची के लिए उन बोलियों का मूल्यांकन एवं तुलना करेगा जिन्हें पर्याप्त अनुक्रियाशील निर्धारित किया गया है। यदि अनुसूची में शामिल संपूर्ण आवश्यकताओं को बोली में शामिल नहीं किया गया है तो किसी अनुसूची के लिए बोली पर विचार नहीं किया जाएगा। बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी) के खण्ड 10 के अनुसार बोलीदाता के पास विकल्प होगा कि वह किसी एक या अधिक अनुसूची के लिए बोली का प्रस्ताव दे और किसी संयुग्मित अनुसूची के लिए छूट का प्रस्ताव दे। प्रत्येक अनुसूची देने का निर्णय करते समय बोलियों के मूल्यांकन में इस छूट का ध्यान रखा जाएगा जिससे क्रेता के लिए न्यूनतम मूल्यांकित कीमत का प्रस्ताव देने वाली या संयुग्मित बोलियों का निर्धारण किया जा सके।/ The purchaser will evaluate and compare the bids, which have been determined to be substantially responsive, pursuant to ITB clause 24 for each schedule separately. The bid for a schedule will not be considered if the complete requirements covered in the schedule is not included in the bid. However, as stated in ITB clause 10, bidders are allowed the option to bid for any or more schedule and to offer discounts for combined schedules. These discounts will be taken into account in the evaluation of the bids so as to determine the bid or combination of bids offering the lowest evaluated cost for the purchaser in deciding award (S) for each schedule.

26.2 बोलियों की तुलना सिर्फ गंतव्य आधार पर तथा गंतव्य स्थल पर माल की विधिवत् सुपुर्दगी एवं प्रारंभ करने के कार्य पर आधारित होगी/The comparison shall be on CIP destination basis, duly delivered and commissioned (as the case may be) at the destination.

26.3 क्रेता द्वारा किसी बोली के मूल्यांकन में बोली कीमत एवं आनुषंगिक सेवाओं के साथ निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा एवं ध्यान में रखा जाएगा/The purchaser's evaluation of a bid will include and take into account, in addition to bid price and price of the incidental services:

- (क) भारत में विनिर्मित माल या विदेशी मूल के माल, जो पहले ही भारत में स्थित हैं, के मामले में बिक्री कर एवं अन्य इसी प्रकार के कर और उत्पाद शुल्क एवं इसी प्रकार के शुल्क, जो कि बोलीदाता को संविदा देने के बाद माल पर देय होंगे, एवं/In the case of goods manufactured in India or goods of foreign origin already located in India, sales tax & other similar taxes and excise duty & other similar duties, which will be payable on the goods if a contract is awarded to the bidder; and
- (ख) विदेश से प्रस्तावित विदेशी मूल के माल के मामले में, उत्पाद शुल्क एवं अन्य इसी प्रकार के आयात शुल्क/कर, जो कि बोलीदाता को संविदा देने के बाद माल पर देय होंगे।/In the case of goods of foreign origin offered from abroad, customs duties and other similar import duties/taxes, which will be payable on the goods if the contract is awarded to the bidder

26.4 क्रेता द्वारा बोली के मूल्यांकन में, आवश्यकताओं की सूची में विनिर्दिष्ट एवं बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी) के खण्ड 26.5 में विवरित विधियों में एवं विस्तार तक निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखा जाएगा:/The purchaser's evaluation of bid will also take into account the following factors in the manner and to the extent specified in Schedule of Requirements and amplified in ITB clause 26.5

- (क) माल को भारत के अंदर उनके अंतिम गंतव्य तक सुपुर्दगी से संबंधित अंतर्देशीय परिवहन लागत, बीमा एवं अन्य लागत, जैसा आवश्यकताओं की अनुसूची में उल्लेखित है।/cost of inland transportation, insurance and other costs within India incidental to delivery of the goods to their final destination as stipulated in the Schedule of Requirements.
- (ख) बोली में प्रस्तावित विवरण अनुसूची।/delivery schedule offered in the bid
- (ग) घटकों, अतिरिक्त पुर्जों एवं सेवा की लागत।/the cost of components, spare parts and service,
- (घ) बोली में प्रस्तावित माल के लिए, भारत में अतिरिक्त पुर्जों की एवं विक्रय के बाद सेवा की उपलब्धता।/the availability of spare parts and after sale service in India for the goods offered in the bid.
- (ङ.) उपस्कर की पूर्ण कार्याविधि के दौरान प्रक्षेपित प्रचालन एवं अनुरक्षण लागत।/the projected operating and maintenance cost during the life of the equipment.
- (च) अतिरिक्त विनिर्दिष्ट मानदण्ड/Specific additional criteria.

26.5 **खण्ड 26.4 के अनुसरण में मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियों को अपनाया जाएगा /Pursuant to clause 26.4 following evaluation methods will be followed:**

(क) **Inland transportation, insurance and incidentals:**

अंतर्देशीय परिवहन, बीमा एवं आनुषंगिक बोलीदाता, माल की अपेक्षित गंतव्य स्थल पर सुपुर्दगी के लिए अंतर्देशीय परिवहन, बीमा एवं अन्य आनुषंगिक लागत को अलग से उद्धृत करेगा, जैसा कि पहले ही



आवश्यकताओं की अनुसूची में दर्शाया गया है। भारत में आने वाली इस लागत को भारतीय मुद्रा में उद्धत किया जाएगा। इन लागतों को क्रेता द्वारा ई एक्स डब्ल्यू/सी आई एफ/सिप बोली कीमत में जोड़ दिया जाएगा।/Bidder shall quote separately for inland transportation, insurance and other incidentals for delivery of goods to the required destination as already indicated in the Schedule of Requirements. These cost, incurred in India, shall be quoted in Indian currency. Such costs will be added by the purchaser to the EXW/CIF/CIP bid price.

(ख) **वितरण अनुसूची / Delivery schedule**

क्रेता अपेक्षा करता है कि आवश्यकताओं की अनुसूची में उल्लिखित माल की सुपूर्दगी उसमें विनिर्दिष्ट समय-अनुसूची के अंदर गंतव्य स्थल पर कर दी जाए। जैसा एवं यदि आवश्यक हो, कार्यस्थल/प्रवेश पन्तन से गंतव्य स्थल पर माल के आने की अनुमानित समय की गणना, रेलवे, उपयुक्त मार्ग परिवहन एजेंसी आदि द्वारा प्रकाशित दर सूची के आधार पर परिवहन के लिए उपयुक्त समय देने के बाद प्रत्येक बोली के लिए क्रेता द्वारा की जाएगी। सुपूर्दगी का प्रस्ताव देने वाली बोलियों (जैसा उपर्युक्त पंक्तियों से निकाला गया है), जो विनिर्दिष्ट सुपूर्दगी के बाद की हों परंतु स्वीकार्य सीमा (जैसा कि आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है) के अंदर हो, को मूल्यांकन के दौरान, आवश्यकता की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के बराबर के कारक को विनिर्दिष्ट वितरण अनुसूची से विचलन के प्रति सप्ताह के ई एक्स डब्ल्यू/सी आई एफ/सिप में जोड़कर समायोजित किया जाएगा।/The purchaser requires that the goods mentioned in the 'Schedule of requirements' shall be delivered at the destination within the time schedule specified therein. As and if necessary. The estimated time of arrival of goods from ex-works/port of entry to the destination will be calculated by the purchaser for each bid after allowing for reasonable transportation time based on the published tariff of Railways, appropriate Road Transport Agencies etc. Bids offering deliveries (as worked out on above lines), which are later than the specified delivery but within the allowable range (as specified in the Schedule of Requirements) will be adjusted during the evaluation by adding a factor equal to the percentage specified in the Schedule of Requirements. to the EXW/CIF/CIP price per week of variation from the specified delivery schedule.

(ग) **घटकों एवं अतिरिक्त पुर्जों की लागत / Cost of components and spare parts**

- (I) मुख्यसांयोजकों, घटकों एवं चयनित अतिरिक्त पुर्जों की मदों एवं मात्राओं की सूची, जिनकी आवश्यकता, आवश्यकताओं की अनुसूची में प्रचालन की प्रारंभिक अवधि के दौरान पड़ सकती है, तकनीकी विनिर्दिशन के साथ संलग्न है। प्रत्येक बोली में उद्धत की गई यूनिट की कीमत पर, इन मदों की कुल लागत को बोली कीमत में जोड़ दिया जाएगा।/the list of items and quantities of major assemblies, components and selected spare parts, likely to be required during the initial period of operation as specified in the Schedule of Requirements, is annexed to the Technical Specification. The total cost of these items, at the unit prices quoted in each bid, will be added to the bid price.

या / or

(II) आवश्यकताओं की अनुसूची में दर्शाए अनुसार प्रचालन की प्रारंभिक अवधि में उपयोग की अनुमानित मात्रा के साथ क्रेता, घटकों एवं अतिरिक्त पुर्जों के अधिक उपयोग एवं अधिक मूल्य की मदों की सूची बनाएगा। इन मदों एवं मात्राओं की कुल लागत की गणना क्रेता द्वारा की गई संबंधित यूनिट कीमतों से की जाएगी एवं इसे बोली कीमत में जोड़ दिया जाएगा।/the purchaser will draw up a list of high usage and high value items of components and spare parts, along with the estimated quantities of usage in the initial period of operation as indicated in the Schedule of Requirements. The total cost of these items and quantities will be computed from the corresponding unit prices quoted by the bidder and added to the bid price

### या/or

(III) क्रेता आवश्यकता की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रचालन की प्रारंभिक अवस्था में अतिरिक्त पुर्जों के उपयोग की लागत का आंकलन, प्रत्येक बोलीदाता द्वारा दी गई सूचना एवं स्वयं अपने या अन्य क्रेता के इन्हीं परिस्थितियों के पूर्व अनुभव के आधार पर करेगा। ऐसी लागतें मूल्यांकन के लिए बोली कीमत में जोड़ दिया जाएगी।/the purchaser will estimate the cost of spare parts usage in the initial period of operation specified in the Schedule of Requirements, based on the information furnished by each bidder, as well as on the past experience of the purchaser or other purchasers in similar situations. Such costs shall be added in the bid price for evaluation.

(घ) भारत में अतिरिक्त पूर्यों की उपलब्धता एवं विक्रय पश्चात सेवाओं की सुविधा आवश्यकताओं की अनुसूची या बोली संबंधी दस्तावेजों में संविधाओं एवं पूर्यों की वस्तुसूची प्रदान करने पर क्रेता पर आई लागत यदि अलग से उद्धृत की जाती है तो वे इसे बोली कीमत में जोड़ दिया जाएगा।/Availability of spare parts and after sales service facilities in India : The cost to the purchaser of establishing the required service facilities and parts inventories, as outlined in the Schedule of Requirements or elsewhere in the bidding documents, if quoted separately, shall be added to the bid price.

(ङ.) उपस्कर की संपूर्ण कार्यावधि के दौरान प्रक्षेपित प्रचालन एवं अनुरक्षण की लागत।

ये लागत, जो उपस्कर के जीवन चक्र लागत का एक बड़ा भाग बनाते हैं, आवश्यकताओं की अनुसूची में एवं/या तकनीकी विनिर्देशन में विनिर्दिष्ट मानदण्ड के अनुसार मूल्यांकन किए जाएंगे।/The projected operating and maintenance cost during the life of the equipment: These costs, which form a major portion of the life cycle cost of the equipment, will be evaluated in accordance with the criteria specified in the Schedule of Requirements and /or in the Technical Specifications.

(च) बोली के मूल्यांकन एवं संबंधित मूल्यांकन विधि में ध्यान दिए जाने वाले कुछ अन्य अतिरिक्त विनिर्दिष्ट मानदण्ड को आवश्यकताओं की अनुसूची में एवं/या तकनीकी विनिर्देशन में विनिर्दिष्ट संयुग्मित किया जाएगा।/Specific additional criteria Other specific additional criteria to be considered in the bid evaluation and the corresponding evaluation method shall be incorporated in the Schedule of Requirements and/or in the Technical Specifications

**27. संविदा का पालन करने की बोलीदाता की क्षमता /Bidder's capability to perform the contract**

27.1 क्रेता अपनी संतुष्टि के लिए यह निर्धारित करेगा कि क्या बोलीदाता, जिसे न्यूनतम मूल्यांकित अनुक्रियाशील बोली जमा करने के बाद चुना गया है, योग्य है एवं प्रथम दृष्टि में संविदा का संतोषजनक पालन करने में सक्षम है।/The purchaser will determine to its satisfaction whether the bidder, which is selected as having submitted the lowest evaluated responsive bid, is qualified and prima facie capable to perform the contract satisfactorily.

27.2 इस निर्धारण में, बोली संबंधी दस्तावेजों में यथा विनिर्दिष्ट, क्रेता की आवश्यकताओं को पूरा करने की बोलीदाता की वित्तीय तकनीकी एवं उत्पादन क्षमताओं का ध्यान रखा जाएगा। यह प्रयोग बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोलीदाता की योग्यता के दस्तावेजी साक्ष्य की जाँच पर आधारित होगा। बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी) के खण्ड 2 एवं 13 के अनुसरण में और साथ ही क्रेता द्वारा आवश्यक एवं उपयुक्त माने जाने वाले अन्य संबंधित सूचनाओं के आधार पर ऐसा किया जाएगा।/The determination will take into account the bidder's financial, technical, and production capabilities for fulfilling all the requirements of the purchaser as specified in the bidding documents. This exercise will be based upon the examination of the documentary evidence of the bidder's qualifications submitted by the bidder. Pursuant to ITB clauses 2 and 13, as well as such other allied information as the purchaser deems necessary and appropriate.

27.3 बोलीदाता को संविदा देने के लिए पहले से साकारात्मक निश्चय लिए जाने की आवश्यकता होती है। किसी नाकारात्मक निश्चय से बोलीदाता की बोली निरस्त हो जाएगी एवं क्रेता, संविदा का संतोषजनक पालन करने की बोलीदाता की क्षमता का इसी प्रकार निर्धारण करने के लिए अगले न्यूनतम मूल्यांकित बोली को प्रस्ताव देने पर विचार करेगा।/An affirmative determination will be a prerequisite for award of the contract to the bidder. A negative determination will result in rejection of the bidder's bid, in which event the purchaser will proceed to the next lowest evaluated bid to make a similar determination of the bidder's capabilities to perform satisfactorily.

## **28. संविदा देते समय माल की मात्रा में परिवर्तन करने का क्रेता का अधिकार / Purchaser's right to very quantities at the time of award**

28.1 क्रेता को वह अधिकार है कि वह संविदा देते समय यूनिट कीमत में या अन्य निबंधन एवं शर्तों में किसी परिवर्तन के बिना, आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल एवं सेवाओं की मात्रा में, 25% प्रतिशत तक की बढ़ोत्तरी या कमी कर सकता है।/The purchaser reserves the right at the time of awarding the contract to increase or decrease by up to 25%, the quantity of goods and services specified in the schedule or requirements without any change in the unit price or other terms and conditions.

## **29. क्रेता से संपर्क करना / Contacting the purchase**

29.1 बोली खोलने के समय से संविदा देने के समय तक, यदि बोलीदाता बोली से संबंधित किसी मामले में क्रेता से संपर्क करना चाहे तो उसे लिखित में संपर्क करना होगा।/From the time of the bid opening to the time of awarding the contract, if a bidder wishes to contact the purchaser on any matter related to the bid, it should do so in writing.

29.2 यदि बोलीदाता बोली के मूल्यांकन, बोलियों की तुलना या संविदा देने के क्रेता के निर्माण को प्रभावित करने का प्रयास करता है तो क्रेता जैसा-उचित समझे, बोलीदाता के विरुद्ध उचित प्रशासनिक कार्रवाई करेगा और साथ ही उसकी बोली निरस्त कर दी जाएगी।/ Any effort by a bidder to influence the purchaser, in the purchaser's decision on bid evaluation, bid comparison or contract award shall result in the rejection of the bidder's bid, besides other suitable administrative actions against the bidder, as deemed fit by the purchaser.

## च संविदा देना / AWARD OF CONTRACT

### 30. संविदा देने संबंधी मानदण्ड / Award criteria

30.1 बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी) के खण्ड 28 के अधीन क्रेता, उस सफल बोलीदाता को संविदा देगा जिसकी बोली, न्यूनतम मूल्यांकित बोली निर्धारित की गई है बशर्ते आगे यह कि बोली दाता को योग्य समझा जाए एवं वह संविदा का संतोषजनक पालन करने में सक्षम हो। / subject to ITB clause 28, the purchaser will award the contract to the successful bidder whose bid has been determined as the lowest evaluated bid, provided further that the bidder is determiner to be qualified and prima facie capable to perform the contract satisfactorily

31. **किसी बोली को स्वीकार करने या किसी बोली या सभी बोलियों को निरस्त करने का क्रेता का अधिकार | / Purchaser's right to accept any bid and to reject any or all bids.**

31.1 क्रेता को यह अधिकार हैं कि वह प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाताओं का किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व लिए बिना संविदा देने के पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या निरस्त कर सकता है, बोली प्रक्रिया को निस्प्रभाव कर सकता है। और सभी बोलियों को निरस्त कर सकता है। / The purchaser reserves the right to accept or reject any bid and to annul the bidding process and reject all bids at any time prior to the award to contract, without thereby incurring any liability, whatsoever, to the affected bidder or bidders.

### 32. संविदा देने की अधिसूचना / Notification of award

32.1 बोली की वैधता की अवधि समाप्त होने से पूर्व, क्रेता सफल बोलीदाता को केवल / फैंक्स / टेलीग्राम टेलेटज के द्वारा लिखित में सूचना देगा, कि इसकी बोली को स्वीकार कर लिया गया है, जिसकी बाद में लिखित में पंजीकृत डाक द्वारा पुष्टि कि जाएगी। अन्य बातों के साथ-साथ, आवश्यकता का अनुसूची (अनुसूचियाँ) एवं उसमें प्रस्तावित संबंधित मद (मदों) की मात्रा, जिन्हें स्वीकार किया गया है, अधिसूचना में उलिखित की जाएगी। / Before the expiry of the period of bid validity, the purchaser will notify the successful bidder in writing, by registered letter m by cable/fax/telegram/telex/ to be confirmed in writing by registered letter, that its bid has been accepted. The schedule (s) of requirement and the corresponding quantity of the item(s) ordered, which have been accepted, will inter alia, be mentioned in the notification.

32.2 संविदा देने की अधिसूचना ही संविदा बनाएगी। / The notification of award will constitute the formation of the contract.

32.3 सफल बोली दाता द्वारा निष्पादन प्रतिभूति देने के बाद बोलीदाता के लिए अनुदेश (आई टी बी ) के खण्ड 34 के अनुसरण में, क्रेता प्रत्येक असफल बोलीदाता को शीघ्र सूचना देगा एवं बोलीदाता के लिए अनुदेश (आईटीबी) के खण्ड 15 के अनुसरण में उनकी बोली प्रतिभूति को मुक्त करेगा। / Upon the successful bidder's furnishing the performance security, pursuant to ITB clause 34, the purchaser will promptly notify Y each unsuccessful bidder and will discharge its bid security, pursuant to ITB clause 15.

### 33. संविदा पर हस्ताक्षर करना / Signing of contract

33.1 सफल बोलीदाता को उसकी बोली को स्वीकार किए जाने की सूचना के साथ ही क्रेता बोली संबंधी दस्तावेजों में दिए गए संविदा प्रपत्र में दोनों पार्टियों के बीच हुए सभी करारों को शामिल करते हुए इसे पंजीकृत डाक या तीव्र डाक द्वारा बोलीदाता को भेजेगा।/At the same time as purchaser notifies the successful bidder that its bid has been accepted, the purchaser will send to the bidder by registered post or speed post, the contract form provided in the bidding documents, incorporating all agreements between the parties.

33.2 क्रेता द्वारा संविदा प्रपत्र जारी करने के इक्कीस (21) दिनों के अंदर सफल बोलीदाता संविदा पर तारीख के साथ हस्ताक्षर करेगा एवं पंजीकृत डाक या तीव्र डाक के द्वारा क्रेता को वापस भेज देगा।/Within twenty-one (21) days issue of the contract form by the purchaser, the successful bidder shall sign and date the contract and return it. to the purchaser by registered post or speed post.

### 34. निष्पादन प्रतिभूति / Performance security

34.1 क्रेता द्वारा संविदा देने की अधिसूचना जारी करने के इक्कीस (21) दिनों के अन्दर निष्पादन प्रतिभूति के संबंध में संविदा की सामान्य शर्तों में शामिल निदेशों के अनुसार सफल बोलीदाता निष्पादन प्रतिभूति जमा करेगा।/Within twenty –one (21) days issue of notification of awards by the purchaser the successful bidder shall furnish the performance security in accordance with and as per the instructions incorporated in the general conditions of contract with regard to performance security.

34.2 खण्ड 33 या खण्ड 34 की अपेक्षाओं का सफल बोलीदाता द्वारा अनुपालन न कर पाना संविदा के निष्प्रभाव एवं बोली प्रतिभूति को जब्त करने के लिए एक पर्याप्त आधार बनाएग, इस स्थिति में क्रेता अगले न्यूनतम मूल्यांकित बोलीदाता ने संविदा दे सकता है या नई बोलियां आमंत्रित कर सकता है।/Failure of the successful bidder to comply with the requirement of clause 33 or 34 shall constitute sufficient grounds for annulment of the award and forfeiture of the bid security, in which event the purchaser may make the award to the next lowest evaluated bidder or call for new bids.

## संविदा की सामान्य शर्तें (जीसीसी) / GENERAL CONDITION OF CONTRACT (GCC)

1.1 इस संविदा में निम्नलिखित शब्दों को निम्नानुसार निर्वचित किया जाएगा / In this contract the following terms shall be interpreted as indicated:

- (क) "आई एफ बी" का अर्थ है—बोलियों का आमंत्रण। / "IFB" means Invitations for Bids .
- (ख) "आई टी बी" का अर्थ है—बोलिदाताओं के लिए अनुदेश / "ITB" means instruction to Bidders.
- (ग) "जी सी सी का अर्थ है—संविदा की सामान्य शर्तें। / "GCC" means General Condition of Contract.
- (घ) "आर सी" का अर्थ है—दर संविदा। / "RC" means Rate Contract.
- (ङ) "संविदा का अर्थ है—क्रेता और पूर्तिकार द्वारा हस्ताक्षरित कराने में यथा अभिलिखित उनके बीच हुए विधिक करार से है इसके सभी संलग्नक एवं परिशिष्ट और इसमें संदर्भ द्वारा सम्मिलित सभी दस्तावेज शामिल है। / "Contract" means a legal agreement entered into between the purchaser and the supplier, as recorded in the agreements signed by the parties, including all attachments and appendices thereto and all documents incorporated by reference therein.
- (च) "संविदा कीमत" का अर्थ है—संविदात्मक बाध्यता का पूर्ण एवं उचित रूप से पालन करने के लिए संविदा के अन्तर्गत पूर्तिकरता को देय कीमत। / "Contract Price" means the price payable to the supplier under a contract for the full and proper performance of the contractual obligations.
- (छ) "माल" का अर्थ है—सभी मद सामाग्री उपस्कर एवं/या मशीनरी, जो संविदा की शर्तें में पूर्तिकार, क्रेता को आपूर्ति करेगा। / "Goods" means all the items, materials, equipment and/or machinery, which the supplier is required to supply to the purchaser in terms of a contract.
- (ज) "सेवाओं" का अर्थ है—माल की आपूर्ति से संबंधित सेवाओं, जैसे परिवहन एवं बीमा और अन्य आनुषंगिक सेवाएं जैसे प्रतिष्ठापन, प्रसून तकनीकी सहायता का प्रावाधान प्रशिक्षण, एवं पूर्तिकार की ऐसी अन्य बाध्यता जो इस संविदा के अंतर्गत आती हो। / "Services" means the services ancillary to the supply of the goods, such as transportation and insurance and as any other incidental services, such as installation, commissioning, provision of technical assistance, training and other such obligation of the supplier covered under a contract.
- (झ) "क्रेता का अर्थ है, बोली संबंधी दस्तावेज एवं तदानुसार संविदा में दिए गए खरीरदार का नाम जो आदेश माल खरीदार शामिल है। एवं इसमें इसके उत्तराधिकारी और/या समनुदेशिती। / "Purchaser" means the buyer named in a bidding document and in the corresponding contract, purchasing the goods orders and includes its successors and /or assignees.
- (ञ) "प्रेषिती" का अर्थ उस व्यक्ति या संस्था से है जो संविदा में शामिल निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार संविदा किए गए माल की सुपुर्दगी करता हो। / "Consignee" means the individual or body to whom the contracted goods are required to be delivered as per the terms and conditions incorporated in a contract.
- (ट) "पूर्तिकार" का अर्थ उस व्यक्ति या संस्था से है जो संविदा के अंतर्गत माल की आपूर्ति करता, इसमें उसके उत्तराधिकारी एवं/या समनुदेशिती भी शामिल है। / "Supplier" means the individual or firm supplying the goods under a contract and includes its successor and /assignees.

(ठ) “दिन” का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के कैलेंडर दिन से है।/“Day” means calendar day of the Gregorian Calendar

(ड) “मास” का अर्थ ग्रेगोरियन कैलेंडर के मास से है।/“Month” means calendar month of the Gregorian Calendar

## 2. लागू ढांचा / Application

2.1 ये संविदा की सामान्य शर्तें (इस खण्ड में दिए गए अनुसार) उस सीमा तक लागू होंगी जब तक ये संविदा के अन्य भागों में दिए गए प्रावधानों का अधिक्रमण नहीं करती।/These general conditions of contract (as contained in this section) shall apply to the extent they are not superseded by provisions in other parts of the contract.

## 3. उद्भव का देश / Country of origin

3.1 संविदा के अन्तर्गत आपूर्तित सभी माल एवं सेवाओं का उद्भव भारत में या ऐसे देशों में होना चाहिए जिनके साथ भारत सरकार के व्यापारिक संबंध हैं।/All goods and services supplied under the contract shall have their origin in India or in the countries, with which the Government of India has trade relations.

3.2. इस खण्ड के उद्देश्य के लिए, “उद्भव” का उस स्थान से है जहां माल को खान से बाहर निकाला जाता है, तैयार या उत्पादित किया जाता है या जहां से सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। निर्माण, संवर्धन एवं घटकों के महत्वपूर्ण या वृद्ध संयोजन के द्वारा मात्र उत्पादित किया जाता है। इस प्रकार बना व्यवसायिक मान्य नया उत्पादन, इसके आधारीक गणों में या उद्देश्य या उपयोगिता में इसके घटकों से पर्याप्त भिन्न होता।/For purposes of this clause, “origin” means the place where the goods are mined, grown or produced or from which the services are supplied. Goods are produced when, through manufacturing, processing and substantial or major assembling of components, a commercially recognized new product results that is substantially different in basic characteristics or in purpose or utility from its components.

3.3. माल एवं सेवाओं का उद्भव, पूर्तिकार की राष्ट्रियता से अलग होता है।/The origin of goods and services is distinct from the nationality of the supplier.

## 3. मानक / Standard

4.1 इस संविदा के अंतर्गत आपूर्तित मान “तकनीकी विनिर्देशनों” में उल्लिखित मानकों के अनुरूप होने चाहिए एवं यदि किसी कोई का उल्लेख नहीं किया गया है मानक माल को इसके उद्भव-के देश में लागू नवीनतम अधिकृत मानकों के अनुरूप होना चाहिए।/The goods supplied under mis contract shall confirm to the standards mentioned in the ‘Technical Specifications’ and when no applicable standard is mentioned, to the latest authoritative standard as applicable to the goods’ country of origin.

## 5. संविदा संबंधी दस्तावेज एवं सूचना का उपयोग / Use of contract documents and information

5.1 पूर्तिकार, क्रेता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना संविदा या इसके किसी उपबंध या इसके साथ संबंधित क्रेता या उसकी ओर से दिए गए किसी विनिर्देशन, योजना आरेखण, पैटर्न नमूना या सूचना, का खुलासा इस संविदा के निष्पादन में नियुक्त अपने किसी कर्मचारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के सामने नहीं करेगा। यह भी कि इसके लिए नियुक्त कर्मचारी को इसकी सूचना पेरी गोपनीयता से दी जाएगी एवं केवल उस सीमा तक इसका



खुलासा किया जाएगा। जो ऐसे निष्पादन के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो।/The supplier shall not, without the purchaser's prior written consent, disclose the contract or any provision there of or any specification, plan, drawing, pattern, sample or information furnished by or on behalf of the purchaser in connection herewith, to any person other than a person employed by the supplier in the performance of the contract. Also, disclosure to any such employed person shall be made in confidence and shall extend only so far as may be necessary for the purposes such performance.

5.2 क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना पूर्तिकार संविदा के पालन के उद्देश्य के अलावा संविदा की सामान्य शर्तों (जी सी सी ) के उप खण्ड 5.1 में दिए गए किसी दस्तावेज क्रेता की संपत्ति रहेगे एवं संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार द्वारा निष्पादन या सूचना का उपयोग नहीं करेगा।/The supplier shall not, without the purchaser's prior written consent, make use of any document or information enumerated in GCC sub-clause 5.1 except for the purposes of performing the contract.

5.3 संविदा की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के उप खण्ड 5.1 में उल्लिखित संविदा को छोड़कर सभी दस्तावेज क्रेता की समाप्ति पर क्रेता को लौटा (सभी प्रतियों में) जाएंगे यदि क्रेता को इनकी जरूरत हो।/Every document other than the contract itself, mentioned in GCC sub clause 5.1, shall remain the property of the purchaser and shall be returned (in all copies) to the purchaser on completion of the supplier's performance under the contract, if so required by the purchaser.

## 6. एकस्व (पैटेंट) अधिकार / Patent rights

6.1 पूर्तिकार माल का या इसके किसी भाग का भारत में उपयोग करने से पैटेंट के अतिलंघन, ट्रेड मार्क या औद्योगिक डिजाइन के अधिकार के विरुद्ध उत्पन्न तीसरी पार्टी के सभी दावे की क्षतिपूर्ति बिना किसी लागत के क्रेता को करेगा।/The supplier shall at all times indemnify the purchaser, free of cost, against all third-party claims of infringement of patent, trade mark or industrial design rights arising from use of the goods or any part thereof in India.

## 7. निष्पादन प्रतिभूमि / Performance security

7.1 क्रेता द्वारा संविदा देने संबंधी जारी करने के बाद 21 (इक्कीस) दिनों बाद के अन्दर पूर्तिकार संविदा मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) बराबर राशि की निष्पादन प्रतिभूमि क्रेता को देगा जो पूर्तिकता द्वारा संविदा गत दायित्वों को पूरा करने की तारीख के बाद 60 (साठ) दिनों तक वैध रहेगी, इसमें वारंटी वाध्यता भी शामिल है।/Within 21(twenty one) days after the issue of notification of award by the purchaser, the supplier, shall furnish performance security to the purchaser for an amount of 10% (ten percent) of the contract value, valid up to 60 (sixty) days after the date of completion of all contractual obligations by the supplier, including the warranty obligations.

7.2 वारंटी अवधि के दौरान दोषपूर्ण वस्तु के प्रतिस्थापन या दोषों के सुधार के मामले में सुधारी गई/प्रतिस्थापित वस्तु के लिए वारंटी सुधार/प्रतिस्थापित की तारीख से अगले बारह माह की अवधि के लिए बढ़ा दी जाएगी एवं अनुपातिक मूल्य के लिए निष्पादन प्रतिभूमि (जो कि पूर्तिकार की सलाह से क्रेता द्वारा निर्धारित की जाएगी) उपरोक्ता बढ़ी हुई वारंटी अवधि के बाद 60 दिनों के लिए तक बढ़ा दी जाएगी।/In the event of any

correction of defects or a replacement of defective material during the warranty period, the warranty for the corrected/replaced material shall be extended to a further period of twelve months from the date of the correction/replacement and the Performance Security for the proportionate value (which will be determined by the purchaser in consultation with the supplier) shall be extended by 60 (sixty) days over and above the extended warranty period.

- 7.3 संविदा में किसी संशोधन के मामले में, ऐसे संशोधन में ऐसे संशोधन के जारी होने की तारीख जारी होने की तारीख के 21 (इक्कीस) दिनों के अंदर पूर्तिकार निष्पादन प्रतिभूति में ऐसे आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करेगा जो संशोधन के अनुसार संविदा के निबंधनों में सभी तरह से वैधता प्रदान करती हो।/In the event of any contract amendment, the supplier shall, within 21 (twenty one) days of issue of such amendment, furnish the necessary amendment to the Performance Security, rendering the same valid in all respects in terms of the contract, as amended.
- 7.4 संविदा के अंतर्गत इसकी किसी बाध्यता को पूरा करने में असफल होने के कारण हुए किसी नुकसान के लिए निष्पादन प्रतिभूति का आगम क्षति पूर्ति के रूप में क्रेता को देय होगा।/The proceeds of the Performance Security shall be payable to the purchaser as compensation for any loss resulting from the supplier's failure to complete its obligations under the contract.
- 7.5 निष्पादन प्रतिभूति भारतीय रुपये या संविदा की मुद्रा में होगी एवं निम्नलिखित में से किसी एक के रूप में होगा।/The Performance Security shall be denominated in Indian Rupees or in the currency of the contract and shall be in one of the following forms:
- (क) भारतीय रुपये में नकद/Cash in Indian currency.
- (ख) आवश्यकता अनुसूची में दर्शाए अनुसार भारत में किसी अनुसूचित बैंक का डिमांड ड्राफ्ट जो क्रेता के पक्ष में देय हों।/Demand Draft on any scheduled commercial bank in India, to be drawn in favour of the purchaser as indicated in the Schedule of Requirements.
- (ग) बोली संबंधी दस्तावेजों के खण्ड VII/4 में दिए गए निर्धारित प्रपत्र में, भारत के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी।/Bank Guarantee issued by a scheduled commercial bank in India, in the prescribed form as provided in section VII/4 of this bidding documents
- 7.6 संविदा की सामान्य शर्तों के उपर्युक्त उप-खण्ड 7.4 के अधीन संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार की संविदा बाध्यता वारंटी बाध्यताओं के साथ पूरी होने पर, निष्पादन प्रति भूमि, क्रेता द्वारा विमुक्त कर दी जाएगी एवं पूर्तिकार को लौटा दी जाएगी।/Subject to GCC sub- clause 7.4 above, the performance security will be discharged by the purchaser and returned to the supplier on completion of the supplier's contractual obligations including the warranty obligations under the contract.

## 8. निरीक्षण या परीक्षण / Inspection and testes.

- 8.1 क्रेता एवं/या इसके नामित प्रतिनिधि (प्रतिनिधियाँ) को अधिकार होगा कि वह क्रेता पर बिना किसी अतिरिक्त लागत, संविदा में शामिल संविदा विनिर्देशन एवं अन्य तकनीकी विवरणों के प्रति माल की पुष्टि के मान एवं परीक्षण एवं/या परीक्षण कर सकता है। बोली संबंधी दस्तावेज में शामिल आवश्यकता अनुसूची एवं तकनीकी

विनिर्देशन में यह विशेष रूप से उल्लेखित किया जाएगा विक्रेता को किन परीक्षणों एवं निरीक्षणों की आवश्यकता है एवं वे कहां और कैसे किए जाएंगे। क्रेता, पूर्व में पूर्तिकार को लिखित में इस उद्देश्य के लिए प्रतिविधि (प्रतिनिधियों) के चयन की सूचना देगा।/The purchaser and or its nominated representative (s) shall have the right to inspect and/or to test the goods to confirm their conformity to the contract specification and other technical details incorporated in the contract at no extra cost to the purchaser. The schedule of Requirements and the Technical Specification, incorporated in the bidding document, shall specify what inspections and tests, the purchaser requires and where and how they are to be conducted. The purchaser shall notify, in advance, the supplier (itf-keidentity of any representative (s) for this purpose.

8.2 माल का निरीक्षण एवं परीक्षण सुपुर्दगी स्थान पर एवं/या माल के अंतिम गतव्य स्थल पर पूर्तिकार या इसके उप-संविदाकार (उप-संविदाकारों) के परिसर में किया जा सकता है। यदि यह पूर्तिकार या इसके उप-संविदाकार (उप-संविदाकारों) के परिसर में किया जाना है, तो क्रेता पर कोई शुल्क लगाए बिना, संबंधित ड्राइंग, डिजाइन, विवरण एवं उत्पादन आंकड़ों के साथ सभी उचित सुविधाएँ एवं, सहायता निरीक्षण को क्रेता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।/The inspections and tests may be conducted on the premises of the supplier or its subcontractor(s), at the point of delivery and/or at the goods' final destination. If conducted on the premises of the supplier or its subcontractor (s), all reasonable facilities and assistance, including access to relevant drawings, design details and production data, shall be furnished by the supplier to the inspectors at no charge to the purchaser.

8.3 यदि निरीक्षण या परीक्षण के बाद कोई माल अपेक्षित विनिर्देशन एवं मानकों की पुष्टि करने में असफल हो जाता है। तो क्रेता उसे अस्वीकार कर सकता है एवं पूर्तिकार क्रेता पर बिना या तो अस्वीकृत माल को प्रतिस्थापित करेगा या अपेक्षा अनुसार, विनिर्देशन एवं मानकों को पूरा करने के लिए इस माल में आवश्यक परिवर्तन करेगा। पूर्तिकार अब इस माल को पुनः निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए क्रेता को पुनः प्रस्तुत करेगा।/Should any inspected or tested goods fail to conform to the required specifications and standards, the purchaser may reject them and the supplier shall either replace the rejected goods or make all alterations necessary to meet the specifications and standards, as required, free of cost to the purchaser and resubmit the same to the purchaser for conducting the inspections and tests again.

8.4 यदि निरीक्षक या परीक्षण के बाद कोई माल अपेक्षित विनिर्देशन एवं मानकों की पुष्टि करने में असफल हो जाता है तो क्रेता उसे अस्वीकार कर सकता है एवं पूर्तिकार क्रेता पर बिना किसी लागत के या तो अध्वीकृत माल को प्रतिस्थापित करेगा या अपेक्षा अनुसार विनिर्देशन एवं मानकों को पूरा करने के लिए इस माल में आवश्यक परिवर्तन करेगा पूर्तिकार अब इस माल को पुनः निरीक्षण के लिए क्रेता को पुनः प्रस्तुत करेगा।/Where the contract stipulates pre-despatch inspection by the purchaser's nominated inspecting agency, the supplier shall put up the goods for inspection to the inspecting agency well ahead of time so that the inspecting agency is able to complete the inspection within the stipulated delivery period. If the goods are tendered for inspection at the as moment without providing reasonable time to the inspection agency for completing the inspection, the inspecting agency may carry out the inspection and complete the formality beyond the contractual delivery period at the risk and expense of the supplier. The fact that the items have

been inspected after the contractual delivery period will not have the effect of keeping the contract alive and this will be without any prejudice to the legal rights and remedies available to the purchaser under the terms & conditions of the contract.

- 8.5 यदि संविदा में क्रेता द्वारा नामित किसी निरीक्षण एजेंसी द्वारा पूर्व –प्रेषक जांच का प्रवाधान हो तो पूर्तिकार समय से बहुत पहले, माल को निरीक्षण एजेंसी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिससे निरीक्षण एजेंसी निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के अंदर निरीक्षण पूरा काने में सक्षम हों। यदि निरीक्षण एजेंसी को निरीक्षण करने के लिए उचित समय न देते हुए माल को अंतिम समय में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो निरीक्षण एजेंसी पूर्तिकार के जोखिम एवं खर्च पर संविदा बात सुपुर्दगी अवधि के पर निरीक्षण एवं औचारिकता पूरी कर सकती है। मदों का संविदा बात सुपुर्दगी अवधि के बाद निरीक्षण किये जाने का संविदा को जीवित रखने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं यह संविदा के निबंधन एवं शर्तों के अधीन क्रेता को उपलब्ध कानूनी अधिकारों एवं उपचारों पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले होगा।/The purchaser's right to inspect, test, and where necessary, reject the goods after the goods' arrival at the final destination shall in no way be limited or waived by reason of the goods having previously been inspected, tested and passed by purchaser or its representatives prior to the dispatch of the goods from the country of origin or from the supplier's premises.
- 8.6. संविदा की सामान्य शर्तों (जी. सी. सी.) के खण्ड 8 का कोई भी भाग किसी भी प्रकार संविदा के अंतर्गत किसी भी वारंटी या अन्य बाध्यता से पूर्तिकार को मुक्त नहीं करेगा।/Nothing in GCC clause 8 shall, in any way, release the supplier from any warranty or other obligations under the contract.

## 9. पैक करना/Packing

- 9.1 संविदा में यथा उल्लिखित, माल को उसके अंतिम गतव्य तक पहुंचाने में परिवर्तन के दौरान होने वाली क्षति या खराबी से उसे बचाने के लिए पूर्तिकार द्वारा आवश्यकतानुसार माल के पैकिंग की व्यवस्था की जाएगी/माल की इस प्रकार पैक किया जाएगा कि इसकी उठाई-धराई एवं अत्यधिक तापमान आद्र मौसम एवं परिवहन के दौरान एवं खुले संग्रहण को बिना किसी सीमा तक इसकी कोई क्षति न पहुंचे तथा बिना किसी सीमा तक उपर्युक्त पैकिंग के डब्बों के आकार एवं भार का भी ध्यान रखा जाएगा, एवं जहां लागू हो परिवहन में सभी स्थान पर भारत में अंतर्देशीय परिवहन की उपलब्धता, माल के दूर अंतिम गतव्य स्थल पर पहुँचने एवं अच्छी उठाई गई सुविधाओं पर भी विचार किया जाएगा। आगे भी, यदि पैक किए गए माल के भार, मात्रा एवं आकार में कोई सीमा या आज्ञापक निदेश हो तो वह भी पूर्तिकार द्वारा संचालित किए जाएंगे।/The supplier shall provide such packing of the goods as is required to prevent their damage or deterioration during their transit to their final destination as indicated in the contract. The packing shall be sufficient to withstand, without limitation, rough handling and exposure to extreme temperatures, humid weather and precipitation during transit and open shortage. The sizes and weights of the packing cases shall also take into consideration, where applicable, the available inland mode(s) of transport in India, the remoteness of the goods' final destination and the absence of heavy handling facilities at all points in transit. Further, limitations and /or mandatory instructions, if any in the weight, volumes and sizes of the packages shall also be taken care of by the supplier.

9.2 पैकिंग, पैकेज के अंदर एवं बाहर चिह्ननाकन एवं प्रलेखिकरण कठोरता से उन विशिष्ट अपेक्षाओं का पालन करेगे जो संविदा में इसके लिए दिए जाएंगे, साथ ही ये आवश्यकताओं की अनुसूची में दी गई अतिरिक्त अपेक्षाओं, यदि कोई हो तो एवं क्रेता द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण निदेशों का भी पालन करेंगे।/The packing marking and documentation within and outside the packages shall comply strictly with such special requirements if any as shall be expressly provided for in the contract, including additional requirements, if any, specified in the Schedule of Requirements and any subsequent instructions given by the purchaser.

## 10. पैकिंग संबंधी निदेश / Packing instruction

9.3 पूर्तिकार को संविदा में नामित प्रत्येक प्रेषिती के लिए अलग-अलग पैकेज बनाना होगा। प्रत्येक पैकेज पूर्तिकार द्वारा इसके स्वयं के रक्चें पर अमित स्याही पेंट के साथ इसके तीनों ओर, निम्नलिखित विवरणों के साथ चिह्नित किए जाएंगे।/The supplier will be required to make separate packages for each consignee named in the contract. Each package will be marked by the supplier at its own expense, on three sides with indelible ink/paint, with the following details:

- (क) संविदा संख्या एवं तारीख।/Contract No, and date
- (ख) प्रेषिती का नाम एवं पता /Name and address of the consignee
- (ग) पूर्तिकार का नाम एवं पता।/Name and address of the supplier
- (घ) माल का संक्षिप्त विवरण।/Brief description of goods
- (ङ) पैकेज का कुल भार एवं बाहरी विस्तार।/Gross weight and outer dimension of the package
- (च) माल के उद्भव का देश।/Country of origin of goods
- (छ) पैकिंग सूची संदर्भ संख्या /Packing list reference No.and
- (ज) संविदा से संबंधित कुछ अन्य आवश्यकताएँ।/And any other requirement, relevant to the contract.

## 10. माल की सुपुर्दगी / Delivery of goods

10.1 माल की सुपुर्दगी पूर्तिकार द्वारा संविदा देने की अधिसूचना एवं संविदा में क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की जाएगी।/Delivery of the goods shall be made by the supplier in accordance with the terms specified by the purchaser in the notification of award and in the contract.

10.2 संविदा के प्रयोजनार्थ पाटियों की बाध्यता का विवरण करने में उपयोग होने वाले व्यवसायिक शब्द जैसे—“एफ ओ वी” “सी आई एफ” “ सी आई पी ” एवं अन्य शब्दों का अर्थ “इन्कोटर्म” के वर्तमान प्रकाशन में दिए गए अर्थ के अनुसार होगा जो कि अंतर्राष्ट्रीय वणिज्य परिषद, पेरिस, फ्रांस द्वारा प्रकाशित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक शिपिंग शब्द है।/For the purposes of the contract, “FOB”, “CIF”, “CIP” and other trade terms used in describe the obligations of the parties shall have the meanings assigned to them in the current edition of “Incoterms” which are international commercial shipping terms, published by International Chamber of commerce, Paris, France.

## 11. परिवहन / Transportation

- 11.1 जहां संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार को माल की पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफ.ओ.बी.) सुपुर्दगी करना है, वहां विनिर्दिष्ट लदाई पत्तन पर पोत में माल को चढ़ाने वाले स्थान तक एवं उस स्थान के साथ, माल के परिवहन की व्यवस्था एवं इसका भुगतान पूर्तिकार द्वारा किया जाएगा एवं इसकी लागत को संविदा मूल्य में जो दिया जाएगा।/Where the supplier is required under the contract to deliver the goods F.O.B., transportation of the goods, up to and including, the point of putting the goods on board the vessel at the specified port of loading, shall be arranged and paid for by the supplier and the cost there of shall be included in the contract price.
- 11.2 जहां पूर्तिकता को, संविदा के अंतर्गत माल की सुपुर्दगी सी. आई. एफ. या सी. आई. पी. फ सुपुर्दगी करना है वहां भारत में ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट गतत्य स्थान के गंतव्य पोत तक जैसा संविदा में उल्लेख किया जाएगा, माल के परिवहन की व्यवस्था एवं इसके लिए भुगतान की व्यवस्था पूर्तिकर्ता द्वारा की जाएगी एवं इसके लागत को संविदा मूल्य में जोड़ दिया जाएगा।/Where the supplier is required under the contract to deliver the goods C.I.F. or C.I.P., transportation of the goods to the port of destination of such other specified place of destination in India, as shall be mentioned in the contract, shall be arranged and paid for by the supplier and the cost there of shall be included in the contract price.
- 11.3 जहां पूर्तिकार को संविदा के अंतर्गत भारत के अंदर माल की सी. आई. एफ. या जी. आई. पी. सुपुर्दगी करना है, वहां पूर्तिकार भारतीय ध्वज वाले पोतों या उस कान्फरेंस लाइन, जिसका भारत एक सदस्य है, के पोतों के माध्यम से समुन्द्री परिवहन की व्यवस्था करेगा पूर्तिकार को संविदा के अंतर्गत माल की पोत पर्यन्त निःशुल्क (एफ ओ बी) सुपुर्दगी करना है एवं क्रेता की ओर से एवं उसके खर्चे पर भारतीय समुन्द्री परिवहन के लिए भारतीय ध्वज वाले पोतों या उस कान्फरेंस लाइन के पोतों जिसका भारत एक सदस्य देश है की भी व्यवस्था करना है, वहां यदि संविदा में विनिर्दिष्ट समय-ढांचे के अंदर माल के परिवहन के लिए भारतीय ध्वज वाले पोत या कान्फरेंस लाइन के पोत उपलब्ध नहीं है तो पूर्तिकता ऐसे परिवहन के लिए वैकल्पिक वाहकों की भी व्यवस्था कर सकता है। यद्यपि, ऐसे वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था करने से पहले पूर्तिकार को इसके लिए क्रेता से पूर्व सहमति लेनी होगी।/Where the supplier is required under the contract to deliver the goods C.I.F. or GIP within India, the supplier shall arrange the shipment by Indian flag vessels or vessels belonging to Conference Lines in which India is a member. Where the supplier is required under the contract to deliver the goods F.O.B. and also to arrange on behalf and at the expense of the purchaser for ocean transportation of Indian flag vessels or vessels of Conference Lines in which India is a member country, the supplier may arrange for such transportation on alternative carriers also, if the Indian flag vessels or Conference Line vessels are not available to transport the goods within the time frame specified in the contract. However, before arranging such alternation transportation, the supplier shall obtain prior concurrence of the purchaser for the same.
- 11.4 पूर्तिकार क्रेता की पूर्व लिखित सहमति के बिना समुद्री परिवहन एवं/या पोतांतरण की व्यवस्था अलग-अलग भाग में नहीं करेगा। यदि पूर्तिकार पूर्व उल्लेखित निदेशों का उल्लघन करता है तो सभी परिणामों (जिसमें वित्तीय हानि भी शामिल है।), जो ऐसे उल्लघन के कारण क्रेता को हो सकते हैं, के लिए पूर्तिकार उत्तरदायी होगा।/The supplier shall not arrange part-shipments and/or transshipment without the prior written

consent of the purchaser. In case the supplier violates any of the aforementioned instructions, the supplier shall be liable for all consequences (including financial loss) that the purchaser may face due to the such violations.

## 12. बीमा / Insurance

12.1 संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले माल को नीचे इर्शाए गए खण्ड (अर्थात्, जी. सी. सी. के खण्ड 12) के अनुसार विनिर्माण या अर्जन, परिवहन, संग्रहण एवं सुपुर्दगी से संबंधित होने वाली हानि या क्षति के लिए किसी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में पूर्ण वीमाकृत होना चाहिए। / The goods supplied under the contract, shall be fully insured in a freely convertible currency against loss or damage incidental to manufacture or acquisition, transportation, storage and delivery as indicated below in the clause (viz. GCC clause 12).

12.2 यदि सी. आई. एफ. या सी. आई. पी. आधार पर क्रेता द्वारा माल की सुपुर्दगी की जानी है, तो पूर्तिकार हितग्राही के रूप में क्रेता को नामित करते हुए जहाजी माल के बीमा की एवं इसके भुगतान की व्यवस्था करेगा। यदि पोत पर्यंत निःशुल्क (एफ.ओ. बी.) आधार पर माल की सुपुर्दगी की जानी है, तो माल की बीमा का उत्तदायित्व क्रेता का होगा। / Where delivery of the goods is required by the purchaser on C.I.F. or C.I.P. basis, the supplier shall arrange and pay for the cargo insurance, naming the purchaser as the beneficiary. Where delivery is on F.O.B. basis, the insurance shall be the responsibility of the purchaser.

12.3 सी.आई.एफ. या सी.आई.पी. आधार पर संविदा के मामले में युद्ध संबंधी जोखिमों एवं हड़तालों को शामिल करते हुए "सभी जोखिम" के आधार पर गोदाय से (अंतिम गतव्य 2—यान) तक माल के सी. आई. एफ. या सी. आई. पी. मूल्य के 110% ( एक सौ दस प्रतिशत ) के बराबर की राशि के लिए बीमा किया जाएगा। / In the case of contract on C.I.F. or C.I.P. basis, the insurance shall be for an amount equal to 110% (one hundred and ten per cent) of the CIF or CIP value of the goods from "warehouse to warehouse" (final destination) on "all risk" basis including war risks and strikes.

## 13. प्रेषण दस्तावेजों का वितरण / Distribution of dispatch documents

13.1 क्रेता एवं/या इसके द्वारा नामित प्राधिकारियों को माल स्वीकार करने संबंधी स्पष्ट निर्णय देने और/सहमत कराने कराने के लिए पूर्तिकार द्वारा दिए जाने वाले शिपिंग एवं अन्य दस्तावेज तथा प्रेषक विवरण, आवश्यकताओं की अनुसूची में और संविदा में एवं इसी के अधीन यथा वनिर्दिष्ट माल प्रेषण के साधन एवं सुपुर्दगी की शर्तों पर निर्भर होंगे, इस संबंध में निम्नलिखित निदेश होंगे। / The shipping and other documents as well as dispatch details to be furnished by the supplier to the purchaser and/or to the purchaser's nominated authorities to enable the purchaser and/or its nominated authorities to clear and/or accept the goods will depend on the mode of dispatch of the goods and the terms of delivery, as specified in the Schedule of Requirements and in the contract and, subject to the same, the instructions in this regard will be as indicated below :-

(क) विदेशों से आपूर्ति किए गए माल के लिए: / For goods supplied from abroad:

लदाई के 24 घंटे के अन्दर पूर्तिकार क्रेता एवं इसके नामित प्रधिकारियों (जैसे संविदा में विनिर्दिष्ट है) एवं बीमा कंपनी को केवल या टैलेक्स या फ़ैक्स के द्वारा, संविदा संख्या, माल का विवरण, मात्रा, पोत, जहाजी माल संख्या का बिल एवं तारीख/वायुमार्ग बिल संख्या एवं तारीख, लदान पतन्त, लदाई की तारीख उतराई-पत्तन प्रवेश पत्तन पर पहुँचने की अनुमानित तारीख आदि के साथ लदाई वे पूर्ण विवरण की सूचना देगा। इसके बाद पूर्तिकार तत्काल पंजीकृत वायु-डाक के द्वारा उपर्युक्त प्रधिकारियों को निम्नलिखित दस्तावेजों के प्रतियों की विनिर्दिष्ट संख्या भेजेगा।/Within 24 hours of shipment, the supplier shall notify the purchaser and its nominated authorities (as specified in the contract and the insurance company by cable or telex or fax, the full details of the shipment including contract number, description of goods, quantity, the vessel, the bill of lading number and date airway bill number and date, port of loading, date of shipment, port of discharge, expected date of arrival at the port of entry etc. Further, the supplier shall also immediately dispatch by registered air-mail the specified number of copies of the following documents to the above authorities:

- (I) संविदा संख्या, माल का विवरण, माला, यूनिट कीमत एवं कुल राशि दशाता हुआ पूर्तिकार का बीजक।/Supplier's invoice showing contract number, description of goods, quantity, unit price and total amount.
- (II) पर क्राम्य की मूल प्रति एवं इसकी पतियां, स्पष्ट फलक पर वहन-पत्र जिस पर भुगतान किया जाने वाला भाड़ा चिन्हित हो एवं गैर-पर क्राम्य की पतियां, वहन पत्र/ Original and copies of the negotiable, clean, on-board bill of lading marked freight to pay and copies of non-negotiable, bill of lading
- (III) प्रत्येक पैकेज की वस्तुओं की पहचान बनाने वाले पैकिंग सूचि की प्रतियां।/Copies of packing list identifying the contents of each package;
- (IV) बीमा प्रमाण पत्र/ Insurance certificate;
- (V) विनिर्माता/पूर्तिकार का वारंटी प्रमाण पत्र/Manufacturer's/Supplier's warranty certificate;
- (VI) क्रेता द्वारा नामित निरीक्षण एजेंसी (यदि ऐसा विनिर्दिष्ट हो) द्वारा जारी पूर्व-प्रेषण निरीक्षण प्रमाण-पत्र एवं पूर्तिकार द्वारा कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट एवं/Pre-dispatch inspection certificate issued by the purchaser's nominated inspection agency (if so specified) and the supplier's factory inspection report; and
- (VII) **उदभव प्रमाण-पत्र / Certificate of origin**

उपर्युक्त दस्तावेज क्रेता द्वारा उपर्युक्त उल्लेखित अन्य प्रधिकारियों द्वारा माल के पत्तन पर या पहुँचने के स्थान पर पहुँचने के कम से कम एक सप्ताह पहले प्राप्त कर लिये जाएंगे एवं यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो किसी भी परिणामी खर्च के लिए पूर्तिकार उत्तरदायी होगा।/The above documents shall be received by the purchaser and other authorities mentioned above at least one week before the arrival of goods at port or place of arrival and, if not received, the supplier will responsible for any consequent expenses.

- (ख) भारत से आपूर्ति किए गए माल/For goods supplied from within India:



माल को भेजने के 24 घंटों के अंदर पूर्तिकार, क्रेता एवं/या इसके द्वारा नामित प्राधिकारियों (जैसे संविदा में विनिर्दिष्ट है) एवं बीमा कंपनी को संपूर्ण प्रेषण विवरण की सूचना देगा। पूर्तिकार उन्हें निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियों की विनिर्दिष्ट संख्या भी भेजेगा / Within 24 hours of despatch of the goods, the supplier shall notify the complete despatch details to the purchaser and/or the purchaser's nominated authorities (as specified in the contract) and the insurance company. The supplier shall also mail the specified number of copies of the following documents to them:

- (I) संविदा संख्या, माल का विवरण, मात्रा यूनिट कीमत एवं कुल राशि दर्शाता हुआ पूर्तिकार का वीजक / The supplier's invoice showing contract number, description of goods, quantity, unit price and the total amount;
- (II) रेलवे की आवती या सुपुर्दगी टिप्पणी / Railway receipt or Delivery note;
- (III) प्रत्येक पैकेज की वस्तुओं का पहचान बनाने वाली पैकेज सूची / Packing list identifying contents of each package;
- (IV) बीमा प्रमाण पत्र / Insurance certificate;
- (V) विनिर्माता / पूर्तिकार का वारंटी प्रमाण पत्र / Manufacturer's/Supplier's warranty certificate;
- (VI) क्रेता द्वारा नामित निरीक्षण एजेंसी (ऐसा यदि विनिर्दिष्ट हो) द्वारा जारी पूर्व-प्रेषक निरीक्षण प्रमाण एवं पूर्तिकार की कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट / Pre-despatch inspection certificate issued by the purchaser's nominated inspection agency (is so specified) and the supplier's factory inspection report; and
- (VII) **उदभव प्रमाण पत्र / Certificate of origin**

क्रेता माल के पहुँचने के कम से कम एक सप्ताह पहले इन दस्तावेजों को प्राप्त करेगा (जहां इसे प्रेषित को सभी दस्तावेजों के साथ सौंपना है, उसे छोड़कर) एवं यदि क्रेता इन दस्तावेजों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो किसी भी परिणामी खर्च के लिए पूर्तिकार उत्तरदायी होगा। / The purchaser shall receive the documents at least one week before the arrival of the goods (except where it is handed over to the consignee with all the documents) and if not received, the supplier will be responsible for any consequent expenses.

भुगतान के दावे के लिए पूर्तिकार द्वारा दिए जाने वाले दस्तावेज संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 17 ("भुगतान") में विनिर्दिष्ट है। / The documents to be provided by the supplier for claiming payment are specified in GCC clause 17 ("Payment").

#### 14 **आनुषंगिक सेवाएं / Incidental services**

- 14.1 क्रेता निम्नलिखित में से कुछ या सभी सेवाएं एवं/या कुछ अतिरिक्त सेवाएं संविदा में शामिल कर सकता है यदि ये आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है एवं पूर्तिकता निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा। / The purchaser may include in the contract any or all of the following services and/or some additional services, if specified in the Schedule of Requirements and the supplier is required to provide the same:

- (क) आपूर्ति दिए गए माल का स्थल पर/एवं/या जहाँ कार्य आरंभ में होना है पर कार्य निष्पादन एवं पर्यवेक्षण/Performance or supervision of on-site and or start-up of the supplied goods,
- (ख) आपूर्ति किए जाने वाले माल के समायोजन और/रख रखाव के लिए आवश्यक औसर प्रदान करना।/Furnishing of tools required for assembly and/or maintenance of the supplied goods,
- (ग) आपूर्ति किए गए माल की प्रत्येक उपर्युक्त यूनिट के (मद) प्रचालन एवं अनुरक्षण नियम—पुस्तिका प्रदान करना।/Furnishing of a detailed operations and maintenance manual for each appropriate unit of the supplied goods,
- (घ) आपूर्ति किए गए माल को पार्टियों द्वारा सहमत के लिए निष्पादन या पर्यवेक्षण या अनुरक्षण एवं/या मरम्मत, करना किन्तु इस सेवा ये पूर्तिकर्ता संविदा के अंतर्गत के किसी वारंटी बाध्यनाथा से मुक्त नहीं होगा।/Performance or supervision or maintenance and or repair of the supplied goods, for a period of time agreed to by the parties, provided that this service shall not relieve the supplier of any warranty obligations under the contract, and
- (ङ) आपूर्ति किए गए माल के संयोजन, आरंभन प्रचालन, अनुरक्षण एवं/या मरम्मत के लिए क्रेता के कर्मिकों को पूर्तिकर्ता के संयंत्र एवं/या स्थल पर प्रशिक्षण देना।/Training the purchaser's personnel, at the supplier's plant and/or on-site, in assembly, start-up, operation, maintenance and/or repair of the supplied goods.
- 14.2 यदि पूर्तिकर्ता ने उपर्युक्त आनुपेगिक सेवाओं की कीमत को माल के लिए उद्धृत के कीमत में शामिल नहीं किया है तो इसे अलग से बोली में उद्धृत किया जाएगा एवं यह दर इन्ही सेवाओं के लिए पूर्तिकार द्वारा अन्य पार्टियों पर लगाई गई प्रचलित दर से अधिक नहीं होगी।/Price charged by the supplier for the above mentioned incidental services, if not included in the quoted price for the goods, shall be quoted separately in the bid itself and shall not exceed the prevailing rates, charged to other parties by the supplier for similar services.

## 15 अतिरिक्त हिस्से पुर्जे / Spare parts

- 15.1 आवश्यकता अनुसूची में यथा विनिदिष्ट पूर्तिकार द्वारा निर्मित एवं/या वितरित अतिरिक्त हिस्से पूर्जों से संबंधित निम्नलिखित सभी अथवा किसी भी सामाग्री अधिसूचनाएं एवं जानकारी से पूर्तिकार ली जा सकती है।/As specified in the Schedule of Requirements, the supplier may be required to provide any or all of the following materials, notifications and information pertaining to spare parts manufactured and/or distributed by the supplier:
- (क) ऐसे अतिरिक्त हिस्से पुर्जे जिसका चयन क्रेता, पूर्तिकार से कर सकता है बशर्ते कि यह पूर्तिकार को संविदा के अंतर्गत किसी वारंटी बाध्यताओं से मुक्त नहीं करेगा, एवं/Such spare parts as the purchaser may elect to purchase from the supplier, provided that this will not relieve the supplier of any warranty obligations under the contract; and
- (ख) अतिरिक्त हिस्से पुर्जे के उत्पादन की समाप्ति के मामले में/In the event of termination of production of the spare parts:

- (I) लम्बित समाप्ती के लिए क्रेता को अग्रिम सूचना देना जिससे आवश्यक सामग्रियों को प्राप्त करने के लिए क्रेता को पर्याप्त समय मिल सके, एवं/ Advance notice to the purchaser of the pending termination, in sufficient time to permit the purchaser to procure needed requirements; and
- (II) ऐसी समाप्ति का तत्काल अनुसरण करते हुए क्रेता बिना किसी लगात के अतिरिक्त पूर्जों का ब्लूप्रिंट, आरेखन एवं विनिर्देशन देना, यदि मांगा गया हो।/ Immediately following such termination, furnishing at no cost to the purchaser, the blueprints, drawings and specifications of the spare parts, if requested.
- 15.2 माल के उपभोक्ता अतिरिक्त पूर्जों की स्टॉक पर आपूर्ति को आश्वासन करने के लिए पूर्तिकार को पर्याप्त वस्तु सूची रखनी होगी। अतिरिक्त पूर्जों एवं घटकों की आपूर्ति जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी की जाएगी परंतु किसी भी मामले में यह आदेश देने एवं साख-पत्र खोलने के तीन महीनों के अन्दर होना चाहिए।/ Supplier shall carry sufficient inventories to assure ex-stock supply of consumable spares for the goods. Other spare parts and components shall be supplied as promptly as possible but in any case within three months of placement of order and opening the letter of credit.

## 16. वारंटी / Warranty

- 16.1 जब तक संविदा में अन्यथा उल्लेख न हो पूर्तिकार वारंटी देगा कि संविदा के अंतर्गत आपूर्तित माल नया है इसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है वर्तमान का सबसे आधुनिक माडल है एवं इसके डिजाइन एवं पदार्थ में सभी वर्तमान संशोधन दिए गए हैं। पूर्तिकार यह भी वारंटी देगा कि संविदा के अंतर्गत आपूर्तित माल के डिजाइन, पदार्थ (केवल उस स्थिति को छोड़कर, जब क्रेता के विनिर्देशन के अनुसार डिजाइन को अपनाया गया है एवं/या पदार्थ का उपयोग किया गया है) या कर्म-कौशल से या पूर्तिकार के किसी कार्य या चूक से उत्पन्न होने वाले दोषों, जो इन आपूर्तित माल का भारत की वर्तमान परिस्थितियों में सामान्य उपयोग करने पर उत्पन्न हो सकते हैं, मुक्त होगा।/ The supplier warrants that the goods supplied under the contract is new, unused, of the most recent of current models and incorporate all recent improvements in design and materials unless provided otherwise in the contract. The supplier further warrants that the goods supplied under the contract shall have no defect arising from design, materials (except when the design adopted and or the material used are as per the purchaser's specifications) or workmanship or from any act or omission of the supplier, the may develop under normal use of the supplied goods under the conditions in India.
- 16.2 यदि आवश्यकता अनुसूची में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो संविदा की शर्तों में माल या इसके किसी भाग जैसा की मामला हो, के अंतिम गंतब्य स्थल पर सुपुर्दगी एवं वहा इसके अधिष्ठापन एवं इसे लागू करने के बाद और क्रेता द्वारा इसे स्वीकार करने के बाद 12 (बारह) महीनों तक यह वारंटी वैध होगी या आयातित माल के लिए स्ट्रोत देश में लदाई पन्तन या लदान के स्थान से इसकी लटाई की तारीख के बाद 18 (अट्ठारह) माह 21 (इक्कीस) माह तक इनमे ये जो भी पहले हो, तक यह संविदा वैध होगी।/ This warranty shall remain valid for 12 (twelve) months after the goods or any portion there of as the ase may be, have been delivered to the final destination and installed and commissioned at the final destination and accepted by the purchaser, in terms of the contract or for 18 (eighteen)

months 21 (twenty one) from the date of shipment from the port or place of loading in the source country for imported goods, whichever is earlier, unless specified otherwise in the Schedule of Requirements. The purchaser shall promptly notify the supplier in writing of any claim arising under this warranty. Upon receipt of such notice the supplier shall with all reasonable speed or within the period, if specified in the Schedule of Requirements and the contract) repair or replace the defective goods of parts thereof free of cost at the ultimate destination. The supplier shall take over the replaced parts/goods at the time of their replacement. No claim whatsoever shall lie on the purchaser for the replaced parts/goods thereafter.

क्रेता इस वारंटी के अंतर्गत किए जाने वाले किसी भी दावे की लिखित सूचना तत्काल पूर्तिकार को देगा। इस प्रकार की सूचना की प्राप्ति के बाद प्रतिकार उचित समय में या निर्धारित अवधि के अंदर (यदि आवश्यकताओं की अनुसूची और संविदा में विनिर्दिष्ट हो) क्रेता पर बिना किसी लागत के अंतिम गंतव्य स्थल पर दोषपूर्ण माल या इसके भागों की मरम्मत करेगा या इसे प्रतिस्थापित करेगा। इनके प्रतिस्थापन के समय पूर्तिकार प्रतिस्थापित भागों/माल का उत्तरदायित्व लेगा। इसके बाद प्रतिस्थापित भागों/माल से संबंधित किसी भी दावे की जिम्मेदारी क्रेता की नहीं होगी।/Upon receipt of such notice, the supplier shall, with all reasonable speed (or within the period, if specified in the Schedule of Requirements and the contract), repair or replace the defective goods of parts thereof, free of cost, at the ultimate destination. The supplier shall take over the replaced parts/goods at the time of their replacement. No claim whatsoever shall lie on the purchaser for the replaced parts/goods thereafter.

16.3 वारंटी अवधि के दौरान किसी भी दोषपूर्ण के दोष में सुधार या किसी माल के प्रतिस्थापन के मामले में इस सर्वाधिक माल की वारंटी अवधि क्रेता की संतुष्टि के लिए सुधार प्रतिस्थापित किए जाने किए जाने की तारीख माल प्रतिस्थापित की तारीख से अगले 12 (बारह) माह की अवधि के लिए वारंटी बढ़ जाएगी।/In the event of any correction of a defect or replacement of any defective material during the warranty period, the warranty for the corrected/replaced material shall be extended to a further period of 12 (twelve) months from the date, such corrected/replaced material starts functioning to the satisfaction of the purchaser.

16.4 यदि पूर्तिकार जिसे सूचना दी गई है, उचित समयावधि के अंदर (या आवश्यकताओं की अनुसूची या संविदा में विनिर्दिष्ट समय के अंदर) दोष (दोषों) में सुधार नहीं कर पाता तो क्रेता, पूर्तिकार के जोखिम एवं खर्च पर एवं किसी अन्य अधिकार जो संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार के विरुद्ध इसके पास है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना आवश्यकता अनुसार ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है।/If the supplier, having been notified, fails to remedy the defect(s) within a reasonable period (or within the period, if specified in the Schedule of Requirements and the contract), the purchaser may proceed to take such remedial action as may be necessary, at the supplier's risk and expense and without prejudice to any other rights, which the purchaser may have against the supplier, under contract.

## 17 भुगतान/Payment

- 17.1 संविदा में विनिदिष्ट मुद्रा/मुद्राओं में भुगतान किया जाएगा। पूर्तिकार अपना दावा (संबंधित दस्तावेजों के साथ, जैसा आवश्यक हो), आवश्यकताओं की अनुसूची एवं संविदा में विनिर्देशित उपर्युक्त भुगतान प्राधिकारी को भेजेगा। किसी भी भुगतान का दावा करने से पहले पूर्तिकार यह सुनिश्चित करेगा कि इस भुगतान के दावे से संबंधित सभी संविदा बात बाध्यताएँ विधिवत पूरी कर ली गई है।/ The payment shall be made in the currency/currencies specified in the contract. The supplier shall send its claim (with relevant documents, as required) to the appropriate paying authority as specified in the Schedule of Requirements and the contract. Before claiming any payment, the supplier shall ensure that all the contractual obligations for claiming that payment have been duly fulfilled.
- 17.2 भुगतान निम्नलिखित तरीके से एवं निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर किया जाएगा।/ The payment shall be made in the following manner and on production of the following documents:
- (क) विदेशों से आपूर्तित माल के लिए भुगतान/ Payment for goods supplied from abroad:
- (I) पोत लदान पर/ on shipment
- संविदा की 90% राशि भारत के किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या पूर्तिकार के देश के किसी बैंक में विदेशी पूर्तिकार के पक्ष में क्रेता द्वारा स्वीकार्य अटल साख-पत्र द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर की जाएगी/ 90% of the contract price shall be paid through irrevocable letter of credit established in favour of the foreign supplier in scheduled commercial bank in India or a bank in the supplier's country acceptable to the purchaser, upon submission the following documents:
- (क) संविदा की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 10.3 (क) के अनुसार पूर्तिकार द्वारा क्रेता एवं अन्य को भेजे गए फैक्स की प्रमाणित प्रति।/ Certified copy of the fax sent by the supplier to the purchaser and others as per GCC sup-clause 10.3 (a).
- (ख) संविदा संख्या, आपूर्तित माल का विवरण, संबंधित मात्रा यूनिट कीमत एवं कुल मूल्य और परेषिती (परेषितियों) का (क) नाम दर्शाता हुआ पूर्तिकार द्वारा हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक।/ Supplier's signed commercial invoice showing contract number, description of the supplied goods, corresponding quantity, unit price and the total value and name(s) of the consignee(s) for the supplied goods.
- (ग) माल का विवरण मात्रा संविदा संख्या से संबंधित विवरण आदि का साक्ष्य देने वाले मध्यस्थ/पत्तन प्रेषिती को सौंपे गए फलक के वहन पत्र की मूल एवं स्पष्ट प्रति जिस पर पूर्व भुगतान भाड़ा चिन्हित हो।/ Original clean on board bill of lading marked freight pre-paid consigned to the interim/port consignee evidencing description of the goods, quantities, relevant details about the contract number etc.
- (घ) प्रत्येक पैकेज की वस्तुओं की पहचान वाली पैकिंग सूची।/ Packing list, identifying contents of each package.
- (ङ) दो प्रतियों में बीमा पॉलिसी अथवा प्रमाण पत्र जो बीमा पृष्ठांकन हो और जिसके लिए ढावा भारत में साख पत्र की मुद्रा में भुगतान हो/ Insurance policy or certificate in duplicate endorsed in blank with claims payable in India in the currency of the letter of Credit.
- (च) विनिर्माता/पूर्तिकार का वारंटी प्रमाण पत्र एवं पूर्तिकार की कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट।/ Manufacturer's/supplier's warranty certificate and supplier's factory inspection report.

(छ) क्रेता द्वारा नामांकित निरीक्षण एजेंसी द्वारा जारी किया गया पूर्व प्रेषण निरीक्षण प्रमाण पत्र यदि ऐसा विनिर्दिष्ट हो।/Pre-dispatch inspection certificate issued by the purchaser's nominated inspection agency, if so specified.

(ज) **उद्भव प्रमाण पत्र / Certificate of origin.**

(झ) संविदा की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 10.3 (क) की मदों में इस बात की पुष्टि करने वाला पूर्तिकार का प्रमाण-पत्र कि सभी संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक दस्तावेज भेजा जा चुका है।/Supplier's certificate confirming that the required document have been sent to all concerned in items of GCC sub-clause 10.3(a).

(ञ) पूर्तिकार का प्रमाण पत्र जो पुष्टि करता हो कि बीजक में लिखी गई रकम संविदा की शर्तों के अनुसार सही है एवं इस भुगतान के दावे के लिए संविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें लागू की गई हैं।/Supplier's certificate confirming that the amounts shown in the invoice are correct in terms of the contract and that all the terms and conditions of the contract have been complied with for claiming this payment.

(ट) आवश्यकताओं की अनुसूची एवं संविदा में विनिर्दिष्ट कुछ अन्य दस्तावेज एवं/या उपर्युक्त दस्तावेजों में आशोधन।/Any other document(s) and/or modification of above documents specified in the Schedule of Requirements and the contract.

(II) **अंतिम स्वीकृति पर / on final acceptance**

प्राप्त माल की संविदा कीमत की 10% राशि भुगतान दावे के साथ बोली संबंधी दस्तावेजों के-----खण्ड में दिए गए प्रोफार्मा में क्रेता या क्रेता द्वारा नामांकित प्रतिनिधि द्वारा जारी स्वीकृति प्रमाण पत्र पर माल प्राप्त प्रस्तुत करने पर माल प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के अंदर दे दी जाएगी।/10% of the contract price of goods received shall be paid within 30 (Thirty ) days of receipt of goods on submission of the claim supported by the acceptance certificate issued by the purchaser or the purchaser's nominated representative in the proforma given in section----- of the bidding documents.

(III) **एजेंसी कमीशन का भुगतान / Payment of agency commission**

दावा प्रस्तुत करने के 30 दिन के भीतर भारतीय मुद्रा में किया जाएगा भुगतान दावे के साथ क्रेता का इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न होगा कि माल की सुपुर्दगी कर दी गई है विदेशी पूर्तिकार को पूरा 100% भुगतान कर दिया गया है। एवं इस भुगतान के दावे के लिए पूर्तिकार एवं इसके एजेंट द्वारा सभी संविदा बाध्यताएं पूरी कर ली गई हैं। इसका भुगतान (एजेंसी कमीशन के लिए साख पत्र द्वारा नहीं किया जाएगा, अपितु संविदा में विनिर्दिष्ट क्रेता के भुगतान अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।/Payment shall be made in Indian Rupees of within 30(thirty) days of presentation of claim supported by a certificate from the purchaser confirming that the goods have been delivered, full 100% payment has been made to the foreign supplier and all the contractual obligations, have been performed by the supplier and its agent for claiming this payment. This payment (towards agency commission) will be made by the purchaser's paying authority specified in the contract and not through Letter of Credit.

(ख) **भारत से आपूर्तित माल के लिए भुगतान / payment for goods supplied from india**

संविदा में विनिर्दिष्ट क्रेता के भुगतान अधिकारी द्वारा भुगतान कि साख-पत्र द्वारा भारतीय रूपये में निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा।/ Payment shall be made in Indian rupees by the purchaser's paying authority, as specified in the contract (and not through Letter of Credit), in the following manner:

**(I) सुपुर्दगी पर / on delivery**

प्रेषिती द्वारा माल की प्राप्ति पर एवं भुगतान अधिकारी को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर संविदा कीमत की 90% राशि का भुगतान किया जाएगा।/ 90% of the contract price shall be paid on receipt of the goods by the consignee and upon submission of following documents to the paying authority:-

- (क) पूर्तिकार का बीजक पीस पर संविदा, माल विवरण, माल यूनिट कीमत एवं कुल राशि का उल्लेख होगा।/ The supplier's invoice showing contract number, description of goods, quantity, unit price and the total amount;
- (ख) रेलवे रसीद एवं सुपुर्दगी टिप्पणी।/ Railway receipt or Delivery note'
- (ग) प्रत्येक पैकेज की वस्तुओं की पहचान बनाने वाली पैकिंग सूची।/ Packing list identifying contents of each package;
- (घ) बीमा प्रमाण पत्र।/ Insurance certificate;
- (ङ) विनिर्माता/पूर्तिकार का वारंटी प्रमाण पत्र।/ Manufacture's/Supplier's warranty certificate;
- (च) क्रेता द्वारा नामांकित निरीक्षण एजेंसी द्वारा जारी पूर्व-प्रेषण निरीक्षण प्रमाण-पत्र यदि ऐसा विनिर्दिष्ट हो एवं पूर्तिकार द्वारा कारखाना निरीक्षण रिपोर्ट।/ Pre-dispatch inspection certificate issued by the purchasers nominated inspection agency, if so specified and the supplier's factory inspection report.
- (छ) उद्भव प्रमाण पत्र / Certificate of origin.
- (ज) प्रेषिती द्वारा जारी संबंधित सुपुर्दगी के लिए अन्तिम प्राप्ति का प्रमाण पत्र एवं / Provisional receipt certificate for the corresponding delivery, issued by the consignee and
- (झ) आवश्यकताओं की अनुसूची एवं संविदा में विनिर्दिष्ट कुछ अन्य दस्तावेजों आशोधन।/ Any other document(s) and/or modification of above documents specified in the Schedule of Requirements and the contract.

**(II) अंतिम स्वीकृति पर / On final acceptance**

संविदा कीमत की शेष 10% राशि का भुगतान, इसके दावे के साथ क्रेता के प्रतिनिधि द्वारा जारी बोली संबंधी दस्तावेज के ----- खण्ड में दिए गए प्रोफार्मा में संबंधित सुपुर्दगी के लिए अंतिम स्वीकृति प्रमाण-पत्र का विधिवत प्रस्तुत करने के बाद 30 (तीस) दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।/ The remaining 10% of the contract price shall be paid to the supplier with 30(thirty) days of receipt of its claim, duly supported by the final acceptance certificate for the corresponding delivery issued by the purchaser's representative in the proforma given in section----- of the bidding documents.

- (ग) आनुषंगिक सेवाओं एवं पर्यवेक्षण का भुगतान / Payment for incidental services and supervision:

यदि आनुषंगिक सेवाओं एवं पर्यवेक्षण की अलग से आवश्यकता हो तो इसे आवश्यकताओं की अनुसूची एवं संविदा में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसी सेवाओं एवं पर्यवेक्षण के लिए लागू भुगतान की शर्तें भी इसमें विनिर्दिष्ट की जाएगी।/The Incidental services and supervision, if required separately, will be specified in the Schedule of Requirements and in the contract. The payment terms applicable for such services and supervision will also be specified therein.

### 17.3 साख-पत्र पर कार्रवाई/Operation of letter of Credit

(I) साख पत्र के माध्यम से होने वाले भुगतान, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य परिषद् के दस्तावेजी साख पत्र संबंधी प्रचलित एक समान प्रयोग एवं पद्धति के अधीन किए जाएंगे।/The payments effected through letter or Credit, shall be subject to the latest Uniform Customs and Practice for Documentary Credit, of the International Chamber of Commerce;

(II) यदि पूर्तिकार द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है कि साख-पत्र की पुष्टि की जाएगी, तो इसका प्रभार पूर्तिकार के लेखा में डाला जाएगा।/If requested specifically by the supplier, the letter of credit will be confirmed, but the cost for the same shall be charged to the supplier's account.

(III) यदि किसी कारण बस जो क्रेता से संबंधित न हो, साख-पत्र के विस्तार या उसे पुनः स्थापित करने की आवश्यकता हो तो इसका प्रभार पूर्तिकार द्वारा उठाया जाएगा।/If the letter of credit is required to be extended/reinstated for reasons not attributable to the purchaser, the charges there of shall be to the supplier's account.

### 18 कीमत/Prices

18.1 संविदा के अन्तर्गत पूर्तिकार द्वारा आपूर्तित माल के लिए एवं दी गई सेवाओं के लिए लगाई गई कीमत, आवश्यकताओं की अनुसूची में प्रधिकृत किसी कीमत के समायोजन के अलावा पूर्तिकार द्वारा इसकी बोली में उद्धन की गई कीमत से अलग नहीं होनी चाहिए।/Prices charged by the supplier for the goods supplied and the services performed under the contract shall not vary from the prices quoted by the supplier in its bid with the exception of any price adjustment authorized in the Schedule of Requirements.

### 19 संविदा में संशोधन/Modification of contract

19.1 संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 31 के अनुसरण में क्रेता किसी भी समय लिखित में पूर्तिकार को दिए गए आदेश के द्वारा संविदा के सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक में परिवर्तन एवं संशोधन कर सकता है।/The purchaser may at any time, by a written order given to the supplier pursuant to GCC clause 31, make changes and modifications within the general scope of contract in any one or more of the following:

(क) आरेखन डिजाइन या विनिर्देशन जहां संविदा के अंतर्गत आपूर्ति किए जाने वाले माल का निर्माण विनिर्दिष्ट रूप से क्रेता से क्रेता द्वारा किया जाना हो।/Drawings, designs or specifications, where goods to be supplied under the contract are to be specifically manufactured for the purchaser

(ख) पैकिंग का तरीका।/The mode of packing,

(ग) प्रेषण का साधन।/The mode of despatch



- (घ) सुपुर्दगी का स्थान।/ The place of delivery,  
 (ङ) पूर्तिकार द्वारा दी जाने वाली सेवाएं एवं/या/ The services to be provided by the supplier and/or  
 (च) संविदा के कुछ अन्य क्षेत्रों में जो मामले के गुणावगुणों पर निर्भर हो।/ Any other area(s) of the contract, depending on the merits of the case.

19.2 यदि संविदा के अंतर्गत किसी उपबन्ध में परिवर्तन से लागत में या संविदा के निष्पादन के लिए पूर्तिकार को लगने वाले समय में कोई कमी या वृद्धि होती है तो संविदा कीमत या संविदा की सुपुर्दगी अनुसूची या दोनों में समायुक्त समायोजन किया जाएगा तदनुसार संविदा में संशोधन किया जाएगा। इस खण्ड के अंतर्गत समायोजन के लिए पूर्तिकार द्वारा किया गया कोई भी दावा संविदा में क्रेता द्वारा किए गए संशोधन/परिवर्तन की प्राप्ति के 21 (इक्कीस) दिनों के अन्दर किया जाना चाहिए।/ If any such change causes an increase or decrease in the cost of, or in the time required for the supplier's performance of any provision under the contract, and equitable adjustment shall be made in the contract price or contract delivery schedule or both, and the contract shall be amended accordingly. Any claim by the supplier for adjustment under this clause must be asserted within 21 (twenty-one) days from the date of the supplier's receipt of the purchaser's amendment/modification of the contract.

19.3 संविदा की सामान्य शर्तों के उप खण्ड 19.1 एवं 19.2 के अधीन दोनों परिवर्तनों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित संशोधन के आलावा, संविदा की शर्तों में कोई भी परिवर्तन या संशोधन नहीं किया जाएगा।/ Subject to GCC sub-clauses 19.1 and 19.2, no variation in or modification of the terms of the contract shall be made except by written amendment signed by both the parties.

## 20. समनुदेशन / Assignment

20.1 क्रेता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना पूर्तिकार संविदा के अंतर्गत इसके संपूर्ण या इसके किसी भाग के निष्पादन का कार्य किसी दूसरे को नहीं सौपेगा।/ The supplier shall not assign, in whole or in part, its obligations to perform under the contract, except with the purchaser's prior written consent.

## 21 उप संविदाएं / Sub Contracts

21.1 यदि बोली में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, तो पूर्तिकार लिखित में क्रेता को संविदा के अंतर्गत दिए गए सभी उप संविदाओं की सूचना देगा। ऐसी अधिसूचनाएं जो बोली के साथ या बाद में दी जाती हैं संविदा के अंतर्गत को किसी उत्तरदायित्व या बाध्यता, जो कुछ भी हो से मुक्त नहीं करेगी।/ The supplier shall notify the purchaser in writing of all sub contracts awarded under the contract, if not already specified in its bid. Such notifications, in its original bid or later, shall not relieve the supplier of any liability or obligation, whatsoever, under the contract.

21.2 केवल खरीदी गई मर्दों एवं उप-समान्वायोजन के लिए उपसंविदा दी जाएगी।/ Subcontract shall be only for bought-out items and sub-assemblies.

21.3 उपसंविदाओं को संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 3 के उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए।/ Subcontracts must comply with the provisions of GCC clause 3.

## 22 पूर्तिकार के निष्पादन में विलंब / Delay in the supplier's performance

- 22.1 पूर्तिकार द्वारा माल की सुपुर्दगी एवं सेवाओं का निष्पादन "आवश्यकताओं की अनुसूची" में क्रेता द्वारा विनिर्दिष्ट समय-अनुसूची के अनुसार किया जाएगा।/Delivery of the goods and performance of the services shall be made by the supplier in accordance with the time schedule specified by the purchaser in the "Schedule of Requirements".
- 22.2 संविदा को सामान्य शर्तों के खण्ड 25 में दिए गए तथ्यों के आलावा पूर्तिकार द्वारा इसकी संविदा बात सुपुर्दगी बाध्याताओं के अनुक्षण में किसी भी प्रकार के बिना कारण के विलम्ब से, पूर्तिकार को निम्नलिखित में से कुछ या सभी दण्ड दिए जा सकते हैं।/Except as provided under GCC clause 25, any unexcused delay by the supplier in maintaining its contractual delivery obligations shall render the supplier liable to any or all of the following sanctions:
- परिनिर्धारित नुकसानी का अधिरोपण इसके निष्पादन प्रतिभूति पर कब्जा एवं/या त्रुटि के कारण संविदा की समाप्त /imposition of liquidated damages, forfeiture of its performance security and/or termination of the contract for default
- 22.3 यदि संविदा के निष्पादन के दौरान किसी भी समय, पूर्तिकार या इसके उप-संविदाकार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जिन से माल की समय से सुपुर्दगी एवं सेवाओं के निष्पादन में बाधा आ रही हो, तो पूर्तिकार तत्काल लिखित में विलम्ब के तथ्यों इसकी संभावित अवधि एवं इसके कारण (कारणों) से क्रेता को सूचित करेगा। पूर्तिकार से सूचना प्राप्ति की प्राप्ति के बाद क्रेता, जितनी जल्दी संभव हो परिस्थिति का मूल्यांकन करेगा एवं अपने विवेक पर पूर्तिकार के निष्पादन के समय में वृद्धि कर सकता है, इस मामले में सुपुर्दगी अवधि में विस्तार, संविदा में संशोधन जारी करके अनुसमर्थन किया जाएगा।/If at any time during the performance of the contract, the supplier or its subcontractors) should encounter conditions hindering timely delivery of the goods and performance of the services, the supplier shall promptly notify the purchaser in writing of the fact of the delay, its likely duration and its causes(s) . After the receipt of the supplier's notice, the purchaser, as soon as practicable, shall evaluate the situation and may at its discretion extend the supplier's time for performance, in which case the extension of the delivery period shall be ratified by issuing an amendment to the contract.
- 22.4 सुपुर्दगी अवधि की समाप्ति के बाद पूर्तिकार माल का प्रेषण नहीं करेगा/प्रेषण के पहले पूर्तिकार को क्रेता से सुपुर्दगी अवधि के विस्तार के लिए आवेदन करना होगा एवं अनुमति प्राप्त करनी होगी/यदि पूर्तिकार सुपुर्दगी अवधि में विस्तार प्राप्त किए बिना माल का प्रेषण करता है, तो यह उसके स्वयं के जोखित पर होगा एवं ऐसी आपूर्ति एवं/या इससे संबंधित अन्य व्यय के भुगतान के लिए किये गए किसी भी दावों के लिए क्रेता उत्तरदायी नहीं होगा।/The supplier shall not despatch the goods after expiry of the delivery period. The supplier is required to apply to the purchaser for extension of delivery period and obtain the same before despatch. In case the supplier despatches the goods without obtaining an extension, it would be doing so at its own risk and no claim for payment for such supply and/or any other expense related to such supply shall lie against the purchaser.

## 23 परिनिर्धारित नुकसानी / Liquidated damages

23.1 संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड के खण्ड 25 के अधीन यदि पूर्तिकर्ता, संविदा में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर माल के कुछ भाग या पूरा माल सुपुर्द करने या सेवाओं का निष्पादन करने में असफल रहता है तो संविदा के अंतर्गत इसके अन्य उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, क्रेता बिलंबित माल या सेवाओं की संविदा कीमत की 10% (दस प्रतिशत) की अधिकतम कटौती तक प्रत्येक सप्ताह के बिलंब या उसके किसी भाग के विलंब के लिए अनिष्पादित सेवाओं या बिलंबित माल की सुपुर्दगी कीमत के 0.5% (आधा प्रतिशत) के समतुल्य राशि का प्ररिनिर्धारित नुकसानी के रूप में कटौती करेगा। जब यह कटौती अधिकतम सीमा तक पहुंच जाएगी, तो यदि संविदा पहले समाप्त नहीं की गई तो क्रेता संविदा की समाप्ति पर विचार कर सकता है।

इसके अतिरिक्त सुपुर्दगी और/या निष्पादन में उपर्युक्त उल्लिखित विलंब की अवधि के दौरान किसी भी आधार पर कीमत में वृद्धि के लिए संविदा के किसी उपबंध के होते हुए भी पूर्तिकार, विलम्ब की अवधि के दौरान कीमत या लागत में किसी भी प्रकार की वृद्धि करने के लिए हकदार नहीं होगा/परंतु क्रेता विलंब की उस अवधि के दौरान किसी भी आधार पर कीमत और लागत में होने वाली किसी कमी के लाभ के लिए हकदार होगा।/Subject to GCC clause 25, if the supplier fails to deliver any or all the goods or perform the services within the time period(s) specified in the contract, the purchaser shall, without prejudice to its other remedies under the contract, deduct from the contract price, as liquidated damages, a sum equivalent to 0.5% (half percent) of the delivered price of the delayed goods or unperformed services for each week of delay or part there of until actual delivery or performance, up to a maximum deduction of 10% (ten percent) of the delayed goods' or services' contract price. Once the maximum is reached, the purchaser may consider termination of the contract, if the same have not been terminated already. Further, during the above mentioned delayed period of supply and/ or performance, the supplier, notwithstanding any stipulation in the contract for increase in price for any ground, shall not be entitled to any increase in price and cost, whatsoever, which take place during the period of delay. But, nevertheless, the purchaser shall be entitled to the benefit any decrease in price and cost on any ground during that period of delay.

#### 24 **चूक होने पर समाप्ति / Termination for default**

24.1 यदि संविदा में विनिर्दिष्ट समयावधि के अंदर या संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 22 के अनुसरण में क्रेता द्वारा संविदा की समयावधि में दिए गए विस्तार के अंदर पूर्तिकार माल के कुछ भाग या पूरे माल की सुपुर्दगी करने में या कोई अन्य संविदा गत बाध्यता (बाध्यताओं) का निष्पादन करने में असफल रहता है तो क्रेता, संविदा भंग करने के अन्य किसी उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालने बिना चूक की लिखित नोटिस पूर्तिकार को भेजकर पूरी संविदा या इसके किसी भाग को समाप्त कर सकता है।/The purchaser, without prejudice to any other remedy for breach of contract, may, by written notice of default sent to the supplier, terminate the contract in whole or in part, if the supplier fails to deliver any or all of the goods or fails to perform any other contractual obligation(s) within the time period specified in the contract, or within any extension there of granted by the purchaser pursuant to GCC clause 22.

24.2 क्रेता द्वारा पूरी संविदा या किन्ही भागों में संविदा समाप्त करने के मामले में संविदा की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 24.1 के अनुसरण में इन निबधनों एवं शर्तों पर और उस विधि से सुपुर्द न किए माल और/या सेवाओं के समान माल और/या सेवाओं की वसूली कर सकता है जिसे वह उचित समझे। इस प्रकार के एक समान माल और/या सेवाओं की बढ़ी हुई लागत के लिए पूर्तिकार पर क्रेता का दायित्व होगा। तथापि पूर्तिकार पर समाप्त न की गई संविदा के भाग का निष्पादन जारी रख सकता है।/In the event the purchaser terminates the contract in whole or in part, pursuant to GCC sub-clause 24.1, the purchaser may procure, upon such terms and conditions and in such manner as it deems appropriate, goods and/or services similar to those undelivered and the supplier shall be liable to the purchaser for any excess cost for such similar goods and /or services. However, the supplier shall continue to perform the contract to the extent not terminated.

## 25 अपरिहार्य घटना/Force Mejeure

25.1 संविदा की सामान्य शर्तों के खण्ड 22, 23 और 24 के उपबन्धों के होते हुए भी, क्रेता, पूर्तिकार की निष्पादन प्रतिभूति, प्ररिनिर्धारित नुकसानी को जब्त और चूक के लिए संविदा समाप्त नहीं कर सकता, यदि और कुछ सीमा तक संविदा के अंतर्गत निष्पादन में विलम्ब या इसकी बाध्यताओं के निस्तादन में असफल होने का कारण कोई अपरिहार्य घटना हो।/Notwithstanding the provisions of GCC clause 22,23 and 24, the supplier shall not be liable for, forfeiture of its performance security, liquidated damages or termination for default, if and to the extent that its delay in performance or other failure to perform its obligations under the contract is the result of an event of Force Majeure

25.2 इस खण्ड के प्रयोजन के लिए “अपरिहार्य घटना” का अर्थ उस घटना से है जो पूर्तिकार के नियन्त्रण से बाहर है और जिसमें पूर्तिकार की चूक या उपेक्षा शामिल नहीं हैं तथा जो पूर्व-दृष्टाय नहीं है। इन घटनाओं में क्रेता की प्रभुता क्षमता में उसके कार्यकलाप, कारण या क्रेति, आग लगाना, बाढ़ आना, महामारी होना संगरोध प्रतिबंध एव भाड़ा प्रतिबंध शामिल है परंतु ये केवल इन्ही घटनाओं तक सीमित नहीं है।/For purpose of this clause, “Force Majeure” means an event beyond the control of the supplier and not involving the supplier’s fault or negligence and not foreseeable. Such events may include, but are not restricted to, acts of the purchaser in its sovereign capacity, was or revolutions, fires, floods, epidemics, quarantine restrictions and freight embargoes.

25.3 यदि कोई अपरिहार्य घटना की स्थिति आती है तो पूर्तिकार इन परिस्थितियों और इनके कारणों की लिखित सूचना तत्काल क्रेता को देगा। जब तक क्रेता लिखित में अन्यथा कोई निदेश नहीं देगा, तब तक जहां तक उचित रूप से व्यवहारिक हो प्रतिकार संविदा के अंतर्गत इसकी बाध्यताओं का निष्पादन जारी रख सकता है और निष्पादन के लिए अपरिहार्य घटना से प्रभावित न होने वाले सभी उचित वैकल्पिक साधनों का उपोग कर सकता है।/If a Force Majeure situation arises, the supplier shall promptly notify the purchaser in writing of such conditions and the cause there of. Unless otherwise directed by the purchaser in writing, the supplier shall continue to perform its obligations under the contract as far as

reasonably practical, and shall seek all reasonable alternative means for performance not prevented by the Force Majeure event.

## 26 दिवालियापन पर संविदा की समाप्ति / Termination for insolvency

26.1 यदि पूर्तिकार दिवालिया हो जाता है या अन्यथा रूप से दिवालियन की स्थिति में आ जाती है, तो क्रेता बिना किसी क्षतिपूर्ति दिए पूर्तिकार को एक लिखित सूचना देकर संविदा को समाप्त कर सकता है बशर्ते कि इस समाप्ति से उस कार्रवाई या उपाय के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या प्रभाव न पड़े जो क्रेता के पास है और/या जो इसके बाद क्रेता के पास होगा।/If the supplier becomes bankrupt or otherwise insolvent, the purchaser may terminate the contract by giving written notice to the supplier, without any compensation to the supplier, provided, that such termination will not prejudice or affect any right of action or remedy which has accrued and/ or will accrue thereafter to the purchaser.

## 27 सुविधा के लिए संविदा की समाप्ति / Termination for convenience

27.1 क्रेता अपनी सुविधा के लिए पूर्तिकार को एक लिखित सूचना देकर किसी भी समय संविदा समाप्त कर सकता है। संविदा समाप्ति की सूचना में यह विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि क्रेता की सुविधा के लिए संविदा समाप्त की जा रही है। किस परिणाम तक संविदा के अंतर्गत पूर्तिकार का निष्पादन समाप्त किया जा रहा है और वह तारीख जिससे यह समाप्ति प्रभावी मानी जाएगी।/The purchaser, by written notice to the supplier, may terminate the contract, in whole or in part, at any time for its convenience. The notice of termination shall specify that the termination is for the purchaser's convenience, the extent to which performance of the supplier under the contract is terminated, and the date with effect from which such termination becomes effective.

27.2 पूर्तिकार द्वारा संविदा समाप्ति की सूचना प्राप्त करने के बाद वह माल जो अगले 30 (तीस) दिनों के अंदर लदान के लिए पूर्ण एवं तैयार है क्रेता द्वारा संविदा की शर्तों एवं कीमतों पर स्वीकार किए जाएंगे। शेष माल के लिए क्रेता निम्नलिखित का चयन कर सकता है।/The goods that the complete and ready for shipment within 30 (thirty) days after the supplier's receipt of notice of termination shall be accepted by the purchaser at the contract terms and prices. For the remaining goods, the purchaser may elect:

(क) माल के किसी भाग को संविदा की शर्तों एवं कीमतों पर पूर्ण एवं सुपुर्द करना एवं/या/to have any portion completed and delivered at the contract terms and prices; and/or

(ख) शेष भाग को निरस्त करना और अर्थ पूर्ण माल और सेवाओं के लिए एवं संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पूर्तिकार द्वारा पहले से ही बना लिए गए सामानों या पूर्जों के लिए पूर्तिकार को आपसी करार द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करना।/to cancel the remainder and pay to the supplier an agreed amount for partially completed goods and sendees and for materials and parts already procured by the supplier for fulfilling the contractual obligations.

## 28 विवादों का समाधान / Resolution of disputes

- 28.1 यदि क्रेता और पूर्तिकार के बीच, संविदा से संबंधित या संविदा से पढ़े किसी भी प्रकार का विवाद या मतभेद उत्पन्न होगा तो पार्टियां में पूर्ण रूप से आपसी सलाह के द्वारा इसके समाधान की पूरी कोशिश करेंगे।/If any disputes or difference of any kind shall arise between the purchaser and the supplier in connection with or arising out of the contract, the parties shall make every effort to resolve the same amicably by mutual consultations.
- 28.2 यदि तीस (30) दिनों के बाद भी पार्टियां आपसी सलाह से ऐसे विवाद या मतभेद को समाधान करने में असफल हो जाती है तो क्रेता या पूर्तिकार इसे माध्यस्थम के लिए भेजने संबंधी अपनी इच्छा का नोटिस दूसरी पार्टी को देगा, जैसा इसमें इसके बाद उपबंधित है एवं इस मामले में तब तक माध्यस्थम प्रारंभ नहीं होगा जब तक ऐसी नोटिस नहीं दी जाती।/If after thirty (30) days, the parties have failed to resolve their dispute or difference by such mutual consultation, then either the purchaser or the supplier may give notice to the other party of its intention to commence arbitration, as hereinafter provided, as to the matter in dispute, and no arbitration in respect of this matter may be commenced unless such notice is given.
- 28.3 कोई विवाद या मतभेद का, जिसके संबंध में संविदा, की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 28.2 के अनुसार माध्यस्थम प्रारंभ करने की इच्छा का नोटिस दिया गया है, अंतिम रूप से माध्यस्थम द्वारा सामाधान किया जाएगा। माध्यस्थम का आरंभ संविदा के अन्तर्गत माल की सुपुर्दगी से पहले या बाद में हो सकता है।/Any dispute or difference, in respect of which a notice of intention to commence arbitration has been given in accordance with GCC sub-clause 28.2, shall be finally settled by arbitration. Arbitration may be commenced prior to or after delivery of goods under the contract.
- 28.4 संविदा की सामान्य शर्तों के उप-खण्ड 28.3 के अनुसरण में लागू होने वाली विवाद सामाधान संबंधी क्रिया विधि निम्नलिखित होगी।/The dispute resolution mechanism to be applied pursuant to GCC sub clause 28.3 shall be as follows:-
- (क) यदि क्रेता और पूर्तिकार के बीच संविदा के संबंध में या संविदा से कोई भी विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है तो इसका सामाधान भारतीय माध्यस्थम एवं सुलभ अधिनियम 1996 के द्वारा किया जाएगा। माध्यस्थम अधिकरण में तीन मध्यस्थ होंगे, जिसमें एक-एक नियुक्त क्रेता और पूर्तिकार द्वारा की जाएगी। पार्टी द्वारा नियुक्त इन दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ को चुना जाएगा। यदि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थों की नियुक्ति की तारीख के तीस दिनों की अवधि के अंदर पार्टी द्वारा नियुक्त में दो मध्यस्थ किसी गत्यव्य पर नहीं पहुंच पाते तो, अगले मध्यस्थ की नियुक्ति भारतीय माध्यस्थम परिषद् या इन्स्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।/In the case of a dispute or difference arising between the purchaser and the supplier relating to any matter arising out of or connected with the contract, such disputes or difference shall be settled in accordance with the Arbitration and Conciliation Act,1996. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators, one each to be appointed by the purchaser and the supplier. The third arbitrator shall be chosen by the two arbitrators so appointed by the parties and shall be chosen by the two arbitrators so appointed by the parties and shall act as presiding arbitrator. In case of failure of the two arbitrs appointed by the parties to reach upo a consensus within a period of thirty days from the

appointment of the arbitrator appointed subsequently, the presiding arbitrator shall be appointed by the Indian Council of Arbitration or President of the Institution of Engineers (India).

- (ख) माध्यस्थों के बहुमत से लिया गया निर्णय अंतिम होगा और दोनों पार्टियों इस निर्णय को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगी।/The decision of majority of arbitrators shall be final and binding upon both the parties.
- (ग) माध्यस्थम कार्यवाही की लागत और व्यय का भुगतान, माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णयानुसार किया जाएगा। तथापि इस कार्यवाही की तैयारी प्रस्तुतिकरण आदि के संबंध में प्रत्येक पार्टी पर आय व्यय का वहन और पार्टी साथ ही पार्टी द्वारा या इनकी ओर से नियुक्त किए गए माध्यस्थम् को देय फीस एवं व्यय का भुगतान भी प्रत्येक पार्टी द्वारा किया जाएगा।/The cost and expense of the arbitration proceedings will be paid as determined by the arbitral tribunal. However, the expenses incurred by each party in connection with the preparation, presentation etc. of its proceedings as also fees and expenses paid to the arbitrator appointed by such party or on its behalf shall be borne by each party itself.

28.5 तथापि, यदि संविदा का मूल्य 15 लाख रूपए (150000/-रु) या इससे कम है तो इससे संबंधित विवाद या मतभेद का समाधान एक माध्यस्थम् द्वारा किया जाएगा। एक मात्र मध्यस्थ की नियुक्ति दोनों पार्टियों के बीच परस्पर करार के द्वारा की जाएगी। यदि किसी भी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को इस करार के लिए भेजे गए अनुरोध की प्राप्ति के बाद, 30 (तीस) दिनों के अंदर दोनों पार्टियां माध्यस्थसम् के करार पर सहमत नहीं हो पाती तो किसी एक पार्टी के अनुरोध पर, माध्यस्थसम् की नियुक्ति भारतीय माध्यस्थम् परिषद या इस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) के अध्यक्ष के द्वारा की जाएगी।/However, where the value of the contract is Rs. 15 lakhs (Rs.one and a half million) and below, the disputes or differences arising in it shall be referred to a sole arbitrator. The sole arbitrator shall be appointed by mutual agreement between the parties. If the parties fail to agree on the arbitrator within 30 (thirty) days from the receipt of a request by one party from the other party to so agree, the appointment shall be made upon request of a party, by the Indian Council of Arbitration or the President of the Institution of Engineers (India)

28.6 माध्यस्थल का स्थान वही होगा जहां से संविदा जारी की गई थी।/The venue of arbitration shall be the place from where contract is issued.

## 29 संविदा की भाषा / Governing language

29.1 संविदा अंग्रेजी भाषा में लिखी जाएगी। संविदा से संबंधित अन्य दस्तावेज और पार्टियों के बीच होने वाले सभी पत्र-व्यवहार, अंग्रेजी में ही किया जाएगा।/The contract shall be written in English language. All correspondence and other documents pertaining to the contract, which the parties exchange, shall also be written in English.

## 30 अनुप्रयुक्त विधि / Application law

31.1 संविदा के संबंध में किसी पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को दिया गया नोटिस लिखित में या केवल, टैलेक्स अथवा फेसिमाइल द्वारा भेजा जाएगा और लिखित में, आवश्यकताओं की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पते से पुष्ट किया जाएगा।/Any notice given by one party to the other pursuant to the contract shall be sent in writing

or by cable, telex or facsimile and confirmed in writing to the addresses specified in the Schedule of Requirement.

31.2 नोटिस सुपुर्द किए जाने की तारीख से या नोटिस की प्रभावी तारीख से इनमें से जो भी बाद में हो प्रभावी होगा।/ A notice shall be effective when delivered or on the notice's effective date, whichever is later.

## **32 कर और शुल्क / Taxes and duties**

32.1 भारत के बाहर अधिरोपित किए गए सभी कर स्टाफ शुल्क, लाइसेंस शुल्क और अन्य इसी प्रकार की उगाही के लिए विदेश पूर्तिकार पूर्णत उत्तरदायी होगा।/ A foreign supplier shall be entirely responsible for all taxes, stamp duties, license fees and other such levies imposed outside India.

32.2 संविदा के माल का क्रेता को सुपुर्द होने तक, सभी कर शुल्क, लाइसेंस शुल्क इत्यादि के लिए स्थानीय पूर्तिकार पूर्णतः उत्तरदायी होगा।/ Local supplier shall be entirely responsible for all taxes, duties license fees, etc. incurred until delivery of the contracted goods to the purchaser.

32.3 अन्य अनुदेश यदि कोई हो आवश्यकताओं की अनुसूची में यथा उपबंधित होंगे।/ Further instruction if, any, shall be as provided in the Schedule of Requirements.